

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

64वीं बोर्ड बैठक

विचाराधीन विषयों
की सूची

दिनांक : 30 दिसम्बर, 2021

समय : अपराह्ण 3.30 बजे

स्थान : सभागार, सर्किट हाऊस,
सहारनपुर।

विषय सूची

| एजेन्डा आईटम सं० | विषय | पृष्ठ सं० |
|---------------------|---|-----------|
| 64 / 01 | दिनांक 17.09.2021 को सम्पन्न हुई 63वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। | 1 – 4 |
| 64 / 02 | सहारनपुर नगर का सिटी डेवलेपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में। | 5 – 7 |
| 64 / 03 | वित्तीय वर्ष 2021–22 दिनांक 30.11.2021 तक वास्तविक आंकड़े एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित आय व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 8 – 12 |
| 64 / 04 | ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्मित 17 दुकानों के मूल्यांकन में आरोपित की जाने वाली भूमि की दर के निर्धारण के सम्बन्ध में। | 13 – 48 |
| 64 / 05 | ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न अनिस्तारित/दुकानों/पैट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन एवं क्योस्कों हेतु आरक्षित भूखण्डों के निस्तारण/विक्रय किये जाने हेतु योजना के अनुमोदित तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन करने के संबंध में। | 49 – 57 |
| 64 / 06 | ट्रांसपोर्ट नगर योजना के समीप ग्राम सड़क दूधली में प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन से क्रय की गई अर्बन सीलिंग की भूमि पर निर्मित भवनों को अर्फाडेबल हाऊसिंह योजना के अन्तर्गत 90 वर्षों की लीज पर आवंटित किये जाने के संबंध में। | 58 – 62 |
| 64 / 07 | साहिब जी नगर के निकट रुद्राक्ष आवासीय योजना हेतु प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन से क्रय की गई अर्बन सीलिंग की भूमि पर जन–सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने के संबंध में। | 63 – 67 |
| 64 / 08 | ट्रांसपोर्ट नगर योजना के समीप ग्राम सड़क दूधली में निर्मित भवनों के मूल्य में ब्याज की गणना को फीज किये जाने के सम्बन्ध में। | 68 – 72 |
| 64 / 09 | प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु वास्तुविदों का पैनल चयनित किये जाने के सम्बन्ध में। | 73 |
| 64 / 10 | सहारनपुर महायोजना–2021 अन्तर्गत निर्मित एवं समीप के क्षेत्र में शहर के सुनियोजित विकास हेतु निर्मित क्षेत्र में 12मी० मार्गाधिकार सुरक्षित कर मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में। | 74 – 75 |

| | | |
|---------|--|----------|
| 64 / 11 | राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यदायी रास्थाओं द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भू-उपयोग के भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में। | 76 – 102 |
| 64 / 12 | अमृत योजना के अन्तर्गत सहारनपुर विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 वैरस्ट महायोजना-2031 के ड्राफ्ट प्रारूप का अनुग्रहण एवं आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति के संबंध में। | 103–121 |
| 64 / 13 | उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। | 122–125 |
| 64 / 14 | भू-उपयोग परिसरों/कियाओं की परिभाषाएँ के अन्तर्गत “औद्योगिक” शीर्षक के अधीन एक नयी उपश्रेणी “उ0प्र0 वेयर हाउसिंग को तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018” (यथासंशोधित) को अंगीकृत किये जाने के संबंध में। | 126–128 |
| 64 / 15 | अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। | |

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64/01

विषय : दिनांक 17.09.2021 को सम्पन्न हुई 63वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

| एजेण्डा आईटम संख्या | विषय | बैठक में दिये गये निर्देश | अनुपालन आख्या |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|
| 63/01 | दिनांक 12.07.2021 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 62वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। | दिनांक 12.07.2021 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 62वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या की सम्पुष्टि की गयी। | कोई अनुपालन अवशेष नहीं है। |
| 63/02 | दिनांक 05.09.2020 को सम्पन्न हुई 61वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। | दिनांक 05.09.2021 को सम्पन्न हुई 61वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या की सम्पुष्टि की गयी। | कोई अनुपालन अवशेष नहीं है। |
| 63/03 | आवासीय भूखण्डों में बहु-आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में। | <p>उक्त के संबंध में अध्याय-26 के अंगीकरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव नियोजित/स्वीकृत/नियमित कालोनियों में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया –</p> <ul style="list-style-type: none"> 1– न्यूनतम विद्यमान 12 मी० रोड पर ही अनुमन्य होगा। 2– दो गुना बाह्य विकास शुल्क लिया जाएगा। 3– शेष सभी शर्तें अध्याय-26 के अनुसार रहेंगी। <p>साथ ही बोर्ड द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बढ़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन/सुदृढ़ीकरण संभव है।</p> | अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 63/04 | श्री कासिफ अफजाल पुत्र श्री अफजाल अहमद एवं श्री शिराज आलम पुत्र श्री अफजाल अहमद द्वारा ग्राम शेखवाला, परगना तहसील व जिला सहारनपुर के खसरा संख्या 92, 93, 94 तथा 95 की अपने स्वामित्व की कुल 4869.07 वर्गमीट, जो रोड वाइडिंग के पश्चात् 4559.95 वर्गमीट भूमि के भू-उपयोग 'कृषि' से 'औद्योगिक' में परिवर्तित किये जाने के उपरान्त शमन मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में। | मा० बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 13(2) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। | मा० बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में भूउपयोग कृषि से औद्योगिक में परिवर्तन किये जाने हेतु कार्यालय का पत्रांक 2899/स०वि०प्रा०/2021-22 दिनांक 09.11.2021 प्रेषित किया गया है। |
| 63/05 | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में सीलिंग के अधिकार प्रतिनिधियान करने के सम्बन्ध में। | मा० बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद को सीलिंग अधिकार प्रतिनिधायन करने के संबंध में उपाध्यक्ष, स०वि०प्रा० को अपने स्तर से निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। | मा० बोर्ड के निर्देशानुपालन में कार्यालय के आदेश संख्या 324/स०वि०प्रा०/2021 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 द्वारा सीलिंग के अधिकार अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड मेरठ-04, सहारनपुर को प्रतिनिधायन किये गये। |
| 63/06 | ऑनलाईन मानचित्र संख्या SDA/BP/20-21/0292 जो श्री आकाश द्वारा मल्हीपुर रोड पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, में भवन उपविधि के अनुसार आपत्ति के निराकरण हेतु। | इस संबंध में प्रश्नगत पैट्रोल पम्प में नियमानुसार पम्प के टॉवर के चारों ओर 6.00 मीट अवरोधमुक्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गयी। साथ ही सभी विभागों के मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। | प्रश्नगत मानचित्र में नियमानुसार विज्ञप्ति प्रकाशन करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे गये है। उसके उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। |
| 63/07 | उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने विषयक शासनादेश सं- | शासन के उक्त शासनादेश पर विचारोपरान्त अंगीकृत किया गया है। | अंगीकृत करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| | 1243 /आठ-8-2021-08 विविध /2020 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8 दिनांक 08.07.2020 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। | | |
| 63/08 | वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेंस शीट की स्वीकृति के संबंध में। | सहारनपुर विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेंस शीट पर स्वीकृति प्रदान की गई। मा० बोर्ड द्वारा अत्याधिक खातों को कम करने एवं सभी खातों की मॉनिटरिंग हेतु एक सिंगल विन्डो डैशबोर्ड स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गए। | सहारनपुर विकास प्राधिकरण में कुल 23 खातों में से 11 खातों का बन्द कराया जा चुका है। सभी खातों की मॉनिटरिंग हेतु एक सिंगल विन्डो डैशबोर्ड स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। |
| 63/09 | शासनादेश सं० 10/2021/396/आठ-1 -21-03 टी.सी. दिनांक 22 फरवरी, 2021 कोविड-19 के दृष्टिगत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की व्यवसायिक सम्पत्तियों की किस्तों पर ब्याज की दरों में एकलूपता रखने के सम्बन्ध में। | प्राधिकरण द्वारा सृजित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों की किस्तों पर ब्याज की दरों में शासन के निर्देशों के क्रम में ब्याज की दरों को कोविड-19 वैशिक महामारी के मद्देनजर आम-जनता को लाभान्वित करने हेतु प्रस्ताव पर मा० बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई। | अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। |
| 63/10 | आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 525/आठ-5-21-6ई/20 16 दिनांक 24फरवरी, 2021 के निर्णयानुसार सहारनपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत सेवानिवृत्त केन्द्रीयित / अकेन्द्रीयित कार्मिकों को शासनादेश संख्या-38 / शासनादेश संख्या-38 / 2016-सा- 3-921/दस-2016/308 /2016, दिनांक 23.12. | उक्त शासनादेश मा० बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये गये। | अंगीकृत करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| | 2016 एवं शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-3 08/2016, दिनांक 23.12.2016 की प्राविधिकृत व्यवस्थाओं के अनुरूप सेवानिवृत्त लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में। | | |
| 63/11 | विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021 विषयक जारी अधिसूचना संख्या 1984/8-3099/2182/ 2020 दिनांक 16 जुलाई, 2021 के अंगीकृत कराये जाने के संबंध में। | मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग के अनुरक्षण एवं मरम्मत संबंधी शासन द्वारा जारी गाईड लाइन्स को अंगीकृत किया गया। | अंगीकृत करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। |
| 63/12 | सहारनपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कालोनियों/ अवैध निर्माणों एवं कब्जों को ध्वस्त किये जाने एवं प्राधिकरण के अन्य कार्यों के प्रयोगार्थ जे०सी०बी०(JCB) मशीन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में। | सहारनपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कालोनियों/ अवैध निर्माणों एवं कब्जों को ध्वस्त किये जाने एवं प्राधिकरण के अन्य कार्यों के प्रयोगार्थ एक जे०सी०बी० मशीन जैम के माध्यम से क्रय किये जाने की सहमति मा० बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी। | मा० बोर्ड के निर्देशानुपालन में जैम-पोर्टल के माध्यम से जे०सी०बी० मशीन क्रय की जा चुकी है। |
| 63/13 | स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जुबली पार्क एवं अम्बाला रोड पर स्थित बस-स्टैण्ड में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण हेतु भूउपयोग परिवर्तन के संबंध में। | मा० बोर्ड में विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में स्मार्ट सिटी बोर्ड में कान्सेप्ट पर चर्चा होने के उपरान्त इस पर निर्णय लिया जाएगा। | वर्तमान बोर्ड बैठक के एजेन्डा नोट 64/11 पर प्रस्तुत। |

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64 / 02

विषय:- सहारनपुर नगर का सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या आर-४०/सीएम-२/२०२१ दिनांक २०.०१.२०२१ तथा विशेष सचिव एवं स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या ५३/पी०एस०एम०एस०/२०२१ दिनांक २९.०१.२०२१ के माध्यम से अयोध्या नगर के सुनियोजित विकास हेतु तैयार किये जा रहे अयोध्या डेवलपमेन्ट प्लान की तरह अन्य १३ नगरों, जिसमें सहारनपुर नगर भी सम्मिलित है, के लिए मा० मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। दिनांक १६.०३.२०२१ को मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन प्लान्स को बनाये जाने के सम्बन्ध में नीति विषयक निर्देश जारी किये गये हैं। तदोपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-१ के पत्र संख्या ६४/आठ-१-२१-एम०एस०-०२/२०२१ दिनांक ०५.०४.२०२१ के माध्यम से मॉडल ड्राफ्ट आर०एफ०पी० की प्रति उपलब्ध कराते हुए स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के आधार पर सुसंगत आर०एफ०पी० तैयार कर मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित कर आर०एफ०पी० डॉक्यूमेन्ट को अन्तिम रूप दिये जाने के निर्देश दिये गये।

शासन के निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या १७२२/स०वि०प्रा०/२०२१-२२ दिनांक ०३.०७.२०२१ के द्वारा प्रेषित टाईम-लाईन के अनुक्रम में कन्सल्टेन्ट के चयन सम्बन्धी आर०एफ०पी० तैयार करते हुए दिनांक ०५.०७.२०२१ को आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की अध्यक्षता में विभिन्न सम्बन्धित विभागों/स्टेक होल्डर्स के साथ सम्पन्न हुई बैठक में आर०एफ०पी० को अन्तिम रूप प्रदान करते हुए "सिटी डेवलपमेन्ट प्लान" तैयार किये जाने की कार्यवाही मा० प्राधिकरण बोर्ड से परिचालन के माध्यम से अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त "रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्शन" का प्रकाशन वेबसाइट www.etender.up.nic.in सहित समाचार पत्रों में कराते हुए आर०एफ०पी० फ्लोट की गयी। कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु आर०एफ०पी० के अनुसार प्रश्न/जिज्ञासाएँ प्राप्त करते हुए प्री-बिड मीटिंग आयोजित कर दिनांक ०४.०९.२०२१ तक टू-बिड पद्धति से ऑन-लाईन आर०एफ०पी० आमंत्रित की गई, परन्तु कोई बिड प्राप्त न होने के कारण पुनः दिनांक २९.०९.२०२१ को आर०एफ०पी० आमंत्रित की गयी, जिसके अन्तर्गत मात्र ०२ बिड प्राप्त हुई। आर०एफ०पी० में प्रतिभागी बिडर्स द्वारा बिडों के परिपेक्ष्य में मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित बिड इवेल्यूशन एवं इम्पलीमेन्टेशन कमेटी के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के उपरान्त समिति के सदस्यों द्वारा आर०एफ०पी० की शर्तों के अनुसार गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन (QCBS) के लिए निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत आर०एफ०पी० में निर्दिष्ट गणना पद्धति के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी तथा वित्तीय स्कोर के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर उच्चतम रैंक एच-१ प्राप्त करने वाले बिडर्स मै० मैनहार्ट (सिंगापुर) प्रा० लि० के वित्तीय प्रस्ताव धनराशि र० ३२०.०० लाख को कम किये जाने हेतु बिड इवेल्यूशन एवं इम्पलीमेन्टेशन कमेटी के समक्ष नेगोशिएशन किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक २९.१०.२०२१ को बैठक आहूत की गयी। बैठक मै० मैनहार्ट (सिंगापुर) प्रा० लि० द्वारा अपने वित्तीय प्रस्ताव को कम करते हुए र० २३५.०० लाख(जी०एस०टी० अतिरिक्त) पर कार्य करने की सहमति प्रदान की गयी, जिसे बिड इवेल्यूशन एवं इम्पलीमेन्टेशन कमेटी द्वारा आर०एफ०पी० मै० मैनहार्ट (सिंगापुर) प्रा० लि० के माध्यम से सहारनपुर नगर का सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कराये जाने हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत सहारनपुर नगर का सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में बिड इवेल्यूशन एवं इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की बैठक दिनांक २९.१०.२०२१ में प्रदान की गई स्वीकृति (संलग्नक-०२.१) के अनुपालन में मै० मैनहार्ट (सिंगापुर) प्रा० लि० की सहमति के आधार पर र० २३५.००(जी०एस०टी० अतिरिक्त) पर कराये जाने के सम्बन्ध में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के बजट में प्राविधान करते हुए प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक 29.10.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे मा० आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, सहारनपुर मण्डल/बिड इवेल्यूएशन एवं इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की अध्यक्षता में सहारनपुर का सिटी डेवलपमेन्ट प्लान (सहारनपुर नगर का समग्र विजन प्लान, उनकी कियान्वयन नीति तथा इन्टीग्रेटेड इन्फारेक्चर प्लान) तैयार किये जाने हेतु कन्सलटैन्ट चयन के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त :-
उपस्थिति :-

| | |
|---|----------------------|
| 1- उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर | - नोडल सदस्य/अधिकारी |
| 2- नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर | - सदस्य |
| 3- सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर | - सदस्य |
| 4- अपर निदेशक कोषागार, सहारनपुर | - सदस्य |
| 5- मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, सहारनपुर | - सदस्य |
| 6- अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनिधि-मुख्य अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, लि० सहा० | - सदस्य |
| 7- वित्त एवं लेखाधिकारी, सहारनपुर विकास प्राधिकरण | - सदस्य |
| 8- सहायक अभियन्ता, प्रतिनिधि-अधिशासी अभियन्ता, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर | - सदस्य |
| 9- राहायक अभियन्ता, प्रतिनिधि-अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सहारनपुर | - सदस्य |
| 10- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, सहारनपुर | - सदस्य |
| 11- परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, सहारनपुर | - सदस्य |
| 12- डा० तन्मय तरुण कुमार भट्टाचार्य, निदेशक मै० मैनहार्ट(सिंगापुर) प्रा० लि० | - बिडर |

बैठक में उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि मा० मुख्यमंत्री जी उ०प्र० की अपेक्षानुसार शारन के निर्देश के क्रम में सहारनपुर नगर का सिटी डेवलपमेन्ट तैयार किये जाने हेतु दृ-बिड पद्धति से दिनांक 29.09.2021 को आमंत्रित की गयी आर०एफ०पी० के अन्तर्गत मात्र 02 आर०एफ०पी० प्राप्त हुई। आर०एफ०पी० में प्रतिभागी बिडर्स द्वारा बिडों के परिपेक्ष्य में मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित बिड इवेल्यूएशन एवं इम्पलीमेन्टेशन कमेटी के समक्ष सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में Adequacy and quality of the proposed methodology, and work plan in responding to the reference (TORs) के संदर्भ में किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर समिति द्वारा प्रदान किये गये अंको तथा आर०एफ०पी० में निर्धारित मानदण्ड के सापेक्ष आर०एफ०पी० में अपलोड किये गये वांछित प्रपत्रों के आधार पर प्राप्त किये गये अंको सहित तकनीकी बिडों के मूल्यांकन हेतु निर्धारित 100 अंको के सापेक्ष मै० वायन्ट्स सौल्यूशन्स प्रा० लि० को कुल 83 अंक तथा मै० मैनहार्ट(सिंगापुर) प्रा० लि० को कुल 93 अंक प्राप्त हुये। तकनीकी बिडों में अर्हता हेतु निर्धारित न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने के फलस्वरूप प्राप्त दोनों बिडें तकनीकी रूप से अर्ह पायी गयी। वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार मै० वायन्ट्स सौल्यूशन्स प्रा० लि० के वित्तीय प्रस्ताव का मूल्य रु० 3,15,00,000.00 (जी०एस०टी अतिरिक्त) तथा मै० मैनहार्ट(सिंगापुर) प्रा० लि० के वित्तीय प्रस्ताव का मूल्य रु० 3,20,00,000.00(जी०एस०टी अतिरिक्त) का प्राप्त हुआ है।

वित्तीय प्रस्तावों के प्राप्तांकों की गणना हेतु निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों में न्यूनतम मूल्य वाले प्रस्तावों के सापेक्ष दोनों वित्तीय प्रस्तावों के प्राप्तांकों की गणना की गयी, जिसके आधार पर मै० वायन्ट्स सौल्यूशन्स प्रा० लि० को 100 अंक तथा मै० मैनहार्ट(सिंगापुर) प्रा० लि० को 98.437 अंक प्राप्त हुये हैं।


आर०एफ०पी० में Criteria for Quality Cum Cost Based Selection(QCBS) के लिए तकनीकी और वित्तीय प्राप्तांकों के आधार पर संयुक्त प्राप्तांकों की गणना हेतु निर्दिष्ट फार्मूले के आधार पर की गयी गणना का

अनुसार दोनों फर्मों में मैं ० मैनहार्ट(सिंगापुर) प्रा० लि० की ऐक उच्चतम (II-1) पारी गयी, जिसकी विलेय मूल्य ₹० ३,२०,०००.०० (जी०एस०टी अतिरिक्त) है, के प्रथम दृष्ट्या अधिक प्रतीत होने के कारण पत्रावली के नींद शीट संख्या ४३ पर आयुक्त महोदय द्वारा प्रदान की गयी रवीकृति के कम मैं मैं ० मैनहार्ट(सिंगापुर) प्रा० लि० से दूरे कम किए जाने के नेगोशिएशन के लिए आमंत्रित किये जाने के लिए विभागीय पत्र संख्या-१८८६/स०वि०प्रा०/सिंह०प्लाम/२०२१-२२ दिनांक २६.१०.२०२१ प्रेषित किया गया था।

समिति की बैठक में आमंत्रित उच्चतम रैक (II-1) प्राप्त विडर्सॉ मैं ० मैनहार्ट(सिंगापुर) प्रा० लि० के निदेशक एवं उनके अन्य सहयोगियों के साथ प्रस्ताव मैं अकिल मूल्य के राष्ट्रीय सहारनपुर नगर के प्रस्तावित सम्प्रति विकास प्लान उसकी कियान्वयन नीति तथा इन्टीप्रेटेड इनफार्स्ट्रक्चर प्लान के संदर्भ में विभिन्न विनुओं पर युन विस्तार से वर्णी की गयी। जिसके उपरान्त मैं ० मैनहार्ट(सिंगापुर) प्रा० लि० के निदेशक द्वारा विभिन्न घरणों में प्रस्तावित विलेय मूल्य का कम करते हुए अन्तिम रूप से धनराशि ₹० २,३५,००,०००.०० + जी०एस०टी० पर कार्य करने की मौखिक सहमति यक्ति करते हुए लिखित रूप से भी सहमति प्रदान की गयी। (सहमति पत्र दिनांक २९.१०.२०२१ पत्रावली में दर्या और रेखा) मौखिक द्वारा भी मैं ० मैनहार्ट(सिंगापुर) प्रा० लि० द्वारा अन्तिम रूप से दिये गये विलेय ऑफर धनराशि ₹० २,३५,००,०००.०० +जी०एस०टी० को औवित्यपूर्ण पाते हुए सहमति व्यक्त की गयी।


अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


अधिकारी अभियन्ता
स०वि०प्रा०
सहारनपुर।


अधिकारी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम
सहारनपुर।


अधिकारी अभियन्ता
रिंचाई विभाग २२-१०-२१ प्रा०खण्ड ल००निवि०
सहारनपुर। प्रदीप शुक्ति सहारनपुर।
सामाजिक अभियन्ता



मुख्य अभियन्ता
नगर निगम
सहारनपुर।


मुख्य अभियन्ता
परिवार्मांचल वि०वि०नि०लि०
सहारनपुर।

अपर निदेशक
कोषागार
सहारनपुर।


सार्विक
स०वि०प्रा०
सहारनपुर।


नगर अयुक्त
नगर निगम
सहारनपुर।


उपाध्यक्ष
स०वि०प्रा०
सहारनपुर।


आयुक्त
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64 / 03

विषय :वित्तीय वर्ष 2021-22 दिनांक 30.11.2021 तक वार्तविक आंकड़े एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित आय व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिनांक 30.11.2021 तक वार्तविक एवं वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित आय-व्ययक आंकड़े माननीय वोर्ड के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि यथोचित विचारोपरान्त प्रस्तुत आंकड़ों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

९
सहारनपुर विकास प्राधिकरण

आय - व्ययक एक दृष्टि में

प्रारूप - ६

| क्र. सं. | विवरण | वास्तविक आंकड़े वर्ष 2020-21 | मूल (बजट) आय व्ययक के आंकड़े वर्ष 2021-22 | वास्तविक आंकड़े (2021-22) 30.11.2021 तक | आय व्ययक पुनरीक्षित प्राविधान वर्ष 2021-22 |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| १. | इरानिक अवशेष | 2,223.06 | 2,188.58 | 2,188.58 | 2,542.80 |
| २. | राजस्व प्राप्तिया | 972.78 | 2,783.00 | 951.13 | 2,758.00 |
| ३. | पूँजीगत प्राप्तिया | 918.67 | 2,760.50 | 236.11 | 2,735.50 |
| ४. | दोन | 1,891.45 | 5,543.50 | 1,187.24 | 5,493.50 |
| ५. | इरानिक अवशेष जोड़कर कुल प्राप्तिया | 4,114.51 | 7,732.08 | 3,375.82 | 8,036.30 |
| ६. | राजस्व व्यय | 484.08 | 841.35 | 300.08 | 846.35 |
| ७. | पूँजीगत व्यय | 1,441.85 | 4,696.00 | 532.94 | 4,976.00 |
| ८. | कुल व्यय | 1,925.93 | 5,537.35 | 833.02 | 5,822.35 |
| ९. | अंतिम अवशेष | 2,188.58 | 2,194.73 | 2,542.80 | 2,213.95 |

श्रमन्द शर्मा
विधिक

वित्त एवं सिक्षाविकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण

| क्र. नं. | व्यय का शीर्षक (आऊट पत्ते) | वारसंविक आकड़े वर्ष 2020-21 | मूल (बजट) आय व्ययक के आंकड़े वर्ष 2021-22 | वारसंविक आकड़े (2021-22) 30.11.2021 तक | आय व्ययक पुनरीक्षित प्राविधान वर्ष 2021-22 |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|---|
| | पूर्जीगत व्यय | | | | |
| 34 | अवस्थापना विकास कार्य/पार्कों के जीर्णद्वारा/विहारण | 1,013.50 | 1,500.00 | 521.23 | 1,500.00 |
| 35 | सिटी डेवलपमेंट प्लान | | | | 278.00 |
| 36 | वृत्तारोपण | - | 20.00 | - | 22.00 |
| 37 | ठेकेदारों से प्राप्त जमानत की राशि वापसी/अन्य व्यय | - | 15.00 | - | 15.00 |
| | योग | 1,013.50 | 1,535.00 | 521.23 | 1,815.00 |
| 38 | मुमि क्रय इ डबलू एस योजना (Affordable Housing) | | - | - | - |
| 39 | निर्माण कार्य इ डबलू एस योजना(Affordable Housing) | - | - | - | - |
| 40 | मुमि क्रय नदी आवासीय योजना/एस एल ओ | - | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
| 41 | नदी आवास योजना मे विकास कार्य | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| | योग | - | 2,700.00 | - | 2,700.00 |
| 42 | नदीन कार्यालय के निर्माण हेतु/कमचारी आवास हेतु | 2.52 | 200.00 | 5.19 | 200.00 |
| | योग | 2.52 | 200.00 | 5.19 | 200.00 |
| 43 | टी पी नगर पजीकरण शुल्क वापसी | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 44 | इम्बे योजना पजीकरण शुल्क वापसी | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 45 | टी पी नगर एक मुश्त भुगतान पर छूट | - | 50.00 | - | 50.00 |
| | योग | - | 61.00 | - | 61.00 |
| 46 | टी पी नगर योजना मे निर्माण कार्य | 425.83 | 200.00 | 6.52 | 200.00 |
| | योग | 425.83 | 200.00 | 6.52 | 200.00 |
| | कुलयोग | 1,441.85 | 4,696.00 | 532.94 | 4,976.00 |
| | योग | 1,925.93 | 5,537.35 | 833.02 | 5,822.35 |
| | अन्तिम अवशेष | 2,188.58 | 2,194.73 | 2,542.80 | 2,213.95 |
| | अन्तिम अवशेष के साथ योग | 4,114.51 | 7,732.08 | 3,375.82 | 8,036.30 |

प्रभाद्र शर्मा
लिपिक

व्रत एवं प्रविकारां
रत्नपुर विकास प्राविकरण
गहारनपुर

११

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

बजट वर्ष 2021-2022

प्रारूप - ५
(रुलाख में)

व्यय

| क्र. सं. | व्यय का शीर्षक (फैश आँड पल) | वार्षिक आंकड़े वर्ष 2020-21 | मूल (बजट) आय व्ययक के अंकड़े वर्ष 2021-22 | वार्षिक आंकड़े (2021-22) 30.11.2021 तक | आय व्यय पुनरीक्षित प्रविधान वर्ष 2021-22 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | प्रशासनिक व्यय | | | | |
| 1 | उतन महगाई भत्ता सी पी एफ आदि | 393.03 | 500.00 | 242.91 | 500.00 |
| 2 | पेशन अंशदान | 15.53 | 25.00 | 23.90 | 25.00 |
| 3 | बोनस | 1.10 | 2.00 | 1.04 | 2.00 |
| | योग | 409.66 | 527.00 | 267.85 | 527.00 |
| 4 | यात्रा व्यय | 0.73 | 10.00 | 1.27 | 10.00 |
| 5 | विधित एवं जनरेटर | 5.30 | 12.00 | 3.78 | 12.00 |
| 6 | टेलीफोन | 1.55 | 3.00 | 0.88 | 3.00 |
| 7 | विनिग्रह एवं स्टेशनरी | 1.17 | 5.00 | 0.70 | 5.00 |
| 8 | प्रदाता एवं प्रसार | 1.29 | 5.00 | 0.06 | 5.00 |
| 9 | वाहन रखरखाव व्यय / बीमा | 12.02 | 15.00 | 7.36 | 15.00 |
| 10 | चिकित्सा व्यय | 1.78 | 4.00 | 1.05 | 4.00 |
| 11 | नया वाहन क्रय हेतु | - | 15.00 | - | 15.00 |
| | योग | 23.84 | 69.00 | 15.10 | 69.00 |
| | आडिट फीस, लीगल फीस इत्यादि | | | | |
| 12 | आडिट फीस | 0.22 | 5.00 | - | 1.00 |
| 13 | लीगल फीस | 5.47 | 15.00 | 4.84 | 15.00 |
| 14 | लेख रखरखाव/प्रोफेशनल फीस | 1.30 | 2.00 | 0.54 | 2.00 |
| | योग | 6.99 | 22.00 | 5.38 | 18.00 |
| | कार्यालय व्यय | | | | |
| 15 | कार्यालय रखरखाव एवं मरम्मत/कथ | 6.66 | 20.00 | 5.25 | 20.00 |
| 16 | कॉटो स्टेट व्यय | 0.28 | 2.00 | 0.11 | 1.00 |
| 17 | जल पान व्यय | 1.55 | 2.00 | 0.98 | 2.00 |
| 18 | मदनकर/ जलकर | - | 0.25 | - | 0.25 |
| 19 | युनिकार्म व्यय | - | 0.10 | - | 0.10 |
| 20 | एल टी सी | - | 2.00 | - | 2.00 |
| 21 | उनीचर पर व्यय | - | 5.00 | - | 5.00 |
| 22 | कम्प्युटर पर व्यय | 0.45 | 5.00 | - | 15.00 |
| 23 | कम्प्युटर माफ्टवेर | 0.44 | - | - | |
| 24 | आर्किट रेफरेण्स व्यय | 2.59 | 8.00 | 0.93 | 8.00 |
| 25 | दूल्ह एवं मशीनरी व्यय/वेब साईट | 0.35 | 15.00 | 1.71 | 15.00 |
| 26 | टाक व्यय | 0.28 | 1.00 | 0.10 | 1.00 |
| | योग | 12.60 | 60.35 | 9.08 | 69.35 |
| | अन्य व्यय | | | | |
| 27 | अन्य व्यय | 2.62 | 10.00 | 1.39 | 10.00 |
| 28 | गंगर पालिका परिषद (अम्बार शुल्क) | 26.85 | 40.00 | - | 40.00 |
| 29 | धारास बशु अंशदान | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
| 30 | मास्टर प्लान/जोनल प्लान/सैव | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 31 | कम्पारी एवं अन्य को अप्रिम / | - | 5.00 | - | 5.00 |
| 32 | सामुदायिक केन्द्र का रखरखाव | 0.32 | 6.00 | 0.08 | 6.00 |
| 33 | आयकर भुगतान/ सर्विस टैक्स | - | 50.00 | - | 50.00 |
| | योग | 30.99 | 163.00 | 2.67 | 163.00 |
| | कुल योग | 484.08 | 841.35 | 300.08 | 846.35 |

प्राधिकरण
सहारनपुर

वक्त एवं लेखाधिकारी
महारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

सहारनपुर विकास प्राधिकरण
पुनरीक्षित बजट वर्ष 2021-2022

प्रारूप - 4

आय

(लाख रु०गे)

| क्रम संख्या | आय का शीर्षक (केश इनपलो) | वास्तविक आकड़े वर्ष 2020-21 | मूल (बजट) आय व्ययक के आंकड़े वर्ष 2021-22 | वास्तविक आकड़े (2021-22) 30.11.2021 तक | आय व्ययक पुनरीक्षित प्राविधान वर्ष 2021-22 |
|-------------|---|-----------------------------|---|--|--|
| | प्राप्तिया | | | | |
| 1 | भवन निर्माण / कार क्य अधिगम की घसूली | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 2 | मानविक प्रत्युत्तिकरण शुल्क | 12.90 | 30.00 | 9.49 | 30.00 |
| 3 | सुदृढीकरण शुल्क | 13.17 | - | - | - |
| 4 | शमन शुल्क (भू उपविभाजन शुल्क सहित) | 376.51 | 650.00 | 351.46 | 650.00 |
| 5 | विकास शुल्क | 314.79 | 500.00 | 385.08 | 500.00 |
| 6 | भू - उपयोग शुल्क | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 7 | लाईसेन्स शुल्क | 0.01 | 2.00 | - | 2.00 |
| 8 | पार्क अधिभार | 10.64 | 20.00 | 14.30 | 20.00 |
| 9 | प्रभाव शुल्क | 27.50 | 100.00 | 130.68 | 100.00 |
| 10 | स्टाम्प डियूटी | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 11 | व्याज (सेविंग एव सावधि) बैंक खाते | 34.04 | 75.00 | 2.17 | 50.00 |
| 12 | व्याज (अवस्थापना निधि) बैंक खाते/एफ डी आर/अन्य | 125.91 | 200.00 | 11.40 | 200.00 |
| 13 | निरीक्षण शुल्क | 17.59 | 35.00 | 15.13 | 35.00 |
| 14 | अम्बार शुल्क | 26.85 | 40.00 | 25.88 | 40.00 |
| 15 | अन्य आय (टेंडर सेल) | 4.52 | 20.00 | 1.90 | 20.00 |
| 16 | सड़क अधिभार | 8.35 | 10.00 | 3.64 | 10.00 |
| 17 | अधिगम प्राप्ति (समायोजन) | 972.78 | 2,783.00 | 951.13 | 2,758.00 |
| | योग | | | | |
| | पूँजीगत प्राप्तियाँ | | | | |
| 18 | टी पी नगर किस्त पर व्याज | 1.01 | 25.00 | - | 25.00 |
| 19 | व्याज (सेविंग सावधि) बैंक खाते टी पी नगर | 8.66 | 50.00 | - | 25.00 |
| 20 | सम्पति पजीकरण(नयी योजना) | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 21 | टैम्ब योजना किस्त | - | 0.50 | - | 0.50 |
| 22 | मुख्यमंडी की दिकों से आय (टी पी नगर किस्त प्राप्तिया) | 852.51 | 1,000.00 | 235.21 | 1,000.00 |
| 23 | कर्णी की प्राप्ति (नयी योजना के लिए) | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| 24 | सामुदायिक केन्द्र प्राप्तिया | 1.87 | 10.00 | 0.90 | 10.00 |
| 25 | सेल्टर फीस | 54.62 | 75.00 | - | 75.00 |
| | योग | 918.67 | 2,760.50 | 236.11 | 2,735.50 |
| | कुल योग | 1,891.45 | 5,543.50 | 1,187.24 | 5,493.50 |
| | प्रारम्भिक अवशेष | 2,223.06 | 2,188.58 | 2,188.58 | 2,542.80 |
| | प्रारम्भिक अवशेष के साथ योग | 4,114.51 | 7,732.08 | 3,375.82 | 8,036.30 |

वर्त एवं लघुप्राधिकारी
महारनपुर विकास प्राधिकरण
महारनपुर

४४
धर्मन्द शर्मा
विधिक

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64 / 04

विषय:- ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्मित 17 दुकानों के मूल्यांकन में आरोपित की जाने वाली भूमि की दर के निर्धारण के सम्बन्ध में।

इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश संख्या-353/स0विप्रा0/2021 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा निम्नवत समिति गठित की गयी :-

- 1- वित्त एवं लेखाधिकारी
- 2- अधिशासी अभियन्ता
- 3- सहायक अभियन्ता (श्री रमन कुमार)

उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 14.12.2021(संलग्नक-04.1) में उल्लेख किया गया है कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना में प्राधिकरण द्वारा 17 दुकानों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2009–10 में कराया गया था। पूर्व में वर्ष 2006–07 में ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी कार्य एवं उससे सम्बन्धित व्यवसाय के लिये ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूमि आवंटन हेतु भूमि दर का मूल्यांकन परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित करते हुये भूमि का आवंटन किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त योजना में दुकानें, क्योसक, पेट्रोल पम्प, धर्मकांटा, होटल, गेस्टहाउस एवं कामर्शियल काम्पलैक्स के भूखण्डों की दर सामान्य निर्धारित भूमि दर का दोगुना निर्धारित की गई थी। विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिये शासनादेश संख्या-4049/9आ-1-99/16समिति/1998 दिनांक 20.11.1999 द्वारा निर्गत आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रत्यर्थ-02 में निर्धारित व्यवस्था के आलोक में प्राधिकरण की 37वीं वोर्ड वैठक दिनांक 26.02.2010 के आईटम सं0 37/04 में मा0 वोर्ड द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अवशेष भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करते हुये भूमि का आरक्षित मूल्य जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर हेतु घोषित सर्किल रेट रु 10,000/- प्रति वर्ग मीटर के अनुसार निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मा0 वोर्ड द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के कम में कालान्तर में विभिन्न वित्तीय वर्षों हेतु प्रश्नगत दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर 15.00 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर रिथित अकृपक भूमि हेतु निर्धारित दर ली जाती रही थी (संलग्नक-04.2) परन्तु वर्ष 2018 में किये गये दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर लेते हुये गणना की गई (संलग्नक-04.3)। जबकि प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई दुकानें परिवर्तवद्व होने के साथ ही दुकानों के सम्मुख आच्छादित कोरिडोर एवं खुली भूमि जो जनसामान्य के प्रयोगार्थ है, का मूल्य दुकानों के मूल्यांकन में सम्मालित है। इस प्रकार दुकानों के मूल्यांकन में ली गई एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

प्राधिकरण की सम्पत्ति के विक्रय हेतु समय-समय पर खोले गये पंजीकरण एवं आयोजित कैम्पों में अथक प्रयासों के बाद भी इन दुकानों को क्य किये जाने हेतु आज तक कोई भी आवेदन प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका एकमात्र मुख्य कारण दुकानों के मूल्यांकन के भूमि घटक में आरोपित एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर के फलस्वरूप

दुकानों के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। निर्माण के लगभग 11 वर्षों के उपरान्त भी दुकानों का विकाय न हो पाने के कारण एक ओर प्रत्येक वर्ष व्याज की धनराशि एवं सर्किल रेट में निरन्तर बढ़ोत्तरी होने के कारण दुकानों के मूल्य में उत्तरातर वृद्धि हो रही, वही दूसरी ओर प्राधिकरण द्वारा दुकानों के निर्माण पर छाय की गई धनराशि भी अवरुद्ध होने एवं उचित रख-खाव के अधाव में निर्माण हास होने के साथ दुकानों की देखभाल भी प्राधिकरण के लिये समस्या है।

उल्लेखनीय हैं कि प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना को ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी कार्यों/व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत दुकानों का निर्माण भी ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी लघु/मध्यम व्यावसायियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये ही कराया गया है। वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अवशेष भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से विकाय किये जाने हेतु भूमि की आरक्षित मूल्य कलैक्टर, सहारनपुर द्वारा 15.00 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर के आधार पर किया जा रहा है। यदि दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर के स्थान पर 15.00 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर आरोपित करते हुये आरक्षित मूल्य की गणना की जाती है तो दुकानों की निर्माण न्यूनतम दर एवं भूमि लागत में सतुंलन होने के साथ ही दुकानों के विकाय की समावंना में भी लागत एवं भूमि लागत में सतुंलन होने के साथ ही दुकानों के विकाय की समावंना में भी वृद्धि होगी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्मित दुकानों के मूल्यांकन में भूमि के मूल्य की गणना वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विकाय किये जा रहे अवशेष भूखण्डों की विकाय दर (कलैक्टर, सहारनपुर द्वारा 15.00 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर ₹ 20,000.00 प्रति वर्ग मी०) से करते हुए दुकानों को किये गये मूल्यांकन के आधार पर (मूल्यांकन अवलोकनार्थ संलग्नक-04.4 है।) दुकानों को नीलामी पद्धति से निरस्तारित/विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव गा० वोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षण आख्याराधिक/उपाध्यक्ष महोदय

कृपया आपके कार्यालय आदेश राख्या-353/स0विप्रा0/2021 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना में समय-समय पर नीलामी की कार्यवाही के पश्चात भी विक्रय हेतु अवशेष भूखण्डों/दुकानों के विक्रय न हो पाने के कारणों के परीक्षण एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करने की दृष्टि से गठित समिति द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संदर्भ में योजना का संयुक्त निरीक्षण करते हुए सम्पत्ति विक्रय न हो पाने से सम्बन्धित तथ्यों का परीक्षण किया गया। तदकम में आख्या निम्नवत है :-

1- पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के सम्बन्ध में।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ले-आउट के अनुसार योजना की 38.00 मी0 चौड़ी मुख्य सड़क पर पेट्रोल पम्प हेतु लगभग 943.40 वर्ग मी0 क्षेत्रफल का भूखण्ड आरक्षित है। वर्तमान में कलैक्टर, सहारनपुर द्वारा अकृपक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर रु0 20,000.00 प्रति वर्ग मी0 के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड का कुल मूल्य रु0 188.68 लाख होता है, जिस पर रजिस्ट्री एवं फी-होल्ड शुल्क पृथक से देय होगा। ज्ञातव्य है कि पेट्रोल पम्प हेतु आरक्षित प्रश्नगत भूखण्ड योजना के समुख देहरादून-सहारनपुर राष्ट्रीय राज मार्ग पर ही लगभग 500 मी0 की परिधि में 2 पेट्रोल पम्प सचालित हैं तथा योजना से लगभग 1.00किमी0 की दूरी पर भी 2 अन्य पेट्रोल पम्प देहरादून रोड व जनता रोड पर पूर्व से सचालित हैं। इस कारण देहरादून, अम्बाला, घिलकाना तथा चकरौता की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर आने वाले वाहनों को डीजल-पेट्रोल भरवाने आदि की सुविधा मुख्य मार्ग पर सहजता से उपलब्ध होने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल पम्प के तुलानात्मक दृष्टि से सफलतापूर्वक सुचारू संचालन के संदेह को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी निवेशक लगभग 200.00 लाख से अधिक धनराशि का निवेश भूमि क्य पर करने का पक्षधर प्रतीत नहीं हो रहे हैं। वस्तुतः पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अवयव है। इस कारण ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन की उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य के साथ ही विक्रय की संभावना में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यदि पेट्रोल पम्प के आरक्षित भूखण्ड के क्षेत्रफल को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत प्राविधानित फिलिंग स्टेशन हेतु न्यूनतम 16.00×14.00 मी0 कुल क्षेत्रफल 224.00 वर्ग मी0 भूखण्ड के सापेक्ष 30.69×20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 633.75 वर्ग मी0 करते हुए अवशेष भाग को 15.00×20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 309.75 वर्ग मी0 के भूखण्ड के रूप में विक्रय किया जा सकता है, जिससे पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के भूखण्ड के विक्रय की संभावना में भी वृद्धि होगी। इससे प्राधिकरण को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं होगी।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण हित में समिति ट्रांसपोर्ट नगर योजना के पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान (संलग्नक-1) में पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड को भवन निर्माण एवं उपविधि के अन्तर्गत प्राविधानित न्यूनतम क्षेत्रफल एवं मापों के आधार पर कम करते हुए 30.69×20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 633.75 वर्ग मी0 तथा अवशेष 15.00×20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 309.75 वर्ग मी0 को व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में संशोधन उपरान्त प्रस्तावित (संलग्नक-2) ले-आउट प्लान के अनुसार विक्रय किये जाने की संस्तुति करती है।

2- ट्रांसपोर्ट नगर योजना में 'X' आकार में 16 क्योस्कों के भूखण्डों के पुर्णरीक्षित/संशोधित नियोजन के सम्बन्ध में।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में देहरादून-सहारनपुर मार्ग से लगभग 700.00 मी0 दूर पर योजना की मुख्य सड़क के दोनों ओर 'X' आकार में 3.05×3.28 मी0 माप (क्षेत्रफल 10.00 वर्ग मी0) के 16 क्योस्कों के भूखण्डों का नियोजन पूर्व स्वीकृत ले-आउट (संलग्नक-3) में किया गया है। सभी क्योस्कों के भूखण्डों की पहुँच मुख्य सड़क से आगे-पीछे हाने के कारण इन भूखण्डों का विक्रय नहीं हो पा रहा है। इसके दृष्टिगत रखते हुए इन क्योस्कों के समुख 3.00 गीटर चौड़ा पाथ-वे का प्राविधान किया जाना उचित होगा (प्रस्तावित नियोजन संलग्न) जिससे इन भूखण्डों का विक्रय सम्भावित हो सकें। इससे विक्रय योग्य क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपरोक्तानुसार समिति स्वीकृत ले-आउट प्लान में 'X' आकार के 16 क्योर्स्को के भूखण्डों का नियोजन पक्षितबद्ध रूप से करते हुए समरत क्योर्स्को के समुख 03.00 मी० चौड़े पाथ-वे का प्राविधान करते हुए पुर्ननियोजन किये जाने संस्तुति करती है।

3-ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्मित 17 दुकानों के सम्बन्ध में।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में प्राधिकरण द्वारा 17 दुकानों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2009-10 में कराया गया था। पूर्व में वर्ष 2006-07 में ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी कार्य एवं उससे सम्बन्धित व्यवसाय के लिये ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूमि आवंटन हेतु भूमि दर का मूल्यांकन परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित करते हुये भूमि का आवंटन किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त योजना में दुकानें, क्योर्सक, पेट्रोल पम्प, धर्मकांठा, होटल, गेस्टहाउस एवं कामर्शियल काम्पलैक्स के भूखण्डों की दर सामान्य निर्धारित भूमि दर का दोगुना निर्धारित की गई थी। विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिये शासनादेश संख्या- 4049/93A-1-99/16 समिति/1998 दिनांक 20.11.1999 द्वारा निर्गत आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर-02 में निर्धारित व्यवस्था के आलोक में प्राधिकरण की 37वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.02.2010 के आईटम सं037/04 में मा० बोर्ड द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अवशेष भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करते हुये भूमि का आरक्षित मूल्य जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर हेतु घोषित सर्किल रेट रु 10,000/- प्रति वर्ग मीटर के अनुसार निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मा० बोर्ड द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में कालान्तर में विभिन्न वित्तीय वर्षों हेतु प्रश्नगत दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर 15.00 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर स्थित अकृषक भूमि हेतु निर्धारित दर ली जाती रही थी (संलग्नक-4) परन्तु वर्ष 2018 में किये गये दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर लेते हुये गणना की गई (संलग्नक-05)। जबकि प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई दुकानें पक्षितबद्ध होने के साथ ही दुकानों के समुख आच्छादित कोरिडोर एवं खुली भूमि जो जनसामान्य के प्रयोगार्थ है, का मूल्य दुकानों के मूल्यांकन में सम्मिलित है। इस प्रकार दुकानों के मूल्यांकन में ली गई एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

प्राधिकरण की सम्पत्ति के विक्रय हेतु समय-समय पर खोले गये पंजीकरण एवं आयोजित कैम्पों में अथक प्रयासों के बाद भी इन दुकानों को क्रय किये जाने हेतु आज तक कोई भी आवेदन प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है। जिसका एकमात्र मुख्य कारण दुकानों के मूल्यांकन के भूमि घटक में आरोपित एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर के फलस्वरूप दुकानों के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। निर्माण के लगभग 11 वर्षों के उपरान्त भी दुकानों का विक्रय न हो पाने के कारण एक ओर प्रत्येक वर्ष ब्याज की धनराशि एवं सर्किल रेट में निरन्तर बढ़ोत्तरी होने के कारण दुकानों के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही, वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण द्वारा दुकानों के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि भी अवरुद्ध होने एवं उचित रख-रखाव के अभाव में निर्माण हास होने के साथ दुकानों की देखभाल भी प्राधिकरण के लिये समर्था है।

ज्ञातव्य है कि प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना को ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी कार्यों/व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु विकसित किया गया है। जिसके अन्तर्गत दुकानों का निर्माण भी ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी लघु/मध्यम व्यवसायियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये ही कराया गया है। वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अवशेष भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु भूमि की आरक्षित मूल्य कलैक्टर, सहारनपुर द्वारा 15.00 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर के आधार पर किया जा रहा है। यदि दुकानों के मूल्यांकन में भूमि

की दर एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर के स्थान पर 15.00 मी० रो अधिक छोड़े रारते पर अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर आरोपित करते हुये आरक्षित गूल्य की गणना की जाती है तो दुकानों की निर्माण लागत एवं भूमि लागत में सहुंलन होने के साथ ही दुकानों के विक्रय की राम्भावंना में भी वृद्धि होगी।


उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्मित दुकानों के मूल्यांकन में भूमि के मूल्य की गणना वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विक्रय किये जा रहे अवशेष भूखण्डों की विक्रय दर (कलैक्टर, सहारनपुर द्वारा 15.00 मी० रो अधिक छोड़े रारते पर अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर रु 20,000.00 प्रति वर्ग मी०) रो करते हुए भूमि के मूल्य में ब्याज सहित निर्माण लागत को सम्मिलित करते हुए किये गये मूल्यांकन के आधार पर (मूल्यांकन समिति संरचित करती है।) दुकानों को नीलामी पद्धति से निरतारित/विक्रय किये जाने हेतु

(रमन कुमार)
सहायक अभियन्ता


(अनिल कुमार मिश्रा)
अधिशासी अभियन्ता

(रीता आर्पा)
वित्त एवं लेखाधिकारी

ROAD 9.00 M. WIDE



ROAD 9.00 M. WIDE



ROAD 7.50 M. WIDE

| SCHEDULE OF AREA | | SQMT |
|------------------|----------------------------|---------|
| 61 | TOTAL LAND AREA | 1774.04 |
| 62 | TOTAL PLOTED AREA | 1716.80 |
| 63 | OPEN AREA | 1506.04 |
| 64 | PARKING/PATHWAY/GREEN AREA | |

| MODIFIED PLANNING BLOCK AREA | | SQMT |
|------------------------------|----------|------------|
| 5 NO. SCHEDULE OF AREA | | SQMT |
| 61 | KIOSK 1 | 12.25 SQMT |
| 62 | KIOSK 2 | 12.25 SQMT |
| 63 | KIOSK 3 | 12.25 SQMT |
| 64 | KIOSK 4 | 12.25 SQMT |
| 65 | KIOSK 5 | 12.25 SQMT |
| 66 | KIOSK 6 | 12.25 SQMT |
| 67 | KIOSK 7 | 12.25 SQMT |
| 68 | KIOSK 8 | 12.25 SQMT |
| 69 | KIOSK 9 | 12.25 SQMT |
| 70 | KIOSK 10 | 12.25 SQMT |
| 71 | KIOSK 11 | 12.25 SQMT |
| 72 | KIOSK 12 | 12.25 SQMT |
| 73 | KIOSK 13 | 12.25 SQMT |
| 74 | KIOSK 14 | 12.25 SQMT |
| 75 | KIOSK 15 | 12.25 SQMT |
| 76 | KIOSK 16 | 12.25 SQMT |

ROAD 15.00 M. WIDE

ORIGINAL PLANNING BLOCK

PROJECT:-

E.E.-


A.E.-

J.E.-

MODIFIED PLANNING BLOCK

ROAD 9.00 M. WIDE

MODIFIED PLANNING BLOCK



Ar. MANMEET SINGH BAJAJ
M.S. BAJAJ & ASSOCIATES
ARCHITECT, ENGINEERS PLANNERS & VALUERS,
SOPHIA MARKET COURT ROAD,
SAHARANPUR-247001
TEL.No - 0172-274396, 098970-66906, 098370-23300
CORPORATE OFFICE :-
B-31, SECTOR-44, NOIDA-201301
(UTTAR PRADESH)

DATE :-
18-12-2021

ESTD : 1972

| क्र. सं. | प्राप्ति - रोड परीक्षा में दर्शक का नाम | प्रेसी मगरीय, जीवनगरी या सा माजिक | अंकुरक भूमि या न्हृत्या दरे | जागिर की किसाई दरे पर | राजस्थानी विभागीय विधि का अनुसार राजस्थानी विधि का अनुसार दरे | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | राजस्थानी विधि का अनुसार दरे | | | | | | | |
| | | | | | राजस्थानी विधि (0-200 मीटर तक) | राजस्थानी विधि (200-500 मीटर तक) | राजस्थानी विधि (500-1000 मीटर तक) | राजस्थानी विधि (1000-1500 मीटर तक) | राजस्थानी विधि (1500-2000 मीटर तक) | राजस्थानी विधि (2000-3000 मीटर तक) | राजस्थानी विधि (3000-4000 मीटर तक) | राजस्थानी विधि (4000-5000 मीटर तक) |
| | | | | | दरे | दरे | दरे | दरे | दरे | दरे | दरे | दरे |
| 190 | 1251 | दरा निजपाना (लालीक विहार) | नगरीय देव | 5000 | 5400 | 5900 | 140 | - | - | - | - | - |
| 193 | 1251 | दरा निलकाना (शाकुमारी विहार) | नगरीय देव | 6200 | 7200 | 7900 | 130 | - | - | - | - | - |
| 194 | 1251 | दरा निलकाना (रामर विहार) | नगरीय देव | 6200 | 7200 | 7900 | 130 | - | - | - | - | - |
| 195 | 1251 | दरा मिलकाना (हरदेव नगर) | नगरीय देव | 5400 | 7200 | 7900 | 110 | - | - | - | - | - |
| 196 | 1233 | दरा राजपुरा | नगरीय देव | 4400 | 5400 | 5900 | 110 | - | - | - | - | - |
| 197 | 1233 | दरा राजपुरा (योनि 81 रो 109 तक, 177 रो 179 तक) (योनि 89, 91 य 100 को छोड़कर) | नगरीय देव | 4400 | 5100 | 5900 | 110 | 220 | 210 | 200 | 180 | 160 |
| 198 | 1233 | दरा राजपुरा (अमरीपीय कालोगी) | नगरीय देव | 7200 | 9000 | 9800 | 140 | - | - | - | - | - |
| 199 | 1233 | दरा राजपुरा (जीर्ण विहार) | नगरीय देव | 7200 | 9000 | 9800 | 140 | - | - | - | - | - |
| 200 | 1233 | दरा राजपुरा (इन्द्रपुरी) | नगरीय देव | 5400 | 7200 | 7900 | 130 | - | - | - | - | - |
| 201 | 1233 | दरा राजपुरा (शृंखि विहार) | नगरीय देव | 5000 | 6200 | 9000 | 110 | - | - | - | - | - |
| 202 | 1233 | दरा राजपुरा(मिशोर वाटिका) | नगरीय देव | 6200 | 7200 | 10800 | 140 | - | - | - | - | - |
| 203 | 1233 | दरा राजपुरा (गामदेनु नगर) | नगरीय देव | 8100 | 9900 | 10900 | 140 | - | - | - | - | - |
| 204 | 1233 | दरा राजपुरा (गुहारान) | नगरीय देव | 8100 | 9900 | 10900 | 140 | - | - | - | - | - |
| 205 | 1233 | दरा राजपुरा (कुद्रे काम्पलैज फेरा-1 य फेरा-2) | नगरीय देव | 5400 | 7200 | 7900 | 110 | - | - | - | - | - |
| 206 | 1233 | दरा राजपुरा (गणपति विहार) | नगरीय देव | 5000 | 6300 | 6900 | 130 | - | - | - | - | - |
| 207 | 1233 | दरा राजपुरा (गोदिन्द विहार) | नगरीय देव | 8100 | 9900 | 10900 | 140 | - | - | - | - | - |
| 208 | 1233 | दरा राजपुरा (देव देवालार) | नगरीय देव | 7200 | 9000 | 9800 | 130 | - | - | - | - | - |
| 209 | 1233 | दरा राजपुरा (दृष्टिपोर्ट गांव) | नगरीय देव | 5400 | 7200 | 7900 | 130 | - | - | - | - | - |
| 210 | 1233 | दरा राजपुरा (वेतन विहार) | नगरीय देव | 5400 | 7200 | 7900 | 130 | - | - | - | - | - |

पर्यायिकारी (वित्त एवं राजस्व)
राहारनपुर

कलकटा
राहारनपुर

उत्तरायणी दिनांक 18/08/2021]

| क्रम संख्या | लोपटवे परमेश्वर आनंदित चिंगा वी-पोड | स्थान जागरूक शासकीय काम कार्यालय काम कार्यालय | भेदभाव नगरीय ज़िल्हा काम कार्यालय | उत्तरायणी की विविध सर्वे (₹०) | | | उत्तरायणी की विविध सर्वे उत्तरायणी की विविध सर्वे (वायर आवै जा) | | | एकल लुकान पर चारों ओर अधिकारी भी चुप्पी की चूनतान दर (प्रति मर्ग मीटर) (रु० में) | | | | |
|----------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| | | | | ६ भोवर परा भोवर साड़े परा | ० भोवर साड़े परा | १० भोवर साड़े परा | १३ भोवर साड़े परा | १३ भोवर साड़े परा | ५५ परा साड़े परा | ५५ परा साड़े परा | ५५ परा साड़े परा | ५५ परा साड़े परा | ५५ परा साड़े परा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 262 | 1233 | दरा राजपुरा (कामधेनु नगर) | नगरीय क्षेत्र | 10000 | 12000 | 13000 | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 | |
| 263 | 1233 | दरा राजपुरा (कुमारांग) | नगरीय क्षेत्र | 9900 | 11400 | 12500 | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 | |
| 264 | 1233 | दरा राजपुरा (कुबेर कामधेनु फेसला व फेरा-2) | नगरीय क्षेत्र | 10000 | 12000 | 13000 | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 | |
| 265 | 1233 | दरा राजपुरा (राणपति विहार) | नगरीय क्षेत्र | 6300 | 7500 | 7900 | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 | |
| 266 | 1233 | दरा राजपुरा (गोविंद विहार) | नगरीय क्षेत्र | 10000 | 11800 | 12400 | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 | |
| 267 | 1233 | दरा राजपुरा (प्रेटर कैलाश) | नगरीय क्षेत्र | 10000 | 11000 | 11300 | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 | |
| 268 | 1233 | दरा राजपुरा (द्रास्सोर्ट नगर) | नगरीय क्षेत्र | 19000 | 19500 | 20000 | - | - | - | - | 45000 | 41000 | 37000 | |
| 269 | 1233 | दरा राजपुरा (चेतन विहार) | नगरीय क्षेत्र | 6800 | 8700 | 9100 | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 | |
| 270 | 1233 | दरा राजपुरा (ज्योति विहार) | नगरीय क्षेत्र | 6800 | 8700 | 9100 | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 | |
| 271 | 1233 | दरा राजपुरा (दिशविहार कालोनी) | नगरीय क्षेत्र | 5800 | 6300 | 6800 | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 | |
| 272 | 1233 | दरा राजपुरा (देवपुरग कालोनी) | नगरीय क्षेत्र | 5500 | 6500 | 6800 | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 | |
| 273 | 1233 | दरा राजपुरा (नानकपुरग कालोनी) | नगरीय क्षेत्र | 9000 | 11000 | 13000 | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 | |

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।



कलेक्टर
सहारनपुर।

22
SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, SAHARANPUR

Costing of 17 Nos. Shops in T. P. Nagar
(For the Financial Year-2021-22)

| Sl. No. | Type of shops | Shops Nos. | Total Nos. of Shops | Area of one Shop (In SQM) | Total Area of Shops (In SQM) |
|---------|---------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | I | 117 to 120 123 to 126 | 8 | 50.72 | 405.76 |
| 2 | II | 121 & 122 | 2 | 66.24 | 132.48 |
| 3 | III | 177 to 183 | 7 | 45.70 | 319.90 |
| | | | 17 | | 858.14 |

| | |
|---|-------------------|
| Construction cost of 17 shops as per Final Bill | 2647808.00 |
| Add Intt. From 01-01-2010 to 31-03-2022 @15% | <u>4865347.00</u> |
| Total | <u>7513155.00</u> |
| Construction cost per Sqm=7513155/858.14 | 8755.16 |

Cost of type I Shop-

| | |
|---|-------------------|
| Land Area =50.72 Sqm | |
| Land cost as per circle rate@ 20000/- per sqm | 1014400.00 |
| 50.72 SqmX20000.00 | <u>444061.72</u> |
| Consturction cost -50.72sqm X8755.16 | 1458461.72 |
| Sub Total | 218769.26 |
| Add 15% contingencies | <u>218769.26</u> |
| Add 15% Overhead charges | <u>1896000.24</u> |
| Cost of one Shop | <u>1896000.00</u> |
| | Say |

Cost of type II Shop-

| | |
|---|-------------------|
| Land Area =66.24 Sqm | |
| Land cost as per circle rate@ 20000/- per sqm | 1324800.00 |
| 66.24 SqmX20000.00 | <u>579941.80</u> |
| Consturction cost -66.24sqm X8755.16 | 1904741.80 |
| Sub Total | 285711.27 |
| Add 15% contingencies | <u>285711.27</u> |
| Add 15% Overhead charges | <u>2476164.34</u> |
| Cost of one Shop | <u>2477000.00</u> |
| | Say |

Cost of type III Shop-

| | |
|---|-------------------|
| Land Area =45.70 Sqm | |
| Land cost as per circle rate@ 20000/- per sqm | 914000.00 |
| 45.70 SqmX20000.00 | <u>400110.81</u> |
| Consturction cost -45.70sqm X8755.16 | 1314110.81 |
| Sub Total | 197116.62 |
| Add 15% contingencies | <u>197116.62</u> |
| Add 15% Overhead charges | <u>1708344.05</u> |
| Cost of one Shop | <u>1709000.00</u> |
| | Say |

COSTING OF 17 SHOPS AT T.P.NAGAR

C.B.o/o - 345/T.P.Nagar / A.D.A/ASB/19-10

NAME OF CONTRACTOR - M/s L.K. Trading

Shop No. (1/1) Type 3 - 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125 & 126.1-Land Area - 50.72 M².2-Land Rate - Rs 10000.00/- / 13500.00
(As app. in B.M
Dated - 26-02-10)3-Land Cost = 50.72 x 10000.00
= 507200.00
65960.00
= 507250.00 —
65960.004. Comst. cost for 17 shop

Paper 6.13 = 2278622.92

Probable Deviated cost (10%) = 257882.29

Net C. cost = 2836705.10

∴ C. cost of one shop = 166865.50

Add Intc (16% of area) = $\frac{166865.50}{180214.20}$

Add 1% Com. charges = 166865.50 x 1%

Add 10% O.H. charges = $\frac{166865.50 \times 1.1}{180214.20} = 18351.45$

Net C. cost of one shop by = 184279.95

Net Cost AtB

∴ Proposed Reserved Price

= Rs - 7,50,000.00 895000.00
(Seven lakh fifty thousand
rupees only)Proposed
Date 08/02/10Signature
F. D. J. 10 AESignature
E/B

24

BESTING OF 17 & 18 FLOORS AT T.P.NAGAR
C.B. NO - 342 / T.P. Nagar S.D.M.R.E / 09/10
NAME OF CONTRACTOR. M/S SK.Trading

2

Shops No. (2nd Type) - 121 & 122

1. Land Area = 66.24 m².

$$= \text{Rs } 10000.00 \text{ per } 10000 \text{ m}^2$$

2. Land Rate
(As app. in B.M.R.
Date - 28-02-10)

$$= 13000.00$$

3. Land Cost

$$= 66.24 \text{ m}^2 \times \text{Rs } 13000.00$$

Carriage Charges %:

$$= 66.24 \text{ m}^2 \times \text{Rs } 13000.00 \times 7.28640\%$$

$$= 66.24 \text{ m}^2 \times \text{Rs } 13000.00 \times 0.0728640$$

$$= 66.24 \text{ m}^2 \times \text{Rs } 13000.00 \times 0.00728640$$

$$= 66.24 \text{ m}^2 \times \text{Rs } 13000.00 \times 0.00728640$$

$$= 66.24 \text{ m}^2 \times \text{Rs } 13000.00 \times 0.00728640$$

$$= 728640.00$$

$$= 947232.00$$

$$= 234279.00 - B$$

4. Net
Cost of One Shop = 234279.00
(Per Type + Cost)

$$= 1181511.00$$

$$= 962919.00$$

$$= 1185000.00$$

Proposed Reserved Price = Rs. 965,000.00
(Nine lakh eight hundred and five thousand rupees)

Approved
08/03/10

S
SD.B. 10 A

✓

COSTING OF 17 SHOP AT T.P.NAGAR
C.B.No. 342/T.P.Nagar/2.D.O/1RB/890
NAME OF CONTRACTOR - M/s S.K. TRADING

Shops No. (Type-3) - 17 to 183

1 - Land Area - 45.70 m²
 - Rs 10000 - 13000.00

2 - Land Rate
 (As app. in B.Mis
 Date 16-02-70)
 = 45.70 m² x 13000.00
 = 457000.00
 594100.00
 = 284229.00 - (A)

4 - Net Const. Cost
 (As per Type-1 &
 Type-2 Cost)
 = 234279.00

Net Cost A+B = 691279.00 828379.00

Proposed Reserved Price = 695000.00
 (Six lakh nine thousand five hundred
 and fifty rupees only)

Figure 1
 1081021102


 21.2.10 AD.

१०/१०

कार्यालय उप-निबन्धक (तृतीय), सदर, सहारनपुर
 (2) गैर वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक भूमि की मूल्यांकन दर सूची (रूपयों में)

(अ) नगरीय क्षेत्र:-

| क्र० सं० | कालोनी/मौहल्लों के नाम | गैर वाणिज्यिक भूमि | | वाणिज्यिक भूमि | |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | सङ्के के किनारे की दर | सङ्के के बाद की दर | व्यवसायिक भू-दर | किराये की दर |
| 1. | आचार जान | 4500 | 3500 | 12000 | 80 |
| 2. | अरुण वैष्णो धान (दरा निलकाना) | 4000 | 3500 | 8000 | 60 |
| 3. | आर्य नगर (दरा निलकाना) | 4000 | 3500 | 8000 | 60 |
| 4. | अमन कालोनी (दरा निलकाना) | 2500 | 2000 | 4000 | 50 |
| 5. | आनन्दपुरी, आली महाजनान | 4500 | 3500 | 10000 | 80 |
| 6. | अंजनी विहार | 3500 | 3000 | 7000 | 70 |
| 7. | अमरदीप कालोनी, न्यू अमरदीप कालोनी (दरा राजपुरा) | 3500 | 3000 | 7000 | 70 |
| 8. | अर्पित विहार (दरा राजपुरा) | 2500 | 2200 | 5000 | 60 |
| 9. | अहमद नगर (दरा निलकाना) | 2000 | 1800 | 3500 | 50 |
| 10. | अग्रसैन वाटिका (दरा निलकाना) | 3000 | 2500 | 4500 | 50 |
| 11. | आसिफ विहार (दरा निलकाना) | 2000 | 1500 | 2500 | 40 |
| 12. | इन्द्रपुरी कालोनी, न्यू इन्द्रपुरी कालोनी (दरा निलकाना) | 8000 | 7500 | 11000 | 75 |
| 13. | इन्द्रप्रस्थ (दरा निलकाना) | 2000 | 1500 | 3500 | 50 |
| 14. | इन्द्रपुरी (दरा राजपुरा) | 2000 | 1500 | 3500 | 50 |

अधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 सहारनपुर

श्रीघोषणा

कलेक्टर
 सहारनपुर



6

REVISED COSTING OF 17 SHOPS AT T.P. NAGAR

SHOPS NO - (141 TYPE) - 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, & 126

1 - Land area - 50.72 m^2

2 - Revised Land Rate - Rs. 13000.00/m²
(Present Circle Rates)

$$3 - \text{Land cost} = 50.72 \times 13000.00 \\ = 659360.00$$

$$= \text{Rs. } 659360.00 - A$$

4 - Cost of land for one shop
(As per previous costing)

$$\text{Net cost A+B} \\ \text{Proposed Reserve Price.} = \text{Rs. } 895000.00 / \text{Shop}$$

$$= \text{Rs. } 893639.00$$

Hgjy M
refulio 
A.E.

REVISED COSTING OF 17 SHOPS AT T.P.NAGAR

SHOP NO - (2nd Type) - 1214122.

1- Land Area = 66.24 m²

2- Revised Land Rate = Rs 13000.00/m.
(Present Circle Rate)

3- Land Cost = 66.24 m² x 13000.00

Cover Charge = $\frac{1}{107} \text{ Rs. } 86112.00 \quad / 947832.00$

4- Const. Cost for one shop = Rs. 234279.00
(Rs per Type 1 cost)

∴ Net. Cost A+B

Proposed Reserve Price

~~R = Rs - 947832.00~~
R = ~~Rs - 947832.00~~ → A

~~R = Rs - 234279.00 → B~~

= Rs - 1181511.00

= Rs - 1185000.00 / shop.

Proposed
20/4/10

D/P

4

REVISED COSTING OF 17 SHOPS AT T.P.NAGAR

SHOPS NO (Type-3) - 177 to 183

1 - Land Area = 45.70 m².

2 - Revised Land Rate - Rs - 13000.00/m².
(Present Circle Rate)

3 - Land cost - ~~Rs 45.70 m² x 13000.00~~
= Rs. 594100.00

= Rs. 594100.00 - A

4 - Const. cost for one shop = Rs. 234279.00.
(As per type-1 & type-
-2 cost).

= Rs. 234279.00 - B

Nett cost A + B
Proposed Reserve Price = Rs. 830000.00 / 1 shop.

= Rs. 830000.00

Frequent
Shop No -


D.K. Patel

3L

9

REVISED COSTING OF 10 SHOTS AT T. P. WAGNER

SHOP - NO. - Type - 3 177 to 183

1. Low Area. 45.70/-

2. Revised Low rate - ₹ 18000/- /shot

3. Low Cost - 45.70 × 18000 = ₹ 8,22,600/- - 0

4. As per fixed Bill ₹ 26470.8/-

5. Cost on Shot ₹ 155753.4/-

Add Interest for 1st half

to 30.6.16. 18% Am. + 182232.18

₹ 337185.6/-

Add 15% Con charge ₹ 6097.84

Add 10% Office Charge ₹ 699.84

₹ 39381.20

8. ₹ 439382.20 - 0

Prob Revnd Risk = ① + ②

₹ 22600 + 439382.20 = ₹ 12,61,982/- / shot

✓
10.7.16

COSTING OF 17 SHOPS AT T.P. NAGAR

Shop No - (T¹² Type) 117, 118, 119, 120, 123, 125 & 126

1. Land Area = 50.72 sq

2. Rent on Land Area = ₹ 18000/- per (Circle Rate 10%)

3. Land Cost = $50.72 \times 18000 = ₹ 912960 =$ — ①

4. As per first Bill ₹ 2647808 =

c. cost of one shop = ₹ 155753 = 42

Add Interest from 2 April '18 + 182232 = 18

+ 30.616 18% / year $\overline{337985.60}$

Add 15% on exp. ₹ 697 = 89

Add 10% O.H. charge $\overline{\begin{array}{r} 50697 = 89 \\ 439381 = 28 \end{array}}$

Say ₹ 439382 = —

②

book! Rent Paid = ① + ②

= ₹ 912960 = + ₹ 439382

= ₹ 1352342 = / shop

15
4.7.18

7

REVISED COST OF 17 SHOPS IN T. P. NAGAR

SHOP NO. 0th Type - 121 & 122

1. Land Area = 66.24 m²

19800

2. Revised Land rate = ₹ 18000/- (Circle Rate '61)

corner charges 10% of 18000 = 1800

3. Land Cost = 66.24 × 18000 = ₹ 1192320.00 - ①

4. As per final Bill ₹ 2647800.00

c. Cost of Shop ₹ 155753.42

Add Interest from 1st April

To 30.6.16 @ 10% yrs + ₹ 182232.18
₹ 337985.60

Add 15% cont charge ₹ 50697.84

Add 15% off 15% charge ₹ 50697.84
₹ 439381.28

∴ ₹ 439382.00

₹ 439382.00 - ②

Prof. Reperc ① + ②

₹ 1192320 + 439382.00

∴ ₹ 1631702.00 / shop

✓
47.16

काशीहुड़ी उपनिवेशक सदर (०८७९५)



वर्ष २०१४

पुनर्दीक्षित मूल्यांकन सूची

प्रभावी दिनांक

१०-८०-८०-८०-८०

कार्यालय कलेक्टर, सहारनपुर।

संख्या:

/स्टाम्प लिपिक -दर सूची-14

दिनांक: अगरत 2014

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (साम्पत्ति का गूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2014 के नियम-4 के अंतर्गत जनपद सहारनपुर के कार्यालय उप निवंधक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सदर सहारनपुर एवं कार्यालय उप निवंधक नकुल, बेहट, देवबन्द, रामपुर मनिहारान के लिए कलेक्टर सहारनपुर हारा एक वर्षीय गूल्यांकन दर सूची को निर्धारित कर दिया गया है।

पुनरीक्षित दरें दिनांक 12-08-2014 से प्रभावी होंगी।

(सैयद निजामुद्दीन)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
जिला निवंधक
सहारनपुर।

209(1-1)

संख्या:

/स्टाम्प लिपिक-दर सूची-14

दिनांक: अगरत 12 2014

प्रतिलिपि:

1. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। महानिरीक्षक निवंधन उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ।
2. आयुक्त/मुख्य नियन्त्रक राजरव प्राधिकारी सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
3. विशेष कार्यधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी राहारनपुर।
4. अपर आयुक्त (प्रशासन/न्यायिक) सहारनपुर मण्डल।
5. उप महानिरीक्षक निवंधन सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
6. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रशासन सहारनपुर।
7. सहायक महानिरीक्षक निवंधन सहारनपुर।
8. समस्त उप जिलाधिकारी सहारनपुर।
9. समस्त तहसीलदार सहारनपुर।
10. समस्त उप निवंधक जनपद सहारनपुर को उनके उप जिला से संबंधित दर सूची की एक प्रति इस निर्देश के साथ कि दर सूची की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करें तथा दर सूची को प्रभावी किया जाना सुनिश्चित करें।
11. स्टाम्प लिपिक सहारनपुर को दर सूची की पत्रावली सहित अनुरक्षणार्थ।

39
(सैयद निजामुद्दीन)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
जिला निवंधक
राहारनपुर।

| क्रियालय या-ही लोड | या या गारीण | 6 मीटर तक छोड़े सारते पर | 6 मीटर से अधिक य 15 मीटर तक छोड़े सारते पर | 15 मीटर से अधिक य 15 मीटर तक छोड़े सारते पर | नियम की किराए की वर | सड़क पर स्थित भूमि | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|--|---------------------------|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----|----|
| | | | | | | राष्ट्रीय/ राज्यीय राजमार्ग (0- 200 मी० तक) | राष्ट्रीय/ राज्यीय राजमार्ग (200-500 मी० तक) | जनपदीय मार्ग | लिक गार्जा/टेट ल | सामान्य भूमि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 192 1251 | दरा मिलकाना (लत्तीफ विहार) | नगरीय क्षेत्र | 5000 | 5400 | 5900 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 193 1251 | दरा मिलकाना (शाकुमबरी विहार) | नगरीय क्षेत्र | 6200 | 7200 | 7900 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 194 1251 | दरा मिलकाना (सावर विहार) | नगरीय क्षेत्र | 6200 | 7200 | 7900 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 195 1251 | दरा मिलकाना (हरदेव नगर) | नगरीय क्षेत्र | 5400 | 7200 | 7900 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 196 1233 | दरा राजपुरा | नगरीय क्षेत्र | 4400 | 5400 | 5900 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 197 1233 | दरा राजपुरा (ख0न0 81 से 109 तक, 177 से 179 तक) (ख0न0 89, 91 व 100 को छोड़कर) | नगरीय क्षेत्र | 4400 | 5400 | 5900 | 110 | 220 | 210 | 200 | 180 | 160 | |
| 198 1233 | दरा राजपुरा (अमरदीप कालोनी) | नगरीय क्षेत्र | 7200 | 9000 | 9800 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 199 1233 | दरा राजपुरा (अर्पित विहार) | नगरीय क्षेत्र | 7200 | 9000 | 9800 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 200 1233 | दरा राजपुरा (इन्द्रपुरी) | नगरीय क्षेत्र | 5400 | 7200 | 7900 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 201 1233 | दरा राजपुरा (ऋषि विहार) | नगरीय क्षेत्र | 5000 | 6200 | 9000 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 202 1233 | दरा राजपुरा(विश्वार वाटिका) | नगरीय क्षेत्र | 6200 | 7200 | 10800 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 203 1233 | दरा राजपुरा (कामदेव नगर) | नगरीय क्षेत्र | 8100 | 9900 | 10900 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 204 1233 | दरा राजपुरा (कुम्हारान) | नगरीय क्षेत्र | 8100 | 9900 | 10900 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 205 1233 | दरा राजपुरा (कुबैर काम्पलैक्स फेस-1 व फेस-2) | नगरीय क्षेत्र | 5400 | 7200 | 7900 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 206 1233 | दरा राजपुरा (गणपति विहार) | नगरीय क्षेत्र | 5000 | 6300 | 6900 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 207 1233 | दरा राजपुरा (गोविन्द विहार) | नगरीय क्षेत्र | 8100 | 9900 | 10900 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 208 1233 | दरा राजपुरा (ग्रिटर कॉलोनी) | नगरीय क्षेत्र | 7200 | 9000 | 9800 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 209 1233 | दरा राजपुरा (द्वार्जनपाट नगर) | नगरीय क्षेत्र | 18000 | 18000 | 19800 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 210 1233 | दरा राजपुरा (चेतन विहार) | नगरीय क्षेत्र | 5400 | 7200 | 7900 | 130 | - | - | - | - | - | - |

जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
राहारनपुर

कलक्टर
सहारनपुर

COSTING OF 17 SHOPS AT T.P.NAGAR

SHOP NO-(Ist Type) 117,118,119,120,¹²⁴123,125 & 126

1. Land Area 50.72 sqmt

2. Revised Land Rate 45000/sqmt

(As Per Sub Registrar sre 17-18)

Sl. No. As Per 257-Vcode1233 Column 13

3. Land Cost $50.72 \times 45000 =$ 2282400.00 ----- (A)

4. As Per Final Bill:- 2647808.00

Cost Of One Shop :- 2647808/17:- 155754.00

Add Interest From 1 Jan 2010 186905.00

^{31.12.2010} to 31.12.2017 @15%/Year for 8 Years:- 342659.00

Add 15% Con. Charges :- 51399.00

Add 15% Over Head Charges :- 51399.00

445457.00 ----- (B)

Proposed Revised Cost(A+B) :- $2282400+445457=2727857.00$

Say :- 2727900.00/shop

B
Jr Q
12/1

26/11
AR

FAO
A
S.R
15/10/18

COSTING OF 17 SHOPS AT T.P.NAGAR

SHOP NO-(Ind Type) 121 & 122

1. Land Area 66.24 sqmt

2. Revised Land Rate 45000/sqmt

(As Per Sub Registrar sre 17-18)

Sl. No. As Per 257-Vcode1233 Column 13

3. Land Cost 66.24x45000 = 2980800.00 ----- (A)

4. As Per Final Bill:- 2647808.00

Cost Of One Shop 2647808/17 :- 155754.00

Add Interest From 1 Jan 2010 186905.00

to 31.12.2017 @15%/Year for 8 Years:- 342659.00

Add 15% Con. Charges :- 51399.00

Add 15% Over Head Charges :- 51399.00

445457.00 ----- (B)

~~Proposed~~ Revised Cost(A+B) :- 2980800+445457=3426257.00

Say :- 3426300.00/shop

R
En
C
121

SHRI
R.R.

FAO
A, 15/10/18
S.R.

39

13

COSTING OF 17 SHOPS AT T.P.NAGAR

SHOP NO-(IIIrd Type) 177 to 183

1. Land Area 45.70 sqmt

2. Revised Land Rate 45000/sqmt

(As Per Sub Registrar sre 17-18)

Sl. No. As Per 257-Vcode1233 Column 13

3. Land Cost $45.70 \times 45000 =$

2056500.00 ----- (A)

4. As Per Final Bill:-

Cost Of One Shop :- $2647808/17 =$

2647808

155754.00

Add Interest From 1 Jan 2010

186905.00

to 31.12.2017 @15%/Year for 8 Years:-

342659.00

Add 15% Con. Charges :-

51399.00

Add 15% Over Head Charges :-

51399.00

445457.00----- (B)

Proposed Revised Cost(A+B) :- $2056500+445457=2501957.00$

Say :- 2502000.00/shop

B
J2
G
1/1

2011
ASR

FA
A
SR 15/01/18

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, SAHARANPUR

Costing of 17 Shops T.P. Nagar

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Shop No-(Ist Type) 117 to 120 & 123 to 126 | |
| 2 | Land Area (Sqm) | 50.72 |
| 3 | Land Rate (Sqm) As per Sub Registrar sre 17-18 S.I. As per 257- Vcode-1233 Column 13 | 45000.00 |
| 4 | Land Cost 50.72X45000 | 2282400.00 (A) |
| | As per Final Bill (For 17 Shops) | |
| | Cost of one Shop | 2647808.00 |
| | Add Interest from 1Jan. 2010 to 31Mar.2021 @15%/ Year for 10.25 Years | 155753.41 |
| | Add 15% Con. Charges | 418587.29 |
| | Add 15% Overhead Charges | 62788.09 |
| | | 62788.09 |
| | | 544163.48 (B) |
| | Proposed Revised Cost (A+B) | 2826563.48 |
| | Say | 2826600.00 |

B
JE.

A
A.E.

B
E.E.

वित्त एवं लेनाधिकारी
राज्यपाल सहारनपुर
राज्यपाल सहारनपुर

सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

41

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, SAHARANPUR

Costing of 17 Shops T.P. Nagar

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Shop No-(Ist Type) 121 & 122 | |
| 2 | Land Area (Sqm) | 66.24 |
| 3 | Land Rate (Sqm) As per Sub Registrar sre 17-18 S.I. As per 257- Vcode-1233 Column 13 | 45000.00 |
| 4 | Land Cost 66.24X45000 | 2980800.00 (A) |
| | As per Final Bill (For 17 Shops) | 2647808.00 |
| | Cost of one Shop | 155753.41 |
| | Add Interest from 1Jan. 2010 to 31Mar.2010 @15%/ Year for 10.25 Years | 262833.88 |
| | | 418587.29 |
| | Add 15% Con. Charges | 62788.09 |
| | Add 15% Overhead Charges | 62788.09 |
| | | 544163.48 (B) |
| | Proposed Revised Cost (A+B) | 3524963.48 |
| | | Say 3525000.00 |

JE.

A.E.

E.E.

29/12/2020
वित्त एवं सेवा मिशनी
सहारनपुर

सहारनपुर
विकास प्राधिकरण

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, SAHARANPUR

Costing of 17 Shops T.P. Nagar

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Shop No-(Ist Type) 177 To 183 | |
| 2 | Land Area (Sqm) | 45.70 |
| 3 | Land Rate (Sqm) As per Sub Registrar sre 17-18 S.I. As per 257- Vcode-1233 Column 13 | 45000.00 |
| 4 | Land Cost 45.70X45000 | 2056500.00 (A) |
| | As per Final Bill (For 17 Shops) | 2647808.00 |
| | Cost of one Shop | 155753.41 |
| | Add Interest from 1Jan. 2010 to 31Mar.2021 @15%/ Year for 10.25 Years | 262833.88 |
| | | 418587.29 |
| | Add 15% Con. Charges | 62788.09 |
| | Add 15% Overhead Charges | 62788.09 |
| | | 544163.48 (B) |
| | Proposed Revised Cost (A+B) | 2600663.48 |
| | Say | 2600700.00 |

B
JE.*By*
A.E.*Alam*
E.E.

वित्त एवं सेखाधिकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर
सहारनपुर

सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, SAHARANPUR

Costing of 17 Shops T.P. Nagar

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Shop No-(Ist Type) 121 & 122 | |
| 2 | Land Area (Sqm) | 66.24 |
| 3 | Land Rate (Sqm) As per Sub Registrar sre 17-18 S.I. As per 257- Vcode-1233 Column 13 | 45000.00 |
| 4 | Land Cost 66.24X45000 | 2980800.00 |
| | As per Final Bill (For 17 Shops) | 2647808.00 |
| | Cost of one Shop | 155753.41 |
| | Add Interest from 1Jan. 2010 to 31Mar.2020 @15%/ Year for 10.25 Years | 239470.87 |
| | | 395224.28 |
| | Add 15% Con. Charges | 59283.64 |
| | Add 15% Overhead Charges | 59283.64 |
| | | 513791.57 |
| | Proposed Revised Cost (A+B) | 3494591.57 |
| | Say | 3494600.00 |

82
JE.

21QJ1
A.E.

QJ1
93/10/19
E.E.

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, SAHARANPUR

Costing of 17 Shops T.P. Nagar

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Shop No-(Ist Type) 117 to 120 & 123 to 126 | |
| 2 | Land Area (Sqm) | 50.72 |
| 3 | Land Rate (Sqm) As per Sub Registrar sre 17-18 S.I. As per 257- Vcode-1233 Column 13 | 45000.00 |
| 4 | Land Cost 50.72X45000 | 2282400.00 (A) |
| | As per Final Bill (For 17 Shops) | 2647808.00 ✓ |
| | Cost of one Shop | 155753.41 |
| | Add Interest from 1Jan. 2010 to 31Mar.2020 @15% / Year for 10.25 Years | 239470.87 ✓ |
| | Add 15% Con. Charges | 395224.28 ✓ |
| | Add 15% Overhead Charges | 59283.64 ✓ |
| | | 59283.64 ✓ |
| | | 513791.57 (B) |
| | Proposed Revised Cost (A+B) | 2796191.57 |
| | Say | 2796200.00 |

P.S.

JE.

D.H.J.

A.E.

Bew
E.E. 23/10/19

सहारनपुर विकास प्राधिकारी

45 (17)
SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, SAHARANPUR

Costing of 17 Shops T.P. Nagar

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Shop No-(Ist Type) 177 To 183 | |
| 2 | Land Area (Sqm) | 45.70 |
| 3 | Land Rate (Sqm) As per Sub Registrar scr 17-18 S.I. As per 257- Vode-1233 Column 13 | 45000.00 |
| 4 | Land Cost 45.70X45000 | 2056500.00 (A) |
| | As per Final Bill (For 17 Shops) | 2647808.00 |
| | Cost of one Shop | 155753.41 |
| | Add Interest from 1Jan. 2010 to 31Mar.2020 @15% Year for 10.25 Years | 239470.87 |
| | Add 15% Con. Charges | 395224.28 |
| | Add 15% Overhead Charges | 59283.64 |
| | | 59283.64 |
| | Proposed Revised Cost (A+B) | 513791.57 (B) |
| | | 2570291.57 |
| | Say | 2570300.00 |

R.S.
JE.

D.K.D.
A.E.

28/10/19
E.E.

46 12/08/2016 रोजमानी

| क्रमांक | नाम | लेणी नगरीय परिवहन वा या पार्श्वीय शास्ति पर | बद्धक भूमि की व्यालतम दरें (ल० मे) | राजस्व ग्रामों में कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रुपये में) | एकल दुर्भाग्य प्रति दर्ता में, दरें (प्रति दर्ता में, | | | | | | | | | |
|---------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | ५ ग्रीटर तक घीड़े शास्ति पर | ६ ग्रीटर तक घीड़े शास्ति पर | ७ ग्रीटर तक घीड़े शास्ति पर | ८ ग्रीटर तक घीड़े शास्ति पर | ९ ग्रीटर तक घीड़े शास्ति पर | १० ग्रीटर तक घीड़े शास्ति पर | ११ ग्रीटर तक घीड़े शास्ति पर | १२ ग्रीटर तक घीड़े शास्ति पर | १३ ग्रीटर तक घीड़े शास्ति पर |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| 252 | 1233 | दरा राजपुरा (कुर्बेर काम्पलैक्स फेस-1 व फेस-2) | नगरीय देश | 6500 | - | 8300 | 9100 | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (गणपति विहार) | नगरीय देश | 6000 | 7200 | 7900 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (गोविन्द विहार) | नगरीय देश | 9500 | 11400 | 12500 | - | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (प्रेटर कैलाश) | नगरीय देश | 9500 | 10400 | 11300 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (ट्रान्सपोर्ट नगर) | नगरीय देश | 19000 | 19500 | 20000 | - | - | - | - | - | 45000 | 41000 | 37000 |
| 57 | 1233 | दरा राजपुरा (वेतन विहार) | नगरीय देश | 6500 | 8300 | 9100 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (ज्योति विहार) | नगरीय देश | 6500 | 8300 | 9100 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (देशविहार कालोनी) | नगरीय देश | 5500 | 6200 | 6800 | - | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (देशपुरम कालोनी) | नगरीय देश | 5500 | 6200 | 6800 | - | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (नानकपुरम कालोनी) | नगरीय देश | 6500 | 7200 | 7900 | - | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (न्यू अमरदीप कालोनी) | नगरीय देश | 8500 | 10400 | 11300 | - | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (न्यू सेतियाविहार) | नगरीय देश | 7200 | 8300 | 9100 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (महलपुरम) | नगरीय देश | 7500 | 8300 | 9100 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (भोड़पुरी) | नगरीय देश | 7500 | 8300 | 9100 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| | 1233 | दरा राजपुरा (लदकुश विहार) | नगरीय देश | 5500 | 6200 | 6800 | - | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 |



ग्राम पंचायती
सहारनपुर।

कलकटा
सहारनपुर।

प्रमाणी दिनांक 18/08/2021]

| क्रम संख्या | शोपटवे पर्स में आवंटित किया गया की-फोड | सीहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम | ज्ञानीय अद्विनगरीय शासीय शासीय शासीय | अनुपक्ष सूमि की व्यापक दर (रुपये में) | | | राजस्व ग्रामों में कृषक भूमि की दर प्रति वेवेटर (वाल्य रूपये में) | | | एकल दुकान एवं बाजारिक अधिकारों की भूमि की व्यापक दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये में) | | | | |
|-------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|---|------------|------------|-------|-------|
| | | | | ५ भीटर पर | ६ भीटर पर | ७ भीटर पर | ८ भीटर पर | ९ भीटर पर | १० भीटर पर | ११ भीटर पर | १२ भीटर पर | १३ भीटर पर | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 262 | 1233 | दरा राजपुरा (कामधेनु नगर) | नगरीय क्षेत्र | 10000 | 12000 | 13000 | - | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 |
| 263 | 1233 | दरा राजपुरा (कुम्हारान) | नगरीय क्षेत्र | 9500 | 11400 | 12500 | - | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 |
| 264 | 1233 | दरा राजपुरा (कुवेर काम्हलैक्स फेस-1 व फेस-2) | नगरीय क्षेत्र | 10000 | 12000 | 13000 | - | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 |
| 265 | 1233 | दरा राजपुरा (गणपति विहार) | नगरीय क्षेत्र | 6300 | 7500 | 7900 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| 266 | 1233 | दरा राजपुरा (गोविन्द विहार) | नगरीय क्षेत्र | 10000 | 11800 | 12400 | - | - | - | - | - | 33000 | 29000 | 26000 |
| 267 | 1233 | दरा राजपुरा (गोलाश) | नगरीय क्षेत्र | 10000 | 11000 | 11300 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| 268 | 1233 | दरा राजपुरा (द्राव्यापोर्ट नगर) | नगरीय क्षेत्र | 19000 | 19500 | 20000 | - | - | - | - | - | 45000 | 41000 | 37000 |
| 269 | 1233 | दरा राजपुरा (चेतन विहार) | नगरीय क्षेत्र | 6800 | 8700 | 9100 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| 270 | 1233 | दरा राजपुरा (ज्योति विहार) | नगरीय क्षेत्र | 6800 | 8700 | 9100 | - | - | - | - | - | 30000 | 26000 | 24000 |
| 271 | 1233 | दरा राजपुरा (देशविहास कालोनी) | नगरीय क्षेत्र | 5800 | 6300 | 6800 | - | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 |
| 272 | 1233 | दरा राजपुरा (देवपुरग कालोनी) | नगरीय क्षेत्र | 5500 | 6500 | 6800 | - | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 |
| 273 | 1233 | दरा राजपुरा (नानकपुरग कालोनी) | नगरीय क्षेत्र | 9000 | 11000 | 13000 | - | - | - | - | - | 24000 | 20000 | 19000 |

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

कलेक्टर,
सहारनपुर।

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, SAHARANPUR

Costing of 17 Nos. Shops in T. P. Nagar

(For the Financial Year-2021-22)

| Sl. No. | Type of shops | Shops Nos. | Total Nos. of Shops | Area of one Shop (In SQM) | Total Area of Shops (In SQM) |
|---------|---------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | I | 117 to 120 123 to 126 | 8 | 50.72 | 405.76 |
| 2 | II | 121 & 122 | 2 | 66.24 | 132.48 |
| 3 | III | 177 to 183 | 7 | 45.70 | 319.90 |
| | | | 17 | | 858.14 |

| | |
|---|------------|
| Construction cost of 17 shops as per Final Bill | 2647808.00 |
| Add Intt. From 01-01-2010 to 31-03-2022 @15% | 4865347.00 |
| Total | 7513155.00 |
| Construction cost per Sqm=7513155/858.14 | 8755.16 |

Cost of type I Shop-

| | |
|---|-------------------|
| Land Area =50.72 Sqm | |
| Land cost as per circle rate@ 20000/- per sqm | |
| 50.72 SqmX20000.00 | 1014400.00 |
| Consturction cost -50.72sqm X8755.16 | 444061.72 |
| Sub Total | 1458461.72 |
| Add 15% contingencies | 218769.26 |
| Add 15% Overhead charges | 218769.26 |
| Cost of one Shop | 1896000.24 |
| Say | <u>1896000.00</u> |

Cost of type II Shop-

| | |
|---|-------------------|
| Land Area =66.24 Sqm | |
| Land cost as per circle rate@ 20000/- per sqm | |
| 66.24 SqmX20000.00 | 1324800.00 |
| Consturction cost -66.24sqm X8755.16 | 579941.80 |
| Sub Total | 1904741.80 |
| Add 15% contingencies | 285711.27 |
| Add 15% Overhead charges | 285711.27 |
| Cost of one Shop | 2476164.34 |
| Say | <u>2477000.00</u> |

Cost of type III Shop-

| | |
|---|-------------------|
| Land Area =45.70 Sqm | |
| Land cost as per circle rate@ 20000/- per sqm | |
| 45.70 SqmX20000.00 | 914000.00 |
| Consturction cost -45.70sqm X8755.16 | 400110.81 |
| Sub Total | 1314110.81 |
| Add 15% contingencies | 197116.62 |
| Add 15% Overhead charges | 197116.62 |
| Cost of one Shop | 1708344.05 |
| Say | <u>1709000.00</u> |

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64 / 05

विषय:- ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न अनिस्तारित /दुकानों/पैट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन एवं क्योस्को हेतु हेतु आरक्षित भूखण्डों के निस्तारण/विक्रय किये जाने हेतु योजना के अनुमोदित तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।

इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश संख्या-353/स0वि0प्रा0/2021 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा निम्नवत समिति गठित की गयी :-

- 1— वित्त एवं लेखाधिकारी
- 2— अधिशासी अभियन्ता
- 3— सहायक अभियन्ता (श्री रमन कुमार)

उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 14.12.2021(संलग्नक-05.1) में उल्लेख किया गया है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत अनिस्तारित पैट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन एवं क्योस्कों हेतु आरक्षित भूखण्डों का नीलामी की कार्यवाही के पश्चात भी विक्रय न हो पाने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अनुमोदित तलपट मानचित्र में सम्बन्धित परिसम्पत्तियों की पॉकेट का पुर्णनियोजन मा0 बोर्ड के अवलोकनार्थ निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1-पैट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के सम्बन्ध में :-

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ले-आउट के अनुसार योजना की 38.00 मी0 चौड़ी मुख्य सड़क पर पैट्रोल पम्प हेतु लगभग 943.40 वर्ग मी0 क्षेत्रफल का भूखण्ड आरक्षित है। वर्तमान में कलैक्टर, सहारनपुर द्वारा अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर रु 20,000.00 प्रति वर्ग मी0 के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड का कुल मूल्य रु0 188.68 लाख होता है, जिस पर रजिस्ट्री एवं फी-होल्ड शुल्क पृथक से देय होगा। ज्ञातव्य है कि पैट्रोल पम्प हेतु आरक्षित प्रश्नगत भूखण्ड योजना के सम्मुख देहरादून-सहारनपुर राष्ट्रीय राज मार्ग पर ही लगभग 500 मी0 की परिधि में 02 पैट्रोल पम्प संचालित हैं तथा योजना से लगभग 1.00किमी0 की दूरी पर भी 02 अन्य पैट्रोल पम्प देहरादून रोड व जनता रोड पर पूर्व से संचालित हैं। इस कारण देहरादून, अम्बाला, चिलकाना तथा चकरीता की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर आने वाले वाहनों को डीजल-पैट्रोल भरवाने आदि की सुविधा मुख्य मार्ग पर सहजता से उपलब्ध होने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर में पैट्रोल पम्प के तुलानात्मक दृष्टि से सफलतापूर्वक सुचारू संचालन के संदेह को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी निवेशक लगभग 200.00 लाख से अधिक धनराशि का निवेश भूमि क्य पर करने का पक्षघर प्रतीत नहीं हो रहे हैं। संभवतः इसलिए वर्तमान दिनांक तक पैट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन की नीलामी संभव नहीं हो सकी है। वर्तुतः पैट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अवयव है। इस कारण ट्रांसपोर्ट नगर में पैट्रोल पम्प की उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य के साथ ही विक्रय की संभावना में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यदि पैट्रोल पम्प के आरक्षित भूखण्ड के क्षेत्रफल को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत प्राविधानित फिलिंग स्टेशन के न्यूनतम 16.00×14.00 मी0 कुल क्षेत्रफल 224.00 वर्ग मी0 भूखण्ड के सापेक्ष 30.69×20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 633.75 वर्ग मी0 करते हुए अवशेष भाग को 15.00×20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 309.75 वर्ग मी0 के भूखण्ड के रूप में विक्रय किया जा सकता है, जिससे पैट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के भूखण्ड के विक्रय की सम्भावना में भी वृद्धि होगी। इससे प्राधिकरण को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं होगी।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण हित में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान में पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड को भवन निर्माण एवं उपविधि के अन्तर्गत प्राविधानित न्यूनतम क्षेत्रफल एवं मापों के आधार पर कम करते हुए 30.69×20.65 मी० कुल क्षेत्रफल 633.75 वर्ग मी० तथा अवशेष 15.00×20.65 मी० कुल क्षेत्रफल 309.75 वर्ग मी० को भूखण्ड के रूप में संशोधन उपरान्त प्रस्तावित (संलग्नक-05.2) ले-आउट प्लान के अनुसार नियोजित करते हुए विक्रय किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है।

2- ट्रांसपोर्ट नगर योजना में 'X' आकार में 16 क्योर्स्कों के भूखण्डों के पुर्नरीक्षित/संशोधित नियोजन के सम्बन्ध में।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में देहरादून-सहारनपुर मार्ग से लगभग 700.00 मी० दूर पर योजना की मुख्य सड़क के दांयी ओर 'X' आकार में 3.05×3.28 मी० माप (क्षेत्रफल 10.00 वर्ग मी०) के 16 क्योर्स्कों के भूखण्डों का नियोजन पूर्व स्वीकृत ले-आउट (संलग्नक-05.3) में किया गया है। सभी क्योर्स्कों के भूखण्डों की पंहुच मुख्य सड़क से आगे-पीछे होने के कारण इन भूखण्डों का विक्रय नहीं हो पा रहा है। वर्तमान दिनांक तक किसी भी क्योर्स की नीलामी इस कारण से संभव नहीं हो सकी है। इसके दृष्टिगत रखते हुए इन क्योर्स्कों के समुख 03.00मीटर चौड़ा पाथ-वे का प्राविधान किया गया है (प्रस्तावित नियोजन संलग्न) जिससे इन भूखण्डों का विक्रय सम्भावित हो सकें।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत ले-आउट प्लान में 'X' आकार के 16 क्योर्स्कों के भूखण्डों का नियोजन पंक्तिबद्ध रूप से करते हुए समस्त क्योर्स्कों के समुख 03.00मीटर चौड़े पाथ-वे का प्राविधान कर पुर्ननियोजन किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है।

अतः सहारनपुर विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के संलग्न पुर्नरीक्षित/संशोधित नियोजन की अनुमति हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षण आख्या

सचिव/उपाध्यक्ष महोदय

कृपया आपके कार्यालय आदेश संख्या-353/स0विप्रा0/2021 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना में समय-समय पर नीलामी की कार्यवाही के पश्चात भी विक्य हेतु अवशेष भूखण्डों/दुकानों के विक्य न हो पाने के कारणों के परीक्षण एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करने की दृष्टि से गठित समिति द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलाप मानचित्र के संदर्भ में योजना का संयुक्त निरीक्षण करते हुए सम्पत्ति विक्य न हो पाने से सम्बन्धित तथ्यों का परीक्षण किया गया। तदक्रम में आख्या निम्नवत है :-

1- पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के सम्बन्ध में।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ले-आउट के अनुसार योजना की 38.00 मी0 चौड़ी मुख्य सड़क पर पेट्रोल पम्प हेतु लगभग 943.40 वर्ग मी0 क्षेत्रफल का भूखण्ड आरक्षित है। वर्तमान में कलैक्टर, सहारनपुर द्वारा अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर रु0 20,000.00 प्रति वर्ग मी0 के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड का कुल मूल्य रु0 188.68 लाख होता है, जिस पर रजिस्ट्री एवं फी-होल्ड शुल्क पृथक से देय होगा। ज्ञातव्य है कि पेट्रोल पम्प हेतु आरक्षित प्रश्नगत भूखण्ड योजना के सम्मुख देहरादून-सहारनपुर राष्ट्रीय राज मार्ग पर ही लगभग 500 मी0 की परिधि में 2 पेट्रोल पम्प भूखण्ड योजना से लगभग 1.00किमी0 की दूरी पर भी 2 अन्य पेट्रोल पम्प देहरादून रोड व जनता रोड पर संचालित हैं तथा योजना से लगभग 1.00किमी0 की दूरी पर भी 2 अन्य पेट्रोल पम्प देहरादून रोड व जनता रोड पर पूर्व से संचालित है। इस कारण देहरादून, अम्बाला, चिलकाना तथा चकरौता की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर आने वाले वाहनों को डीजल-पेट्रोल भरवाने आदि की सुविधा मुख्य मार्ग पर सहजता से उपलब्ध होने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल पम्प के तुलानात्मक दृष्टि से सफलतापूर्वक सुचारू संचालन के संदेह को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी निवेशक पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अवयव है। इस कारण ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन की उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य के साथ ही विक्य की संभावना में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यदि पेट्रोल पम्प के आरक्षित भूखण्ड के क्षेत्रफल को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत विविधानित फिलिंग स्टेशन हेतु न्यूनतम 16.00×14.00 मी0 कुल क्षेत्रफल 224.00 वर्ग मी0 भूखण्ड के सापेक्ष 30.69 \times 20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 633.75 वर्ग मी0 करते हुए अवशेष भाग को 15.00×20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 309.75 वर्ग मी0 के भूखण्ड के रूप में विक्य किया जा सकता है, जिससे पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के भूखण्ड के विक्य की संभावना में भी वृद्धि होगी। इससे प्राधिकरण को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं होगी।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण हित में समिति ट्रांसपोर्ट नगर योजना के पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान (संलग्नक-1) में पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड को भवन निर्माण एवं उपविधि के अन्तर्गत प्राधिकरण न्यूनतम क्षेत्रफल एवं मार्गों के आधार पर कम करते हुए 30.69×20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 633.75 वर्ग मी0 तथा अवशेष 15.00×20.65 मी0 कुल क्षेत्रफल 309.75 वर्ग मी0 को व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में संशोधन उपरान्त प्रस्तावित (संलग्नक-2) ले-आउट प्लान के अनुसार विक्य किये जाने की संस्तुति करती है।

2- ट्रांसपोर्ट नगर योजना में 'X' आकार में 16 क्योस्कों के भूखण्डों के पुनरीक्षित/संशोधित नियोजन के सम्बन्ध में।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में देहरादून-सहारनपुर मार्ग से लगभग 700.00 मी0 दूर पर योजना की मुख्य सड़क के दोनों ओर 'X' आकार में 3.05×3.28 मी0 माप (क्षेत्रफल 10.00 वर्ग मी0) के 16 क्योस्कों के भूखण्डों का नियोजन पूर्व स्वीकृत ले-आउट (संलग्नक-3) में किया गया है। सभी क्योस्कों के भूखण्डों की पहुँच मुख्य सड़क से आगे-पीछे होने के कारण इन भूखण्डों का विक्य नहीं हो पा रहा है। इसके दृष्टिगत रखते हुए इन क्योस्कों के सम्मुख 3.00 मीटर चौड़ा पाथ-वे का प्राधिकरण किया जाना उचित होगा (प्रस्तावित नियोजन संलग्न) जिससे इन भूखण्डों का विक्य सम्भालित हो सकें। इससे विक्य योग्य क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपरोक्तानुसार समिति स्वीकृत ले-आउट प्लान में 'X' आकार के 16 क्योरकों के भूखण्डों का नियोजन पवित्रबद्ध रूप से करते हुए समरत क्योरकों के समुख 03.00 मी० चौड़े पाथ-ये का प्राविधान करते हुए पुनर्नियोजन किये जाने संस्तुति करती है।

3-ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्मित 17 दुकानों के सम्बन्ध में।


ट्रांसपोर्ट नगर योजना में प्राविधिकरण द्वारा 17 दुकानों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2009-10 में कराया गया था। पूर्व में वर्ष 2006-07 में ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी कार्य एवं उससे सम्बन्धित व्यवसाय के लिये ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूमि आवंटन हेतु भूमि दर का मूल्यांकन परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित करते हुये भूमि का आवंटन किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त योजना में दुकानें, क्योसक, पेट्रोल पम्प, धर्मकांटा, होटल, गेस्टहाउस एवं कार्मशियल काम्पलैक्स के भूखण्डों की दर सामान्य निर्धारित भूमि दर का दोगुना निर्धारित की गई थी। विकास प्राविधिकरण की सम्पत्तियों की कारिंग के लिये शासनादेश संख्या- 4049/93A-1-99/16समिति/1998 दिनांक 20.11.1999 द्वारा निर्गत आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर-02 में निर्धारित व्यवरथा के आलोक में 20.02.2010 के आईटम सं037/04 में मा० बोर्ड द्वारा प्राविधिकरण की 37वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.02.2010 के आईटम सं037/04 में मा० बोर्ड द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अवशेष भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करते हुये भूमि का आरक्षित मूल्य जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर हेतु घोषित सर्किल रेट रु 10,000/- प्रति वर्ग मीटर के अनुसार निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मा० बोर्ड द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में कालान्तर में विभिन्न वित्तीय वर्षों हेतु प्रश्नगत दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर 15.00 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर रिथत अकृपक भूमि हेतु निर्धारित मूल्यांकन में भूमि की दर ली जाती रही थी (संलग्नक-4) परन्तु वर्ष 2018 में किये गये दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर ली जाती रही थी (संलग्नक-5)। जबकि दर एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर लेते हुये गणना की गई (संलग्नक-05)। जबकि प्राविधिकरण द्वारा निर्मित की गई दुकानें पवित्रबद्ध होने के साथ ही दुकानों के समुख आच्छादित कोरिडोर एवं खुली भूमि जो जनसामान्य के प्रयोगार्थ है, का मूल्य दुकानों के मूल्यांकन में सम्मिलित है। इस प्रकार दुकानों के मूल्यांकन में ली गई एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

प्राविधिकरण की सम्पत्ति के विक्रय हेतु समय-समय पर खोले गये पंजीकरण एवं आयोजित कैम्पों में अथक प्रयासों के बाद भी इन दुकानों को क्य किये जाने हेतु आज तक कोई भी आवेदन प्राविधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है। जिसका एकमात्र मुख्य कारण दुकानों के मूल्यांकन के भूमि घटक विक्रय न हो पाने के कारण एक ओर प्रत्येक वर्ष व्याज की धनराशि एवं सर्किल रेट में निरन्तर वर्तमान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही, वहीं दूसरी ओर प्राविधिकरण द्वारा दुकानों के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि भी अवरुद्ध होने एवं उचित रख-रखाव के अभाव में दुकानों के निर्माण हास होने के साथ दुकानों की देखभाल भी प्राविधिकरण के लिये समस्या है।


ज्ञातव्य है कि प्राविधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना को ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी कार्यों/व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु विकसित किया गया है। जिसके अन्तर्गत दुकानों का निर्माण भी द्विसिंचन सम्बन्धी लघु/मध्यम व्यवसायियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये ही कराया गया है। ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी लघु/मध्यम व्यवसायियों को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अवशेष भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। यदि दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर के आधार पर किया जा रहा है।

की दर एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर के स्थान पर 15.00 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर आरोपित करते हुये आरक्षित मूल्य की गणना की जाती है तो दुकानों की निर्माण लागत एवं भूमि लागत में सर्वुलन होने के साथ ही दुकानों के विक्रय की सम्भावना में भी वृद्धि होगी।



उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्मित दुकानों के मूल्यांकन में भूमि के मूल्य की गणना वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विक्रय किये जा रहे अवशेष भूखण्डों की विक्रय दर (क्लैक्टर, सहारनपुर द्वारा 15.00 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर अकृषक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर रु 20,000.00 प्रति वर्ग मी०) से करते हुए भूमि के मूल्य में व्याज सहित निर्माण लागत को सम्मिलित करते हुए किये गये मूल्यांकन के आधार पर (मूल्यांकन दांधी ओर अवलोकनार्थ संलग्न है।) दुकानों को नीलामी पद्धति से निस्तारित/विक्रय किये जाने हेतु समिति संस्तुति करती है।


(रमन कुमार) २०२५
सहायक अमियन्ता


(अनिल कुमार मिश्रा)
अधिशासी अमियन्ता


(रीता अर्या) २०२५
वित्त एवं लेखाधिकारी

דרכו של יגאל



**EXISTING BLOCK 6
AREA AS PER SITE
943.40 SQMT.**

**PROJECT:- PART PLAN SHOWING
EXISTING & MODIFIED BLOCK NO-06 IN
TPNAGAR SAHARANPUR**

MODIFIED BLOCK 6
AREA 943.40 SQMT.

OFFICE FILE NO:-
07-2020

**PROJECT:- PART PLAN SHOWING
EXISTING & MODIFIED BLOCK NO-06 IN
T P NAGAR SAHARANPUR**

1

| S.NO. | SCHEDULE OF AREA | SQMT |
|-------|-------------------------|-------------|
| 01 | PETROL PUMP AREA (395A) | 633.65 SQMT |
| 02 | PLOT NO - (395B) | 309.75 SQMT |



DATE:-20-12-2020

100


ARMANJEET SINGH RAJAI
M.S RAJAI & ASSOCIATES
ARCHITECTS, ENGINEERS, PLANNERS & V
MARKET COURT ROAD, SAHARAN
PURI, ORISSA-752006. MOBILE: 069970-54000, 0698
0-0112-272346 (069970-54006, 0698-
CORPORATE OFFICE -

ASSOCIATES
PLANNERS & VALUERS,
ROAD SAHARANPUR-247001
(050970-6000, 058170-211400)
STATE OFFICE :-
SUITE 44, NOIDA-201301

BLOCK 6

BLOCK 6 SHEET NO:- 08

Page 2



| SNO. | SEQUENCE OF AREA | SQMT |
|------|------------------------|-------------|
| Sl. | PETROL BOP AREA (SQMT) | REG TS SQMT |
| 01 | NOT NO. (SSS) | REG TS SQMT |
| 02 | NOT NO. (SSS) | REG TS SQMT |

EXISTING BLOCK 6
AREA AS PER SITE
945.40 SQMT.

MODIFIED BLOCK 6
AREA 945.40 SQMT.

PROJECT- PART PLAN SHOWING

EXISTING & MODIFIED BLOCK NO-06 IN
T.P NAGAR SAHARANPUR

DATE-21-12-2020

OFFICE FILE NO-
07-2020



ROAD 9.00 M. WIDE




ROAD 15.00 M. WIDE




ROAD 7.50 M. WIDE


ROAD 7.50 M. WIDE



ROAD 9.00 M. WIDE



ROAD 7.50 M. WIDE



| MODIFIED PLANING BLOCK AREA | | SQMT |
|-----------------------------|------------------|------------|
| S NO | SCHEDULE OF AREA | SQMT |
| 01 | KIOSK 1 | 12.25 SQMT |
| 02 | KIOSK 2 | 12.25 SQMT |
| 03 | KIOSK 3 | 12.25 SQMT |
| 04 | KIOSK 4 | 12.25 SQMT |
| 05 | KIOSK 5 | 12.25 SQMT |
| 06 | KIOSK 6 | 12.25 SQMT |
| 07 | KIOSK 7 | 12.25 SQMT |
| 08 | KIOSK 8 | 12.25 SQMT |
| 09 | KIOSK 9 | 12.25 SQMT |
| 10 | KIOSK 10 | 12.25 SQMT |
| 11 | KIOSK 11 | 12.25 SQMT |
| 12 | KIOSK 12 | 12.25 SQMT |
| 13 | KIOSK 13 | 12.25 SQMT |
| 14 | KIOSK 14 | 12.25 SQMT |
| 15 | KIOSK 15 | 12.25 SQMT |
| 16 | KIOSK 16 | 12.25 SQMT |


PROJECT:-

ORIGINAL PLANING BLOCK

MODIFIED PLANING BLOCK

| |
|--------------|
| E.E. - |
| A.E. - |
| J.E. - |

DATE :-
18-12-2021



Ar. MANMEET SINGH BAJAJ

M/S BAJAJ & ASSOCIATES
ARCHITECT, ENGINEERS PLANNERS & VALUERS,
SOPHIA MARKET COURT ROAD,
SAHARANPUR-247001
TEL.No.- 0132-2724396, 0988970-66906, 098370-23300

CORPORATE OFFICE:-
B-31, SECTOR-44, NOIDA-201301
(UTTAR PRADESH)

एजेंडा नोट

– आईटम संख्या : 64/06

विषय— द्रांसपोर्ट नगर योजना के समीप ग्राम सङ्क पूर्णली में प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन से क्षय की गई अर्बन सीलिंग की भूमि पर निर्भित भवनों को अफोलेबल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत 90 वर्षों की लीज पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को जिला प्रशासन के भाईचार से प्राप्त अर्बन सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2856/स०वि०प्रा०/स०अनु०/2020-21 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प०, लखनऊ तथा अपर जिलाधिकारी, सहारनपुर को प्रेषित पत्र/फाईल नं० ८-६०९९/१५४२/२०२० दिसम्बर, २०२० के क्रम में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प०, लखनऊ के पत्र संख्या 298/तीन-४०८३/पि०प्रा०/सहारनपुर/२०२१ दिनांक 21.09.2021

- (संलग्नक-06.1) के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विहित तथ्यों का उल्लेख करते हुए निम्नवत अवगत कराया है :—
- क— “जहाँ तक जन सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना कियाचित किये जाने अथवा प्लाटिंग/भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार आवंटित भूमि का पट्टा विलेख के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है तथा जो भूमि अनुपयोगी है, उसे नीलाभी द्वारा विक्रय किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी दशा में जब प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा ले लिया गया है तथा राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज भी कराया जा चुका है और सम्बन्धित लेख शीर्षक में धनराशि भी जमा की चुकी है, से स्पष्ट है कि भूमि प्राधिकरण की ही अभिलक्षा में है।”

साथ ही यह भी उल्लेख है कि आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डों का विकास/निर्माण कर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प०, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21.09.2021 में वर्णित तथ्यों के आलोक में शासनादेश में विहित व्यवस्थानुसार/प्राविधानुसार शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2622/स०वि०प्रा०/२०२१ दिनांक 25.10.2021 (संलग्नक-06.2) के द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-६, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन से अभी तक कोई मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।

- ख— “शासनादेश संख्या-559/उन्चास-109य०सी०/८२ दिनांक 27.02.1984 एवं शासनादेश संख्या-317/९-न०भ०/९६-109य०सी०/८१ दिनांक 27.02.1996 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-2893/९-न०भ०-९६- 109य०सी०/८१ दिनांक 11.12.1996 में दी गयी विधि व्यवस्थानुसार अर्बन सीलिंग की कब्जा प्राप्त भूमि जो विकास प्राधिकरण को रख रखाय हेतु हस्तांतरित है, जिसका उपयोग उनके द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था है। पूर्व में शासनादेश संख्या-559 दिनांक 27.02.1984 की व्यवस्थानुसार भूमि का आवंटन शासन द्वारा विहित शर्तों के आधार पर किया जाता था, अब शासनादेश संख्या-2893, दिनांक 11.12.1996 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समित द्वारा सीधे आवंटित किये जाने का प्राविधान है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में किया गया आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है।”

निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन से निम्न स्थिति स्पष्ट होती है :-

- 1- प्राधिकरण को आवंटित सहिय जी नगर व ट्रांसपोर्ट नगर योजना में अर्बन सीलिंग की भूमि का आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है।
- 2- अर्बन सीलिंग की आवंटित भूमि को पट्टा विलेख के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है।
- 3- अर्बन सीलिंग की आवंटित भूमि को विक्रय करने / न करने के संबंध में शासन मार्गदर्शन देने में सक्षम है।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण को ट्रांसपोर्ट नगर योजना की अर्बन सीलिंग की भूमि आवंटन करने में तत्समय व्यय की गयी धनराशि रु0 21,06,144/- एवं अर्फँडेवल हाऊसिंग योजना के अन्तर्गत 27.00 वर्गमी0 के 32 भवनों तथा 39.20 वर्गमी0 के 16 भवनों के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि रु0 5,40,27,402.95 अवरुद्ध है। उक्त योजना के भवनों के आवंटन से प्राधिकरण को उसके द्वारा व्यय की गई धनराशि वापस हो सकेगी।

अतः प्राधिकरण के वित्तीय हित को देखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित अर्बन सीलिंग की भूमि पर निर्मित अर्फँडेवल हाऊसिंग योजना के अन्तर्गत 27.00 वर्गमी0 के 32 भवनों तथा 39.20 वर्गमी0 के 16 भवनों को शासन के मार्गदर्शन आने तक निदेशक, भूमि-सीमारोपण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 298/तीन-4083/वि0प्रा0/सहारनपुर/2021 दिनांक 21.09.2021 के क्रम में लीज (पट्टा विलेख) के अनुसार भवनों का आवंटन, आवंटी को 90 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर किये जाने एवं पट्टे का किराया निष्पादन से पहले भवनों में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से एकमुश्त देय होने की शर्त के आधार पर दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

प्रेषक,

निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-६,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय :-

अर्बन सीलिंग की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा जन-सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र दिसम्बर २०२० (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासन द्वारा सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के पत्रांक-२६८९, दिनांक-०३.११.२०२० के क्रम में अर्बन सीलिंग की सहारनपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि पर जन समान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने/प्लाटिंग अथवा भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन/दिशा निर्देश जारी करने से पूर्व निक्षेप द्वारा निक्षेपशालय व सक्षम प्राधिकारी स्तर से आख्या/अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के उक्त पत्र के क्रम में अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, सहारनपुर द्वारा पत्रांक-१५१, दिनांक- २६.०८.२०२१, जो शासन को सम्बोधित एवं निक्षेपशालय को पृष्ठांकित है, प्रेषित किया गया है, जिसमें अर्बन सीलिंग वाद पत्रावली संख्या-१३३८/७६ सरकार बनाम श्रीमती कलसूम तथा अर्बन सीलिंग वाद पत्रावली संख्या-१३६५/७६ सरकार बनाम नन्दू में कतिपय गाटा संख्याओं की अतिरिक्त रिक्त घोषित क्रमशः २४७०.००वर्गमी० तथा ४८७६.१६वर्गमी० भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को हस्तांतरित किया जाना उल्लिखित है। उक्त दोनों वादों में निहित भूमि जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में आहूत आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय क्रमशः दिनांक-२५.११.२०१० तथा १२.०३.२०१८ द्वारा विकास प्राधिकरण को आवंटित की गयी जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में क्रमशः धनराशि रु० २१,०६,१४४/- तथा ८६,६२,०५५/- (चालान की छायाप्रतियाँ संलग्न) जमा किये जाने का भी उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि पर विकास प्राधिकरण सहारनपुर का नाम दर्ज हो चुका है जिसके सम्बन्ध में खतौनी की प्रति संलग्न है। प्राप्त आख्या/अभिलेखों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित भूमि का भू मूल्य अर्बन सीलिंग के सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा किया जा चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण नाम भी इन्द्राज कराया जा चुका है।

शासनादेश संख्या-५५९/उन्वास-१०९ य०सी०/८२ दिनांक-२७.०२.१९८४ एवं

शासनादेश संख्या-३१७/९-न०भ०-९६-१०९य०सी०/८१ दिनांक-२७.०२.१९९६ यथासंशोधित

शासनादेश संख्या-२८९३/९-न०भ०-९६-१०९ य०सी०/८१ दिनांक-११.१२.१९९६ में दी गयी

विधि व्यवस्थानुसार अर्बन सीलिंग की कब्जा प्राप्त भूमि जो विकास प्राधिकरण को रख रखाव

हेतु हस्तांतरित है, जिसका उपयोग उनके द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के निर्देशों के

अनुरूप सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था है। पूर्व में शासनादेश संख्या- ५५९ दिनांक-

AE(R) [Anubhav Ramgopal Chaturvedi] [Signature]

Rew
३०/११/२१

4
०३/११/२१
A2

प्रेषक,

सेवा में

निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-६,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय :-

अर्बन सीलिंग की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा जन-सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र दिसम्बर 2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासन द्वारा सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के पत्रांक-2689, दिनांक-03.11.2020 के क्रम में अर्बन सीलिंग की सहारनपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि पर जन समान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने/प्लाटिंग अथवा भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन/दिशा निर्देश जारी करने से पूर्व गिरेशालय व सक्षम प्राधिकारी स्तर से आख्या/अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के उक्त पत्र के क्रम में अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, सहारनपुर द्वारा पत्रांक-151, दिनांक- 26.08.2021, जो शासन को सम्बोधित एवं निदेशालय को पृष्ठांकित है, प्रेषित किया गया है, जिसमें अर्बन सीलिंग वाद पत्रावली संख्या-1338/76 सरकार बनाम श्रीमती कलसूम तथा अर्बन सीलिंग वाद पत्रावली संख्या-1365/76 सरकार बनाम नन्दू में कतिपय गाटा संख्याओं की अतिरिक्त रिक्त घोषित क्रमशः 2470.00वर्गमी० तथा 4876.16वर्गमी० भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को हस्तांतरित किया जाना उल्लिखित है। उक्त दोनों वादों में निहित भूमि जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में आहूत आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय क्रमशः दिनांक-25.11.2010 तथा 12.03.2018 द्वारा विकास प्राधिकरण को आवंटित की गयी जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में क्रमशः धनराशि रु० 21,06,144/- तथा 86,62,055/- (चालान की छायाप्रतियाँ संलग्न) जमा किये जाने का भी उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि पर विकास प्राधिकरण सहारनपुर का नाम दर्ज हो चुका है जिसके सम्बन्ध में खतौनी की प्रति संलग्न है। प्राप्त आख्या/अभिलेखों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित भूमि का भू-मूल्य अर्बन सीलिंग के सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा किया जा चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण नाम भी इन्द्राज कराया जा चुका है।

शासनादेश संख्या-559/उन्चास-109 य०सी०/82 दिनांक-27.02.1984 एवं

शासनादेश संख्या-317/9-न०भ०-96-109य०सी०/81 दिनांक-27.02.1996 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-2893/9-न०भ०-96-109 य०सी०/81 दिनांक-11.12.1996 में दी गयी विधि व्यवस्थानुसार अर्बन सीलिंग की कब्जा प्राप्त भूमि जो विकास प्राधिकरण को रख रखाव हेतु हस्तांतरित है, जिसका उपयोग उनके द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था है। पूर्व में शासनादेश संख्या- 559 दिनांक-

AE (R) [Signature] Kamaljeet Singh [Signature]

Bew
३०/११/२५

०३/११/२५
१२

27.02.1984 की व्यवस्थानुसार भूमि का आवंटन शासन द्वारा विहित शर्तों के आधार पर किया जाता था, अब शासनादेश संख्या-2893, दिनांक-11.12.1996 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सीधे आवंटित किये जाने का प्राविधान है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में किया गया आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है। जहाँ तक भू-मूल्य का प्रश्न है, वह शासनादेश संख्या-2575 / उच्चास-87-109यूरी०/८७, दिनांक- 04.06.987 में दी गयी व्यवस्थानुसार बाजार मूल्य का आशय भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रतिकर के बराबर की धनराशि होगी। सुक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या 26.08.2021 में दर्शाये गये भू-मूल्य का आधार नहीं बताया गया है, अतः इसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

जहाँ तक जन सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने अथवा प्लाटिंग/भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार आवंटित भूमि को पट्टा विलेख के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है तथा जो भूमि अनुपर्याप्ति है, उसे नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी दशा में जब प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा ले लिया गया है तथा राजरख अभिलेखों में इन्द्राज भी कराया जा चुका है और साम्बन्धित लेखा शीर्षक में धनराशि भी जमा की जा चुकी है, से स्पष्ट है कि भूमि प्राधिकरण की ही अभिरक्षा में है। अतएव भूमि के विक्रय करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु शासन ही सक्षम है, अतः शासन स्तर से ही यथोचित निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

(अजय चौहान)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी सहारनपुर।
2. उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।
3. अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, सहारनपुर।


(अजय चौहान)
निदेशक।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-६,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संख्या २६२२/स०वि०प्रा०/२०२१

दिनांक २५ अक्टूबर, २०२१

विषय— अर्बन सीलिंग की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा जन-सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या २९८/तीन-४०३/वि०प्रा०/सहारनपुर/२०२१ दिनांक 21.09.2021(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख करते हुए शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित पत्र संख्या २८५६/स०वि०प्रा०/स०अनु०/२०२०-२१ दिनांक 23.11.2020 के क्रम में शासन द्वारा निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ तथा अपर जिलाधिकारी, सहारनपुर को पत्र/फाईल नं ८-६०९९/१५४२/२०२० दिनांक दिसम्बर, २०२० प्रेषित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आँखा/अद्यतन रिथ्ति से शासन को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विहित तथ्यों का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया है कि भूमि के विकाय करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु शासन ही सक्षम है। अतः शासन स्तर से ही यथोचित निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

उक्त के सम्बन्ध में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 21.09.2021 में वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनः अवगत कराना है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण को सहारनपुर नगर में प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत कतिपय रथलों पर उपलब्ध अर्बन सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि शासनादेश संख्या 2893 दिनांक 11.12.1996 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवंटित की गई है, जिसका भू-मूल्य सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा अर्बन सीलिंग से सम्बन्धित लेखा-शीर्षक में जमा किया जा चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में भी भूमि प्राधिकरण के नाम इन्द्राज होने के साथ ही आवंटित भूमि प्राधिकरण की ही अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन, सहारनपुर के माध्यम से सहारनपुर विकास प्राधिकरण को शासनादेश के अनुरूप आवंटित अर्बन सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि, जिसका भू-मूल्य प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित लेखा-शीर्षक में जमा कराने के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के नाम इन्द्राज है तथा प्राधिकरण की अभिरक्षा में है, पर आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डों का विकास/निर्माण कर विकाय किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21.09.2021 में वर्णित तथ्यों के आलोक में शासनादेश में विहित व्यवस्थानुसार/प्राविधाननुसार शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय,

31
25/१०२१
(आशीष कुमार)

उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि:-

- 01— निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 02— विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी, सहारनपुर।

(आशीष कुमार)
उपाध्यक्ष

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64 / 07

विषय:- साहिबजी नगर के निकट रुद्राक्ष आवासीय योजना में प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन से क्य की गई अर्बन सीलिंग की भूमि पर जन-सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त अर्बन सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2856/स0वि�0प्रा0/स0अनु0/2020-21 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0प्र0, लखनऊ तथा अपर जिलाधिकारी, सहारनपुर को प्रेषित पत्र/फाईल नं 8-6099/1542/2020 दिनांक दिसम्बर, 2020 के क्रम में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 298/तीन-4083/वि�0प्रा0/सहारनपुर/2021 दिनांक 21.09.2021 (संलग्नक-07.1) के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विहित तथ्यों का उल्लेख करते हुए निम्नवत अवगत कराया है :-
क- “जहाँ तक जन सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने अथवा प्लाटिंग/भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार आवंटित भूमि का पट्टा विलेख के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है तथा जो भूमि अनुपयोगी है, उसे नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी दशा में जब प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा ले लिया गया है तथा राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज भी कराया जा चुका है और सम्बन्धित लेखा शीर्षक में धनराशि भी जमा की चुकी है, से स्पष्ट है कि भूमि प्राधिकरण की ही अभिरक्षा में है।”

साथ ही यह भी उल्लेख है कि आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डों का विकास/निर्माण कर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0प्र0, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21.09.2021 में वर्णित तथ्यों के आलोक में शासनदेश में विहित व्यवस्थानुसार/प्राविधानुसार शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2622/स0वि�0प्रा0/2021 दिनांक 25.10.2021 (संलग्नक-07.2) के द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुबाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन से अभी तक कोई मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।

ख- “शासनादेश संख्या-559/उन्यास-109य०सी0/82 दिनांक 27.02.1984 एवं शासनादेश संख्या-317/9-न0भू0/96-109य०सी0/81 दिनांक 27.02.1996 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-2893/9-न0भू0-96-109य०सी0/81 दिनांक 11.12.1996 में दी गयी विधि व्यवस्थानुसार अर्बन सीलिंग की कब्जा प्राप्त भूमि जो विकास प्राधिकरण को रख रखाव हेतु हस्तांतरित है, जिसका उपयोग उनके द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था है। पूर्व में शासनादेश संख्या-559 दिनांक 27.02.1984 की व्यवस्थानुसार भूमि का आवंटन शासन द्वारा विहित शर्तों के आधार पर किया जाता था, अब शासनादेश संख्या-2893, दिनांक 11.12.1996 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समित द्वारा सीधे आवंटित किये जाने का प्राविधान है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में किया गया आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है।”

निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन से निम्न रिथति स्पष्ट होती है :-

- 1- प्राधिकरण को आवंटित साहिय जी नगर व ट्रांसपोर्ट नगर योजना में अर्वन सीलिंग की भूमि का आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है।
 - 2- अर्वन सीलिंग की आवंटित भूमि को पट्टा विलेख के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है।
 - 3- अर्वन सीलिंग की आवंटित भूमि को विक्रय करने/ न करने के संबंध में शासन सक्षम है।
- अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा साहिय जी नगर योजना की अर्वन सीलिंग की भूमि क्रय करने में तत्समय वयय की गयी धनराशि रु0 86,62,055/- अवरुद्ध है। इस धनराशि की वापसी के साथ-साथ उक्त योजना के भूखण्डों के आवंटन से प्राधिकरण की आय सुदृढ़ होगी। अतः प्राधिकरण हित में साहिय जी नगर योजना में रिथत अर्वन सीलिंग की भूमि को शासन के मार्गदर्शन आने तक निदेशक, भूमि-सीमारोपण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 298/तीन-4083/वि0प्रा0/सहारनपुर/2021 दिनांक 21.09.2021 के क्रम में लीज (पट्टा विलेख) के अनुसार भूखण्ड का आवंटन आवंटी को 90 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर किये जाने एवं पट्टे का किराया निष्पादन से पहले भूखण्ड में निहित मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से एकमुश्त देय होने की शर्त के आधार पर दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

प्रेषक

सेवा में

निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-६,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय :-

महोदय,

अर्बन सीलिंग की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा जन-सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ : दिनांक : २१-९-२०२१

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र दिसम्बर २०२० (छायाप्रति संलग्न) का सर्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासन द्वारा सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि पर जन समान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने/प्लाटिंग अथवा भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन/दिशा निर्देश जारी करने से पूर्व निर्देशालय व सक्षम प्राधिकारी स्तर से आख्या/अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के उक्त पत्र के क्रम में अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, सहारनपुर द्वारा पत्रांक-१५१, दिनांक- २६.०८.२०२१, जो शासन को सम्बोधित एवं निर्देशालय को पृष्ठांकित है, प्रेषित किया गया है, जिसमें अर्बन सीलिंग वाद पत्रावली संख्या-१३३८/७६ सरकार बनाम श्रीमती कलसूम तथा अर्बन सीलिंग वाद पत्रावली संख्या-१३६५/७६ सरकार बनाम नन्दू में कतिपय गाटा संख्याओं की अतिरिक्त रिक्त घोषित क्रमशः २४७०.००वर्गमी० तथा ४८७६.१६वर्गमी० भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को हस्तांतरित किया जाना उल्लिखित है। उक्त दोनों वादों में निहित भूमि जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में आहूत आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय क्रमशः दिनांक-२५.११.२०१० तथा १२.०३.२०१८ द्वारा विकास प्राधिकरण को आवंटित की गयी जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में क्रमशः धनराशि रु० २१,०६,१४४/- तथा ८६,६२,०५५/- (चालान की छायाप्रतियाँ संलग्न) जमा किये जाने का भी उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि पर विकास प्राधिकरण सहारनपुर का नाम दर्ज हो चुका है जिसके सम्बन्ध में खतौनी की प्रति संलग्न है। प्राप्त आख्या/अभिलेखों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित भूमि का मूल्य अर्बन सीलिंग के सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा किया जा चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण नाम भी इन्द्राज कराया जा चुका है।

शासनादेश संख्या-५५९/उन्चास-१०९ य०सी०/८२ दिनांक-२७.०२.१९८४ एवं शासनादेश संख्या-३१७/९-न०भ०-९६-१०९य०सी०/८१ दिनांक-२७.०२.१९९६ यथासंशोधित शासनादेश संख्या-२८९३/९-न०भ०-९६-१०९ य०सी०/८१ दिनांक-११.१२.१९९६ में दी गयी विधि व्यवस्थानुसार अर्बन सीलिंग की कब्जा प्राप्त भूमि जो विकास प्राधिकरण को रख रखावा हेतु हस्तांतरित है, जिसका उपयोग उनके द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था है। पूर्व में शासनादेश संख्या- ५५९ दिनांक-

AE(क) | Ambedkar Kawafile का लिए जाएगा

Bew
३०।११।२५०३।११।२५
A2

27.02.1984 की व्यवरथानुसार भूमि का आवंटन शासन द्वारा विहित शर्तों के आधार पर किया जाता था, अब शासनादेश संख्या-2893, दिनांक-11.12.1996 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सीधे आवंटित किये जाने का प्राविधान है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में किया गया आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है। जहाँ तक भू-मूल्य का प्रश्न है, वह शासनादेश संख्या-2575 / उन्यास-87-109यूसी०/८७, दिनांक- 04.06.987 में दी गयी व्यवरथानुसार बाजार मूल्य का आशय भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रतिकर के बराबर की धनराशि होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या 26.08.2021 में दर्शाये गये भू-मूल्य का आधार नहीं बताया गया है, अतः इसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

जहाँ तक जन सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने अथवा प्लाटिंग/भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जोरी उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार आवंटित भूमि को पट्टा विलेख के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है तथा जो भूमि अनुपयोगी है, उसे नीलानी द्वारा विक्रय किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी दशा में जब प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा ले लिया गया है तथा राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज भी कराया जा चुका है और सम्बन्धित लेखा शीर्षक में धनराशि भी जमा की जा चुकी है, से स्पष्ट है कि भूमि प्राधिकरण की ही अभिरक्षा में है। अतएव भूमि के विक्रय करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु शासन ही सक्षम है, अतः शासन स्तर से ही यथोचित निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय चौहान)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी सहारनपुर।
2. उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।
3. अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, सहारनपुर।


(अजय चौहान)
निदेशक।

प्रेषक,

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

उपाध्यक्ष,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुग्राम-6,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संख्या २२/स०वि०प्रा०/२०२१

दिनांक २५ अक्टूबर, २०२१

विषय— अर्बन सीलिंग की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा जन-सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या 298/तीन-4083/वि०प्रा०/सहारनपुर/2021 दिनांक 21.09.2021(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख करते हुए शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित पत्र संख्या 2856/स०वि०प्रा०/स०अनु०/2020-21 दिनांक 23.11.2020 के क्रम में शासन द्वारा निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ तथा अपर जिलाधिकारी, सहारनपुर को पत्र/फाईल नं० ८-६०९९/१५४२/२०२० प्रेषित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या/अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विहित तथ्यों का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया है कि भूमि के विक्रय करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु शासन ही सज्जन है। अतः शासन स्तर से ही यथोचित निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

उक्त के सम्बन्ध में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 21.09.2021 में वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनः अवगत कराना है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण को सहारनपुर नगर में प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत कठिपय स्थलों पर उपलब्ध अर्बन सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि शासनादेश संख्या 2893 दिनांक 11.12.1996 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवंटित की गई है, जिसका भू-मूल्य सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा अर्बन सीलिंग से सम्बन्धित लेखा-शीर्षक में जमा किया जा चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में भी भूमि प्राधिकरण के नाम इन्द्राज होने के साथ ही आवंटित भूमि प्राधिकरण की ही अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन, सहारनपुर के माध्यम से सहारनपुर विकास प्राधिकरण को शासनादेश के अनुरूप आवंटित अर्बन सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि, जिसका भू-मूल्य प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित लेखा-शीर्षक में जमा कराने के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के नाम इन्द्राज है तथा प्राधिकरण की अभिरक्षा में है, पर आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डों का विकास/निर्माण कर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21.09.2021 में वर्णित तथ्यों के आलोक में शासनादेश में विहित व्यवस्थानुसार/प्राविधानुसार शासन स्तर से यथोचित मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय,

31
25/10/21
(आशीष कुमार)

उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि:-

- 01— निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02— विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी, सहारनपुर।

(आशीष कुमार)
उपाध्यक्ष

द्रांसपोर्ट नगर योजना के समीप सड़क दूधली में निर्मित भवनों के मूल्य का वर्षवार प्रति यूनिट तुलनात्मक विवरण

| क्र० सं० | भवनों की स्थिति | भवनों का प्रति यूनिट मूल्य | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | वित्तीय वर्ष 2017-18 | वित्तीय वर्ष 2018-19 | वित्तीय वर्ष 2019-20 | वित्तीय वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
| श्रेणी-ए सेत्रफल 27.00 वर्ग मी० | | | | | | |
| | भूतल | 8,50,000.00 | 8,98,000.00 | 9,62,000.00 | 10,24,000.00 | 10,92,300.00 |
| 1 | प्रथम तल | 7,80,000.00 | 7,65,000.00 | 8,22,600.00 | 8,80,300.00 | 9,40,600.00 |
| | द्वितीय तल | 7,40,000.00 | 7,65,000.00 | 8,22,600.00 | 8,80,300.00 | 9,40,600.00 |
| | तृतीय तल | 7,00,000.00 | 7,65,000.00 | 8,22,600.00 | 8,80,300.00 | 9,40,600.00 |
| श्रेणी-बी सेत्रफल 39.20 वर्ग मी० | | | | | | |
| | भूतल | 12,40,000.00 | 13,03,500.00 | 13,96,600.00 | 14,86,700.00 | 15,85,800.00 |
| 2 | प्रथम तल | 10,90,000.00 | 11,11,500.00 | 11,94,200.00 | 12,78,000.00 | 13,65,600.00 |
| | द्वितीय तल | 10,70,000.00 | 11,11,500.00 | 11,94,200.00 | 12,78,000.00 | 13,65,600.00 |
| | तृतीय तल | 10,40,000.00 | 11,11,500.00 | 11,94,200.00 | 12,78,000.00 | 13,65,600.00 |

Tentative Costing for Type A & Type B Affordable Houses at Sarak Doodhli Near
T.P.Nagar, Saharanpur.

| | | |
|---|---------|-----|
| Total Area of Scheme | 2060.00 | sqm |
| Covered area for 1 unit Type A | 27.00 | sqm |
| Covered area for 1 unit Type B | 39.20 | sqm |
| Covered area for 8 unit at G.F. Type A | 216.00 | sqm |
| Covered area for 4 unit at G.F. Type B | 156.80 | sqm |
| Total Covered area at GF for 8+4=12 houses | 372.80 | sqm |
| Total Covered area for 32 unit all floors of Type A | 864.00 | sqm |
| Total Covered area for 16 unit all floors of Type B | 627.20 | sqm |
| Total Covered area for 32+16 =48 units all floors | 1491.20 | sqm |

| | | | |
|---|-----|-------------------|--|
| 1 LAND COST | | | |
| Land cost paid to Revenue Deptt. | Rs. | 2106144.00 | |
| Int. On Land cost for 5.5 Year (Dat. 1.10.16 to 31.03.22) @ 11% P. Y. | Rs. | 1274217.12 | |
| Total Land cost | Rs. | 3380361.12 | |

| | | | |
|--|-----|------------------|--|
| 2 MISC.EXPENDITURE | | | |
| Professional and Sturctural Design Fee | Rs. | 174620.00 | |
| Paid on 28.09.2015 | Rs. | 125037.49 | |
| Int. @ 11% From 28.09.2015 to 31.03.2022 | Rs. | 58207.00 | |
| Paid on 08.07.2016 | Rs. | 36697.52 | |
| Int. @ 11% From 08.07.2016 to 31.03.2022 | Rs. | 39326.00 | |
| Paid on 22.05.2014 | Rs. | 34002.44 | |
| Int. @ 11% From 22.05.2014 to 31.03.2022 | Rs. | 467890.45 | |
| Total Misc. Expenditure | Rs. | | |

| | | | |
|---|-----|-----------------------|--|
| 3 DEVELOPMENT COST | | | |
| (A) Expenditure incurred on development work | | | |
| (I)Road | Rs. | 371526.00 | |
| (II) Drain | Rs. | 197989.00 | |
| (III) S.T & S.P | Rs. | 283561.00 | |
| (IV) Water Line | Rs. | 101634.00 | |
| (V) Sever Line | Rs. | 124822.00 | |
| (VI) Boundary Wall | Rs. | 947020.00 | |
| Sub Total | Rs. | 2026552.00 | |
| Add:- 5.56% as per CB | Rs. | 112676.00 | |
| Sub Total | Rs. | 2139228.00 (a) | |
| Int. On (a) for 1 Yr.(Half of the Constrn. Period from 20.03.2015 to 19.03.2017) @ 11% P.Y. | Rs. | 235315.08 | |
| Int. @ 11% From 20.03.2017 to 31.03.2022 | Rs. | 1184311.79 | |
| Sub Total | Rs. | 3558854.87 (b) | |
| (VII) C.Conec. Road & Drain | Rs. | 402932.00 (c) | |
| Int. On (c) @ 11% (from 20.08.2014 to 31.03.2022) | Rs. | 387708.72 | |
| Sub Total | Rs. | 850640.72 (d) | |
| Total b+d | Rs. | 4409495.59 (e) | |
| (B)Provisions for proposed works | | | |
| (I) External Electrification | Rs. | 2100000.00 | |
| Sub Total | Rs. | 2100000.00 | |
| Int. @ 11% For 6 Months(Half of the Constrn. Period) | Rs. | 115000.00 | |
| Total | Rs. | 2215500.00 (f) | |

62/11

02/11/2024

08/11/21

15/11/21

| <u>Total Development Cost</u> | Rs. | 4409495.59 |
|---|-----|-------------------|
| (A) Expenditure incurred on Development Works (e) | Rs. | <u>2215500.00</u> |
| (B) Provisions For Proposed Works (f) | Rs. | <u>6624995.59</u> |
| Total Development Cost | | |

| <u>Total Cost of Developed Land</u> | Rs. | 3380361.12 |
|--|-----|--------------------|
| Total Land Cost | Rs. | 378130.00 |
| Misc. Expdtr. | | 83188.60 |
| Intt. @11% (from 01.04.2020 to 31.03.2022) | | 6624995.59 |
| Total Development Cost | Rs. | 10466675.31 |
| | Rs. | |
| Total | | |

SALABLE LAND PRICE

| | | |
|---|-----|-----------------|
| Salable Area | | |
| Per Sqm Land cost = Total cost of Developed Land./ Total Salable Area | Rs. | 28075.85 |
| 10466675.31/372.80= | | |
| | Rs. | 28080.00 |
| Say | | |

As per costing Guide Lines Floor Wise Proportionate Area of Salable land for
G+3 Houses

| Type A Houses | | | | Type B Houses | |
|---------------|-----|-------|-------------------------|---------------|----------------------|
| G.F. | 40% | 27.00 | 28080.00*40% | 303264.00 | 39.20*28080.00*40% = |
| F.F. | 20% | 27.00 | 28080.00*20% | 151632.00 | 39.20*28080.00*20% = |
| S.F. | 20% | 27.00 | 28080.00*20% | 151632.00 | 39.20*28080.00*20% = |
| T.F. | 20% | 27.00 | 28080.00*20% | 151632.00 | 39.20*28080.00*20% = |

CONSTRUCTION COST OF HOUSES

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Construction cost of 32 type A & | | |
| 16 Type B flats as per sanctioned deviation | | |
| Civil Work | Rs. | 18328239.00 |
| Sanitary & Water Supply | Rs. | 680455.00 |
| Internal Electrification | Rs. | 291648.00 |
| | Rs. | 19300342.00 |
| Total | | |
| Add:- 5.56% as per CB | Rs. | 1073099.02 |
| | Rs. | 20373441.02 |
| Total | | |
| Difference of GST | Rs. | 163310.00 |
| | Rs. | 20536751.02 (g) |
| Total | | |
| Interest on (g) for 1 Yr. (Half of the Constn. Period from 20.03.2015 to 19.03.2017) @ 11% P.Y. | Rs. | 2259042.61 |
| Intt. @ 11% Form 20.03.2017 to 31.03.2022 | Rs. | 11369482.95 |
| | Rs. | 34165276.58 |
| Total | | |
| Add:- 15% Contingencies | Rs. | 5124791.49 |
| Add:- 12.5% Over Head | Rs. | 4270659.57 |
| | Rs. | 43560727.64 |
| Total Constn. Cost | | |
| Per Sqm Constrn. Cost=Total Constrn. cost/ Total Covd. Area of all floors | | |
| 43560727.64/1491.20 | Rs. | 29211.86 |
| | Rs. | 29220.00 |
| Say | | |

P
2/11

07/11/2021
AE

08/11/21
F.I.

E/1
15/11/21

Construction Cost Per Unit,

| Type A (1 Unit) | Land Cost | <u>Total Cost Per Unit</u> | | Say |
|-----------------|-----------|----------------------------|------------|----------------|
| | | Construction Cost | Total | |
| GF | 303264.00 | 788940.00 | 1092204.00 | Rs. 1092300.00 |
| FF | 151632.00 | 788940.00 | 940572.00 | Rs. 940600.00 |
| SF | 151632.00 | 788940.00 | 940572.00 | Rs. 940600.00 |
| TF | 151632.00 | 788940.00 | 940572.00 | Rs. 940600.00 |

| Type B (1 Unit) | ↓ Land Cost | <u>Total Cost Per Unit</u> | | Say |
|-----------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|
| | | Construction Cost | Total | |
| GF | 440294.40 | 1145424.00 | 1585718.40 | Rs. 1,585,800.00 |
| FF | 220147.20 | 1145424.00 | 1365571.20 | Rs. 1,365,600.00 |
| SF | 220147.20 | 1145424.00 | 1365571.20 | Rs. 1,365,600.00 |
| TF | 220147.20 | 1145424.00 | 1365571.20 | Rs. 1,365,600.00 |

Total Sale Cost of Houses

| Type A | No of Units | Per Unit sale price | Total |
|--------------|-------------|---------------------|------------------------|
| GF | 8 | 1092300.00 | Rs. 8738400.00 |
| FF | 8 | 940600.00 | Rs. 7524800.00 |
| SF | 8 | 940600.00 | Rs. 7524800.00 |
| TF | 8 | 940600.00 | Rs. 7524800.00 |
| Total | | | Rs. 31312800.00 |

| Type B | No of Units | Per Unit sale price | Total |
|--------|-------------|------------------------|-----------------|
| GF | 4 | 1585800.00 | Rs. 6343200.00 |
| FF | 4 | 1365600.00 | Rs. 5462400.00 |
| SF | 4 | 1365600.00 | Rs. 5462400.00 |
| TF | 4 | 1365600.00 | Rs. 5462400.00 |
| | | Total | Rs. 22730400.00 |
| | | Total Sale Cost | Rs. 54043200.00 |

Total project cost

| | | |
|------------------------------|-----|--------------------|
| Total cost of Developed Land | Rs. | 10466675.31 |
| Total cost of Constrn. | Rs. | 43560727.64 |
| Total Project Cost | Rs. | 54027402.95 |

F.A.O.

Sci.

37
V.C.

08/11/2
E.E.

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64 / 09

- विषय : प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु वास्तुविदों का पैनल चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सहारनपुर में विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्य कराये जाते हैं, जिसमें Architectural & Structural engineering expertise की आवश्यकता पड़ती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए भवन निर्माण संबंधी कार्यों एवं अन्य निर्माण/विकास संबंधी कार्यों हेतु पृथक-पृथक रूप से सुयोग्य वास्तुविदों का पैनल तैयार किया जाना उचित होगा। आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण में उक्तानुसार Empaneled वास्तुविदों में से प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वास्तुविद का चयन कर सम्यान्तर्गत कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

अतः कृपया प्राधिकरण में वास्तुविदों का e - Tender के माध्यम से पैनल चयनित किये जाने का प्रस्ताव मा० बोर्ड के विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64 / 10

विषय : सहारनपुर महायोजना-2021 अन्तर्गत निर्मित एवं समीप के क्षेत्र में शहर के सुनियोजित विकास हेतु निर्मित क्षेत्र में 12 मी० मार्गाधिकार सुरक्षित कर मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में।

इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश संख्या-354/स०वि०प्रा०/2021 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा निम्नवत समिति गठित की गयी :-

- 1- श्री अनिल कुमार मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता
- 2- श्री डी०के०शर्मा, सहायक अभियन्ता
- 3- श्री शील कुमार जैन, अवर अभियन्ता
- 4- श्री सी०ए०म०अग्रवाल, अवर अभियन्ता

उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 14.12.2021(संलग्नक-10.1) में उल्लेख किया गया है कि सहारनपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र में कुल मार्ग व्यवसायिक उपयोग हेतु विकसित हो चुके हैं एवं प्रश्नगत स्थलों के भूउपयोग सहारनपुर महायोजना-2021 में निर्मित क्षेत्र दर्शित है। इन मार्गों पर सड़क की चौड़ाई 12.00 मी० न होने के कारण आवासीय मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं। तदक्रम में कुछ मार्गों को चिह्नित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है :-

1. कोर्ट रोड से टेलीफोन एक्सचेंज वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
2. कोर्ट रोड से चर्च वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
3. कोर्ट रोड से खेमका सदन वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
4. हाथी गेट से नारायणपुरी मन्दिर तक की सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
5. कोर्ट रोड से आशा मार्डन पब्लिक स्कूल तक की सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
6. मंगल नगर पुल से आशा गोथल नर्सिंग होम के आगे से विजय टॉकिंज के सामने चकरोता रोड पर मिलने वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
7. कोर्ट रोड भारती डेरी से इन्द्रा भार्गव नर्सिंग होम तक की सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
8. कोर्ट रोड से खालसा जनरल स्टोर वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)

सहारनपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सहारनपुर महायोजना-2021 में दर्शित निर्मित क्षेत्र में बाजार एवं सघन बाजार क्षेत्र में Existing Road Width की चौड़ाई पर व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं, परन्तु उक्त बाजार एवं सघन बाजार क्षेत्र के अतिरिक्त कई मार्ग व्यवसायिक रूप से विकसित हो रहे हैं एवं पूर्व में भी हो चुके हैं, जिसको विद्यमान 12.00 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध न होने के कारण व्यवसायिक रूप में स्वीकृत/शमन नहीं किया जा सकता है। यदि उपरोक्त सड़कों पर आवासीय मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, तो भी सड़क की चौड़ाई 12.00 मीटर प्रस्तावित करनी होगी। समिति द्वारा उक्त के दृष्टिगत उपरोक्त सड़कों के समुख रोड वाइडनिंग की जगह छोड़कर 12.00 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित करते हुए मानचित्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आख्या दी है। इससे न केवल प्राधिकरण की आय में वृद्धि होगी बल्कि जनसामान्य को राहत मिलेगी और परिवहन की दृष्टि से भी लाभकारी होगा।

अतः उक्त के दृष्टिगत उपरोक्त सड़कों के समुख रोड वाइडनिंग की जगह छोड़कर 12.00 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित करते हुए व्यवसायिक/आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


सचिव/उपाध्यक्ष,महोदय

कृपया उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रांक 354/स0वि0प्रा0/2021 दिनांक 08 नवम्बर, 2021 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरियों की समिति गठित कर निर्मित क्षेत्र में रथल निरीक्षण उपरान्त निम्न सड़कें व्यवसायिक उपयोग हेतु विकसित हो चुकी हैं एवं प्रश्नगत रथल के भू-उपयोग सहारनपुर महायोजना-2021 में निर्मित क्षेत्र दर्शित है। रथल की सूची निम्नवत् है:-

1. कोर्ट रोड से टेलीफोन एक्सचेंज वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
2. कोर्ट रोड से चर्च वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
3. कोर्ट रोड से खेमका सदन वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
4. हाथी गेट से नारायणपुरी मन्दिर तक की सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
5. कोर्ट रोड से आशा मार्डन पब्लिक स्कूल तक की सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
6. मंगल नगर पुल से आशा गोयल नर्सिंग होम के आगे से विजय टॉकिंज के सामने चकरोता रोड पर मिलने वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
7. कोर्ट रोड भारती डेरी से इन्द्रा भार्गव नर्सिंग होम तक की सड़क। (9.00 मीटर औसतन)
8. कोर्ट रोड से खालसा जनरल स्टोर वाली सड़क। (9.00 मीटर औसतन)

सहारनपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सहारनपुर महायोजना-2021 में दर्शित निर्मित क्षेत्र में बाजार एवं सघन बाजार क्षेत्र में Existing Road Width की चौड़ाई पर व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं, परन्तु उक्त बाजार एवं सघन बाजार क्षेत्र के अतिरिक्त कई मार्ग व्यवसायिक रूप से विकसित हो रहे हैं एवं पूर्व में भी हो चुके हैं, जिसको विद्यमान 12.00 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध न होने के कारण व्यवसायिक रूप में स्वीकृत/शमन नहीं किया जा सकता है, यदि उपरोक्त सड़कों पर आवासीय मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, तो भी सड़क की चौड़ाई 12.00 मीटर प्रस्तावित करनी होगी।

अतः उक्त के दृष्टिगत उपरोक्त सड़कों के समुख रोड वाइडनिंग की जगह छोड़कर 12.00 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित करते हुए व्यवसायिक/आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान किये जाने से प्राधिकरण की आय में वृद्धि होगी। कृपया आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।


सी0एम0 अग्रवाल
अवर अभियन्ता
सहारनपुर।


शील झा
अवर अभियन्ता
सहारनपुर।


डी0 के शर्मा
सहायक अभियन्ता
सहारनपुर।


अनिल कुमार मिश्रा
अधिशासी अभियन्ता
सहारनपुर।

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64/11

- विषय:- राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भू-उपयोग के भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में।

आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, सहारनपुर मण्डल/सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिंग, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2021 तथा 28.09.2021 को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार जुबली पार्क नेहरू मार्किट की भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि जुबली पार्क क्षेत्र और अम्बाला रोड वस स्टैण्ड की भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2021 के अन्तर्गत खुला क्षेत्र है। इसके भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जायेगा। तदोपरान्त प्रस्ताव भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा।

तदकम में आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2021(संलग्नक-11.1) को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तावित निर्माण हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में प्रश्नगत भूमि/स्थल के विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा के क्रम में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या-1933/स0विठो/2021-22 दिनांक 30.11.2021 के माध्यम से नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिंग, सहारनपुर को कठिपप्य विन्दुओं के अनुसार सूचनायें/विवरण सम्पूर्ण अभिलेखों सहित प्रस्ताव को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-353/सम्प0अनु0/न0निठसहा0/2021-22 दिनांक 17.12.2021(संलग्नक-11.2) के माध्यम से जुबली पार्क सहारनपुर की भूमि पर कॉमर्शियल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लैक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग एवं कार्यालय पत्र संख्या-356/सम्प0अनु0/न0निठसहा0/2021-22 दिनांक 17.12.2021(संलग्नक-11.2) के माध्यम से दिल्ली वस स्टैण्ड अम्बाला रोड, सहारनपुर की भूमि पर कॉमर्शियल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लैक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग के प्रस्तावित निर्माण हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने हेतु वांछित अभिलेखों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1- जुबली पार्क के खसरा नं-959 की 7000.00 वर्ग मीटर भूमि का विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने का प्रस्ताव है। महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगर निगम द्वारा उतनी ही अतिरिक्त भूमि महायोजना में आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्र संख्या-362/सम्प0अनु0/न0निठसहा0/2021-22(संलग्नक-11.3) दिनांक 18.12.2021 के माध्यम से मानकमठ में गौरी शंकर इण्टर कॉलेज के सामने खसरा नं-364 की लगभग 7480.00 वर्ग मीटर (खुदान) की भूमि को नगर निगम की बोर्ड बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में वैकल्पिक भूमि के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2- दिल्ली वस स्टैण्ड, अम्बाला रोड, सहारनपुर के खसरा नं-1174 की 8000.00 वर्ग मीटर भूमि का विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने का प्रस्ताव है। महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगर निगम द्वारा उतनी ही अतिरिक्त भूमि महायोजना में आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्र संख्या-362/सम्प0अनु0/न0निठसहा0/2021-22 दिनांक 18.12.2021(संलग्नक-11.3) के माध्यम से ग्राम चकहरेटी में खसरा नं-80म0 की लगभग 6150.00 वर्ग मीटर (सम्पत्ति ग्राम समाज) व खसरा नं-194 क्षेत्रफल 2560.00 वर्ग मीटर (नवीन परती) की भूमि सहित कुल 8710.00 वर्ग मीटर भूमि को नगर निगम की बोर्ड बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में वैकल्पिक भूमि के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित होने के साथ जनहित में आवश्यकता के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक मण्डल द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं के संबंध में दिए गए अनुमोदन एवं परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त निर्देशों के क्रम में स्मार्ट सिटी, सहारनपुर द्वारा प्रस्तावित निर्माणों हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में प्रश्नगत भूमि/स्थल के विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उठोप्रो के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(के.)/2021-22 दिनांक 21.12.2021(संलग्नक-11.4) के साथ संलग्न कार्यवृत्त के प्रस्ताव (1.8) के अनुसार आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
SAHARANPUR SMART CITY LIMITED HELD AT 15:30 HOURS ON MONDAY,
29TH NOVEMBER, 2021 AT CIRCUIT HOUSE, SAHARANPUR-247001**

PRESENT

- | | |
|---------------------------|---|
| Shri Lokesh M. | - Chairman/ DC, Saharanpur |
| Shri Akhilesh Singh | - Nominee Director/ DM, Saharanpur |
| Shri Gyanendra Singh | - Chief Executive Officer/ MC, Saharanpur |
| Shri Awadhesh Kumar Gupta | - Director (through video conference), AD, RCUES, Lucknow |
| Shri Gyan Chand Jha | - Director/Chief Engineer, HYDEL, Saharanpur |

IN ATTENDANCE & INVITEES

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Shri Rajeev Kumar Yadav | - ACEO/ AMC, Saharanpur |
| Shri Amrendra Gautam | - EE, Nagar Nigam, Saharanpur/SSCL |
| Shri Kunal Aggarwal | - Internal Auditor, SSCL |
| Shri C P Singh | - SE, PWD |
| Shri R K Singh | - EE |
| Shri Satyendra Singh | - Project Manager |
| Shri Manoj Kumar | - GM, JalKal |
| Shri Rupesh Kumar | - EE, PWD |
| Shri Anil Kumar Mishra | - EE, SDA |
| Shri Sushil Kumar | - EE, Jal Kal Nagar Nigam |
| Shri Anil Kumar Mishra | - EE, SDA |
| Shri Danish H Naqvi | - AE, Nagar Nigam |
| Shri Satyendra Saga | - CTO |
| Shri Ruchin Yadav | - PM, Jal Nigam |
- remaining attendance as per Annexure-1

Quorum

The CEO informed the Chairman that the number of Directors participating in the Meeting through physical presence and by way of video-conference are as required under the Companies Act, 2013 and therefore, requisite quorum for the Meeting is fulfilled.

Shri A K Gupta who had attended the meeting through video conference have complied with the requirements of sub-rule (4) of Rule 3 of the Companies (Meetings of the Board and its Powers) Rules, 2014.

Chairman

Shri Lokesh M took the chair and called the meeting to order.

Agenda No. 1 To grant leave of absence

Shri Sushil Pundir, Shri Indramani Tripathi, Shri Krishna Mohan and Shri Sanjay Kumar Gautam were absent.

CHAIRMAN'S
INITIALS




Agenda No. 2 To confirm draft minutes of the Meeting of Board of Directors held on November 22, 2021 and minutes of the Meeting of City Advisory Forum held on November 17, 2021.

No discussion was made on this agenda.

Agenda No. 03 To approve the payment of ongoing projects

1. Sewerage in ABD Area

No discussion was made on this project

2. Smart Road Network (Phase-1)

A bill of Rs. 1,26,97,385 was placed before the Board for the payment. The Board directed that the Committee of Executive Engineers of Public Works Department and Rural Engineering which was constituted in the board meeting dated 28/09/2021 will inspect the work and bill. The Committee will check whether the work has been done according to RFP and provisions of the contract and submit its report in the next meeting for Board approval.

3. Integrated Command and Control Centre (ICCC)

The Board was informed that as per decision taken in the meeting dated 27/10/2021 70% of the payment of 2 bills of Rs. 4.97 Cr and Rs. 9.79 Cr were paid. A request for the payment of remaining 30% was placed before the Board. The Board directed to get the third party inspection from IIT, Roorkee of the work done by NEC and thereafter present the report before the Board for their approval.

Appointment of IIT Roorkee as PMC


The Board was informed that a request to IIT Roorkee was made on 23/11/2021 to do PMC work for SSCL. IIT Roorkee dated 25/11/2021 gave its consent to act as PMC for the Company along with the scope of work, financial proposal and working terms and condition. Consent along with Financial Proposal and other documents was placed before the Board of their approval as follows:

| S. No. | Phases | Duration | Cost (in INR)*excluding GST |
|--------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1 | Deployment and implementation phase | 7 months | 63,00,000/- |
| 2 | Operation and management phase | 5 years | 2,40,00,000/- |

The Board noted and decided to approve Deployment and Implementation phase at present and to consider the approval for Operation and Management phase in the future.

EE, Smart City Saharanpur informed the Board that in order to start the work of deployment and implementation phase a work order and 50% mobilization advance need to be released. The noted and passed the following resolution:

CHAIRMAN'S INITIALS




MINUTE BOOK

"RESOLVED THAT a) appointment of IIT, Roorkee as PMC to carry out the work of deployment and implementation of Saharanpur Smart City project is be and hereby approved.

b) Payment of mobilization advance (after work order and agreement) of 50% of the total cost of Deployment and Implementation phase be and is hereby approved.

4. Rejuvenation of Nine Parks

Second running bill by M/s R.N. Enterprises of Rs. 55,00,000 for completing 30% of the work, was placed before the Board for payment. The Board directed that the a Committee of EE PWD Nominated by SE PWD Saharanpur, EE SDA and Project Manager C&DS which was constituted in the board meeting dated 27/08/2021 will inspect the bill according to the work. The Committee will check whether the work has been done is according to RFP and provisions of the contract and submit its report in the next meeting for Board approval.

5. Smart E-Library

No discussion was made on this agenda.

6. Smart Schools & Classrooms

No discussion was made on this agenda.

Agenda No. 4 To approve the DPR of the new projects

The Board in its meeting dated 22/11/2021 gave its administrative approval on the design, drawing and estimate of the projects. The Board directed government agencies to prepare the DPR of the approved projects and present them in the next Board meeting. The DPRs of the project were presented by different government agencies before the Board as follows:

| S. No. | Name of the Project | Cost of the projects (in Lakh inclusive of all taxes and charges) | Government Agency |
|--------|---|---|-------------------|
| 1 | Development of Multi-Level Car Parking [With Commercial Space for Future Expansion] at Jubilee Park in Saharanpur, UP | 4231.47 | C&DS |
| 2 | Under Ground Electricification of Intersection at Aali ki Chungi, Mandi Samiti Chilkana Road, Khata Khedi Golkothi, Jama Masjid Chowk Pull Khumran in Saharanpur city | 4757.51 | HYDEL |
| 3 | Under Ground Electrification of GPO Road in Saharanpur City | 916.49 | HYDEL |

CHAIRMAN'S INITIALS





| | | | |
|----|---|---------|-------|
| 4 | Under Ground Electrification of Intersection at Bhagat Singh Chowk Pull Khumiran, Chowki Sarai Shaheed Ashfaq Ullah Kha Chowk Kishan Pura, Kishanpura Shriram Chowk, Arbi Madarsa Tiraha, Mata Garh Pulia, Jain Bagh, 62 Foota Abdul Hamid Chowk in Saharanpur City | 4128.86 | HYDEL |
| 5 | Under Ground Cabling Work on Mela Ghughal Area And Kargil Gate S/S Ambala Road in Saharanpur City | 2224.15 | HYDEL |
| 6 | Supply and Fixing of Solar High Mast and Solar Street Lighting on different Parks and different areas in Saharanpur City | 468.20 | NEDA |
| 7 | Construction of Khatakhadi Commercial Complex in Saharanpur City | 3984.69 | PWD |
| 8 | Development of GPO Road (Railway Station to Railway over Bridge Via Main Post Office) in Saharanpur City | 1033.74 | PWD |
| 9 | Construction of Healthcare Centre near Janmanch in Saharanpur City | 3980.00 | PWD3 |
| 10 | Construction of RCC road and development work in Mela Gughal area in Saharanpur City. | 900.00 | SDA |
| 11 | Construction of Ornamental RCC Entry Gate on Delhi Road in Saharanpur City | 300.00 | SDA |
| 12 | Development of slum at Matagarh ward no. 22 under ABD area in Saharanpur City | 210.12 | SIDCO |
| 13 | Development of slum at Kishanpura (at the bank of Paon Dhoi River) ward no. 23 under ABD area in Saharanpur City | 63.10 | SIDCO |
| 14 | Development of slum at Ramchandrapuri (at the bank of Paon Dhoi River) ward no. 07 under ABD area in Saharanpur City | 37.14 | SIDCO |

CHAIRMAN'S INITIALS



| | | | |
|----|---|---------|-------|
| 15 | Development of slum at Purana Kamela (near Guru Tegh Bahadur Inter College) ward no. 07 under ABD area in Saharanpur City | 143.66 | SIDCO |
| 16 | Construction of Dhamola River Bridge at between Rakesh Cinema and Sapna Cinema in Saharanpur City | 678.19 | UPBCL |
| 17 | Construction of road with retaining wall along the left bank of river Paodhoi and Dhamola near merging point to provide the connectivity with the newly proposed bridge in the upstream of Dehradun-Ambala Road Xing in Saharanpur City under Smart City Mission. | 511.83 | UPPCL |
| 18 | Proposed construction of multilevel car parking near Janmanch in Saharanpur City under Smart City Mission. | 4042.80 | UPPCL |
| 19 | Construction of Multipurpose Hall for Wrestling/Taekwondo at Dr. Bheem Rao Ambedkar Sports Stadium in Saharanpur City under Smart City Mission. | 807.88 | UPPCL |
| 20 | Construction of Smart Gym and open Gym at Dr. Bheem Rao Ambedkar Sports Stadium in Saharanpur City under Smart City Mission. | 613.08 | UPPCL |
| 21 | Development works of Judo Hall at Dr. Bheem Rao Ambedkar Sports Stadium in Saharanpur City under Smart City Mission. | 157.16 | UPPCL |
| 22 | Construction of weight training centre at Dr. Bheem Rao Ambedkar Sports Stadium in Saharanpur City under Smart City Mission. | 24.87 | UPPCL |
| 23 | Construction of Entrance Gate of Dr. Bheem Rao Ambedkar Sports Stadium in Saharanpur City under Smart City Mission. | 50.47 | UPPCL |
| 24 | External development works of Dr. Bheem Rao Ambedkar Sports Stadium in Saharanpur City under Smart City Mission. | 47.42 | UPPCL |

CHAIRMAN'S INITIALS



| | | | |
|----|---|---------|------------------|
| 25 | Construction of proposed renovation of Basketball Court at Dr. Bheem Rao Ambedkar Stadium, Gandhi park, Saharanpur City | 51.78 | UPRNSS |
| 26 | Construction of proposed renovation of Badminton Court at Dr. Bheem Rao Ambedkar Stadium, Gandhi Park, Saharanpur City | 129.54 | UPRNSS |
| 27 | Construction of proposed renovation of Yoga Manch at Dr. Bheem Rao Ambedkar Stadium, Gandhi Park, Saharanpur City | 28.00 | UPRNSS |
| 28 | Construction of proposed renovation of boundary wall at Dr. Bheem Rao Ambedkar Stadium, Gandhi Park, Saharanpur City | 71.43 | UPRNSS |
| 29 | Development of Saharanpur Habitat Centre at Delhi Bus Depot in Saharanpur City | 4976.57 | UPRNN, Meerut |

The Board after satisfactory presentation gave its administrative and financial approval to the above-mentioned projects. The Chairman directed DPR Evaluation Committee (*constituted by Board in its meeting dated 28/09/2018*) to evaluate and finalize the DPR of the projects and if all the provisions are fulfilled as per Smart City Guideline and Advisory-15 then DPR Evaluation Committee should take appropriate decision. Thereafter, Chairman authorized CEO to issue letters to government agencies for tendering, for those projects approved by DPR Evaluation Committee. The Board also directed Government agencies to get the vetting of the projects done, as the responsibility for monitoring and maintaining the project as per Advisory-15 is of Government agencies only.

Agenda No. 5 To approve the appointment of Civil Expert

The Board was informed that in order to escalate the progress of the projects of SSCL an IT, Expert and a Civil Expert is required. On the request of SSCL, Shri Ajit Mishra was selected on tender basis by R.C.U.E.S. A recommendation for appointment with the salary of ₹ 2.8 lacs from R.C.U.E.S. was placed before the Board. The Board noted and directed to negotiate the remuneration with Shri Ajit Mishra and finalise his appointment as Civil Expert in the Company.

Agenda No. 6 To consider the increment of the employees of the Company.

The Board was informed that in the meeting dated 27/10/2021, Board constituted a team of three officers i.e. CFO, Chief Engineer and Shri Sushil Pundir, Independent Director to decide the selection procedure of employees, staff strength, salary structure, TA/DA rates, service conditions and essential qualification, experience and age limits and leave rules etc. for different posts. The Committee however could not make decision on the above mentioned items.

CHAIRMAN'S
INITIALS



The Chairman thereafter constituted a new committee of CEO, ACEO, CTO and CS to decide the selection procedure of employees, staff strength, salary structure, TA/DA rates, service conditions and essential qualification, experience and age limits and leave rules etc. and submit the report within 7 days. The Board noted and approved the same.

Agenda No. 7 To approve the Photostat machine, 2 Computers with printers and 1 colour printer

The Board was informed about the need of the photostat machine and 2 computers with printers and 1 colour printer in the office. A quotation for the same was placed before the Board as follows:

| S. No. | Items | Quantity | Approximate cost (including GST) |
|--------|-----------------------|----------|----------------------------------|
| 1 | Photostat machine | 1 | 88,500/- |
| 2 | Computer with printer | 2 | 1,60,000/- |
| 3 | Colour Printer | 1 | 60,000/- |

The Board noted and approved the same.

Agenda No. 8 To discuss the ongoing 14 projects of the Company.

No discussion was made on this project.

Agenda No. 9 To appoint full time Chartered Accountant in employment in the Company

The Board was informed that the company will soon expand its business after getting the next grant from the Government. In future, Company will attract more provision of the laws after increasing its share capital. Therefore, hiring learned manpower in the company is needed. The Board noted and approved the appointment of fulltime Chartered Accountant in the Company.

Agenda No. 10 Any other matter

1) To approve the new recruitment of manpower in the Company

The Board was informed that in order to the business of the company more effective and efficiently new recruitment of the manpower in the company is needed. A list of the required manpower was placed as follows:

| S. No. | Name of Post | Total Post | Tenure | Remuneration P.M. |
|--------|---|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | D.G.M. Finance | 01 | 11 months on Contractual Basis | Negotiable subject to experience |
| 2 | G.M. Project | 01 | | |
| 3 | Urban Planner | 01 | | |
| 4 | I.T. Engineer | 01 | | |
| 5 | Assistant Engineer (Civil) /Degree Holder | 01 | | |

CHAIRMAN'S INITIALS



| | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--|--|
| 6 | Electrical Engineer/ Degree Holder | 01 | | |
| 7 | Personal Assistant | 01 | | |
| 8 | Junior Engineer (Civil) | 02 | | |
| 9 | Account officer | 01 | | |

The Board noted and approve the list of new recruitment of manpower in the Company and directed to appointment them as per Smart City Guidelines through advertisement.

There being no other business, the meeting ended with a vote of thanks to the Chair at about 2:45 P.M.

Entered in the Minutes Book on


 CHAIRMAN

 CHAIRMAN'S
INITIALS



सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर।

गुरुदासा रोड, सहारनपुर।

दूसरा कार्यालय : ०१३२ - २६४८११२
Email ID :
nagarnigamsaharanpur@gmail.com
Website : saharanpurnagarnigam.in

प्रेषक,

नगर आयुक्त

नगर निगम सहारनपुर।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

सहारनपुर।

पत्रांक २८७ / सम्प्रब्लू०/न०ग्न०सहा० / २०२१-२२

दिनांक १७/१२/२१

विषय : राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली सम्पत्तियों के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पत्र संख्या १९३३/स०वि०प्रा०/२०२१-२२ दिनांक ३०, नवम्बर २०२१ एवं पत्र संख्या १९५९/स०वि०प्रा०/२०२१-२२ दिनांक १३, दिसम्बर २०२१ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें दिल्ली बस स्टैण्ड, अमाला रोड की भूमि पर कॉमर्शियल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, विद मल्टी लेवर पार्किंग एवं जुबली पार्क नेहरू मार्किट की भूमि पर मल्टी लेवर पार्किंग व अन्य योजनाओं के निर्माण व (कन्स्ट्रक्शन ऑफ हेल्प केयर सेन्टर नियर जनमंच इन सहारनपुर सिटी) प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन ऑफ मल्टी लेवर कार पार्किंग नियर जनमंच इन सहारनपुर सिटी अण्डर स्मार्टसिटीमिशन के विभिन्न कार्य निकट जनमंच/स्टेडियम की भूमि पर मल्टीलेवर पार्किंग व अन्य योजनाओं के निर्माण हेतु सम्बन्धित स्थलों की भूमि के प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावित निर्माण हेतु वर्तमान महायोजना २०२१ में विद्यमान भू-उपयोग "ओपन स्पेस" को कॉमर्शियल में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में १४ बिन्दुओं पर आख्या अपेक्षित की गयी थी, अपेक्षित आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है, कि नियमों में शितिलता बरतते हुये भू-उपयोग परिवर्तन हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

महोदय

(ज्ञानेन्द्र सिंह)

(आईएएस)

नगर आयुक्त

नगर निगम सहारनपुर।

प्रतिलिपि:-

१-मा० आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, सहारनपुर मण्डल/सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि०, सहारनपुर को सादर अवलोकनार्थ/सूचनार्थ प्रेषित।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)

(आईएएस)

नगर आयुक्त

नगर निगम सहारनपुर।

कार्यालय नगर निगम, सहारनपुर।

नंत्रांक २५५/साप्त०अनु०/न०नि०सहा०/२०२१-२२
सेवा में।

दिनांक:- १७/१२/२१

उपायक्षम

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

महोदय,

कृपया सादर अवगत करना है कि आयुका महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2021 को सम्पन्न हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सहारनपुर स्टार्ट सिटी लिंग, सहारनपुर की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जुबली पार्क सहारनपुर की भूमि पर कमर्शियल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, निव भट्टी लेवल पार्किंग मार्किट की भूमि पर मल्टीलेवल कार पार्किंग के प्रस्तावित निर्माण हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में प्रश्नगत भूमि/स्थान के विवरण भू-उपयोग "ओपन स्पेस" को "कार्मशियल" में परिवर्तित कराये जाने हेतु 14 बिन्दुओं के सम्बन्ध में चाही गयी आख्या विवरण है।

| क्र०सं | वाइत विवरण | वाइत विवरण का उत्तर |
|--------|--|--|
| 1 | भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व/विक्रय-विलेख की प्रमाणित प्रति। | खेवट, खसरा, खतौनी व शजरे की प्रमाणित प्रति संलग्न है। |
| 2 | भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्लाट/खसरा/गाठा संख्या व सम्बन्धित खतौनी, ग्राम, लहरीत व जिला का नाम। | संलग्नक कॉलम नं 01 के अनुसार। |
| 3 | प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल एवं दसर्क किटने का भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित है। | खसरा नं 959 जुबली पार्क का कुल क्षेत्रफल 2.336 है। प्रस्तावित योजना का क्षेत्र 7000 वर्गमीटर |
| 4 | नगर के प्रमाणी महायोजना में राष्ट्रीयत भूमि का खसरावार विवरण भू-उपयोग। | बाग/हरित पट्टी/पार्क/पार्किंग |
| 5 | प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु भूमि विविवाद होने/लम्बित वाद होने की स्थिति। | कोई वाद लम्बित नहीं है। |
| 6 | प्रस्तावित भू-उपयोग भूमि के मध्य राराकीय/रार्वजनिक भूमि है अथवा नहीं, जी रिप्टि। | भूमि भारत सरकार खेवट की है जो नगर निगम के प्रबन्धन में है। |
| 7 | यदि प्रस्तावित भू-उपयोग की भूमि के क्षय कोई शासकीय/रार्वजनिक भूमि रिप्टि है, तो उसके व्यवस्थापन किये जाने की प्रस्तावित विधि। | भूमि के आंशिक भाग जिस पर कार्य योजना प्रस्तावित है, वर्तमान में रिक्त है। |
| 8 | भूमि पर विद्यमान निर्माण, यदि कोई हो, की स्थिति। | भूमि के आंशिक भाग पर नगर निगम की दुकाने आदि/रार्वजनिक शौचालय निर्मित हैं। |
| 9 | महायोजना में सम्बन्धित भूमि का प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन। | कॉर्मशियल/व्यवसाय/शॉपिंग, ऑफिस, कॉम्प्लेक्स मल्टीलेवल कार पार्किंग |
| 10 | प्रेषित किये गये प्रस्ताव में महायोजना के मानवित्र में स्थल की स्थिति। | संलग्न है। |
| 11 | प्रेषित किये गये प्रस्ताव में सम्बन्धित ग्राम के सजरा प्लान पर स्थल की रिप्टि। | ग्रम संख्या 01, 02, व 03 के अनुसार। |
| 12 | महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टिका/पार्क/खुले स्थल का भू-उपयोग अपरिहर्य कारणों से परिवर्तन करने की स्थिति में उतनी ही अतिरिक्त भूमि महायोजना में आरक्षित करने का प्रस्ताव। | राजस्व अभिलेखों में सम्बन्धित भूमि नाम मालिकान भारत सरकार माफी कम अर्जे देह बीघा अंकित है, जिसके सम्बन्ध में संलग्न पत्रांक 211/साप्त०अनु०/न०नि०सहा० दिनांक 01.12.2021 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को निर्माण की अनापत्ति/अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है। |
| 13 | हरित पट्टिका का भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित होने की दशा में वन विभाग की अनापत्ति। | वर्तमान में क्षेत्र नगरीय आबादी के मध्य में स्थित है, वन क्षेत्र नहीं है। |
| 14 | वैकल्पिक भूमि दिये जाने की दशा में ऐसी भूमि का विवरण व क्षेत्रफल। | बिन्दु संख्या 12 के अनुसार प्रस्ताव का प्रेषण किया जायेगा। |

नगर आयुक्त

नगर निगम, सहारनपुर।

नगर निगम, सहारनपुर

87

ग्राम - दृढ़ाराड़ा कुदा अक्षयकूल

नक्कल स्वेच्छा घोषणा

| अंकाशीत लिखी गई | अंकाशीत लिखी गई | अंकाशीत लिखी गई | अंकाशीत लिखी गई | अंकाशीत लिखी गई | अंकाशीत लिखी गई |
|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| परगाला - हन्दारनकुट तहसील ने जिला - सहाय्या आवास अम्ब - 14/18000 रु 142/45 | अंकाशीत लिखी गई | इतिहासों का नाम पिठापाट उमर दिल्ली स्थान नवेल की चुक्की भूमि अम्बी । | उमरेश का निवास | उमरेश का निवास | उमरेश का निवास |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

88

प्रभावी, बालाकोट

14/12/2021

मुख्य
मंत्री

राज्यपाल
मुख्यमंत्री
कानून एवं विधायक
सभा विभाग
राज्यपाल
कानून एवं विधायक
सभा विभाग

लोकाली

لِلْأَنْجَوِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ

देशभाषण तहसील स्टडीरिंग जिला बहुबली साल 14-२५ सन् फळसल सम्बन्धी

B9

90

२०८० ९५

स्थानकाता

मुक्तमीमाणि = ३०५२९ मिली ३३६०५०८ मि

मुक्तावेत्तमामाणि = ७००० मिली०

प्रभाव

प्रभाव

१५/१२/२०२१

लोधपत्र संगठन

नगर निगम, सहरसा

सरकार

माजा परामुख

पत्रांक ८५८/सम्प्रभुनु/नोनिःसहा०/2021-22
सेवा में,

दिनांक:- 17/12/21

उपाध्यक्ष,

राहारनपुर विकास प्राधिकरण,
राहारनपुर।

महोदय,

कृपया सादर अवगत करना है कि आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2021 को सम्पन्न हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राहारनपुर स्टार्ट सिटी लिंग, राहारनपुर वी बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली बस स्टैण्ड, अम्बाला रोड राहारनपुर की भूमि पर कमर्शियल शॉपिंग एण्ट और संकोचनलेलेक्स, विद मल्टी लेवल पार्किंग मार्किट की भूमि पर मल्टीलेवल कार पार्किंग के प्रस्तावित निर्माण हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में प्रस्तावित भूमि/स्थल के विवाह भू-उपयोग 'ओपन रेस' को 'कार्मर्शियल' में परिवर्तित कराये जाने हेतु 14 बिन्दुओं के सम्बन्ध में चाही याची आव्याखित दिया जाना है।

| क्रमसंख्या | वाइट विवरण | वाइट विवरण का उत्तर |
|------------|---|---|
| 1 | भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व/विकाय-वित्तेख की प्रमाणित प्रति। | खेड, खसरा, खतौनी व शजरे की प्रमाणित प्रति संलग्न है। |
| 2 | भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का स्थाट/खसरा/गाल सल्ला द सांबित्त खतौनी, ग्राम, तहसील व विलाल का नाम। | संलग्नक कॉलम नं 01 के अनुसार। |
| 3 | प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल एवं उसके कितने का भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित है। | भूमि का कुल क्षेत्रफल (खसरा नं 1174) क्षेत्रफल 10.5 है। प्रस्तावित योजना की भूमि का क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर |
| 4 | नगर के प्रमाणी महायोजना में सांबित्त भूमि का खसरावार नियमानुसार भू-उपयोग। | ओपनरेस/बस अड्डा/पार्किंग/बहु उद्देशीय |
| 5 | प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु भूमि नियमित होने/लमित वाद होने की स्थिति। | कोई वाद लमित नहीं है। |
| 6 | प्रस्तावित भू-उपयोग भूमि के मध्य शारकीय/सार्वजनिक भूमि है अथवा नहीं, की स्थिति। | भूमि गिलकियत सुवेजाती हुकमत (राज्य सरकार) है, जो नगर निगम के प्रबन्धन में है। |
| 7 | यदि प्रस्तावित भू-उपयोग वी भूमि के मध्य कोई शासकीय/सार्वजनिक भूमि रित्त है, तो उसके व्यवस्थापन किये जाने की प्रस्तावित विधि। | भूमि के आंशिक भाग पर कार्य योजना प्रस्तावित है, वर्तमान में रिक्त है। |
| 8 | भूमि पर विद्यमान नियमानुसार, यदि कोई हो, की स्थिति। | भूमि के आंशिक भाग पर गांधी पार्क, अम्बेडकर स्टेडियम व कार्यालय नगर निगम दुकानें निर्मित हैं। |
| 9 | महायोजना में सांबित्त भूमि का प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन। | मल्टीलेवल कार पार्किंग/व्यवसायिक शॉपिंग कॉम्प्लैक्स/हैल्प्स सेन्टर/बहु उद्देशीय भवन |
| 10 | प्रेषित किये गये प्रस्ताव में महायोजना के मानवित्र में स्थल की स्थिति। | संलग्न है। |
| 11 | प्रेषित किये गये प्रस्ताव में सांबित्त ग्राम के सजरा प्लान पर स्थल की स्थिति। | क्रम संख्या 01, 02, व 03 के अनुसार। |
| 12 | महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टिका/पार्क/खुले स्थल का भू-उपयोग अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन करने की स्थिति में उतनी ही अतिरिक्त भूमि महायोजना में आरक्षित करने का प्रस्ताव। | राजस्व अमिलेखों में सांबित्त भूमि नाम मालिकान सुबे जाति हुकमत अंकित है, जिसके सम्बन्ध में संलग्न पत्रांक 211/सम्प्रभुनु/नोनिःसहा० दिनांक 01.12.2021 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को निर्माण की अनापत्ति/अनुमति दिये जाने के सामने में पत्र प्रेषित किया गया है। |
| 13 | हरित पट्टिका का भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित होने की दशा में वन विमाग की अनापत्ति। | वर्तमान में क्षेत्र नगरीय आबादी के मध्य में स्थित है, वन क्षेत्र नहीं है। वर्तमान में खाली जगह पर बस अड्डे का संचालन हो रहा है। |
| 14 | वैकल्पिक भूमि दिये जाने की दशा में ऐसी भूमि का विवरण व क्षेत्रफल। | बिन्दु संख्या 12 के अनुसार प्रस्ताव का प्रेषण किया जायेगा। |

नगर अयुक्त

नगर निगम, राहारनपुर।

नगर निगम, राहारनपुर।

92

वार्षिक छहांनी (नोन अंडा)

इति वाय उत्तमो ग्रन्थ ०

प्राची व तदहस्तीर्ण य विजला नहोत्तमः यामः

३३४ अष्टम खण्ड ग्रन्थ

ପ୍ରକାଶକ

025 | 1-2 FLAVI KUMAR SAINI
FLAVI KUMAR SAINI
Circle-Dara Singhpur
Distt. Sambalpur
Tenn. & Distt. Sambalpur

21/12/1942 - 1428 hrs. - विमान से लिया गया अंतर्राष्ट्रीय समय

इन्तज्ञाव खेवट चौसाला।

.....मात्रात्मक विद्या में दो विद्याएँ महाननदी

માનુષ

वावत साल १५२८ से १५३१ तक

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Circle-Dalit Saharanpur
Teh. & Distt. Saharanpur

चामा प्रांत राजस्थान

95

गोदा - दरोहरावपुरा ग्राम तहसील - बिहारबाजार

कालापाल 1174



बालाजी का गाँव

गोदा दरोहरावपुरा

तहसील बिहारबाजार

माला

सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर।

ग्राम रोड, सहारनपुर।

प्रकाशन क्रमांक 20132 - 204112
 ईडी ID :
 98999999999999999999@gmail.com
 Website : www.saharanpurnagarbgm.in

प्रेषक,

नगर आयुक्त
 नगर निगम सहारनपुर।
 सेवा में,

भित्तापक्कारी,
 सहारनपुर।

फैकंक २१। /सम्पर्जनु०/न०नि०सहा० ।/2021-22

दिनांक ०१/१२/२१

विषय:- दिल्ली बस स्टैण्ड, अम्बला रोड की भूमि पर कोमर्शियल शोपिंग एण्ड ऑफिस बॉगलेवर, विद मल्टी लेवर पार्किंग एवं चुबती पार्क नेहरू मार्किट की घूमि पर मल्टीलेवर पार्किंग व जन्य योजनाओं के निर्णय की अनापत्ति/अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवात कराना है, कि सहारनपुर स्टार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा दिल्ली बस स्टैण्ड, अम्बला रोड की भूमि पर कोमर्शियल शोपिंग एण्ड ऑफिस बॉगलेवर, (डबलट्रैक ऑफ सहारनपुर लेविट सेन्टर एट दिल्ली बस डिपो इन सहारनपुर रिटी) एवं चुबती घूमि नेहरू मार्किट की घूमि पर मल्टीलेवर पार्किंग(डबलपमेन्ट ऑफ मल्टीलेवर कार पार्किंग विद कोमर्शियल एण्ड पार फ्लूचर एक्सप्रेस एट चुबती पार्क इन सहारनपुर यू०पी०) विभिन्न कार्य को प्रस्तावित किया गया है, इन योजनाओं से समरत प्रस्तावित पार्कों का स्थलों के सम्बन्धित घूमि राजस्व नगर निगम सहारनपुर के प्रबन्धन में है, तथा 'समरत प्रस्तावित पार्कों का स्थलों के सम्बन्धित घूमि राजस्व अधिलेखों में "भारत सरकार माफी कम अर्जे देह दीया/मिलिकियत सुने हुए हुगम दर्ज है।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त पत्र इस अनुरोध के साथ मिलियत दीया जा रहा है, कि उपरोक्त भूमि पर स्टार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु अनापत्ति/अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे।

भवारीय

नगर आयुक्त
 नगर निगम सहारनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- मा० आयुक्त/अध्यक्ष सहारनपुर स्टार्ट सिटी लिमिटेड, सहारनपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहारनपुर स्टार्ट सिटी लिमिटेड, सहारनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
 नगर निगम सहारनपुर।

प्रेषक,

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, सहारनपुर।

उपाध्यक्ष,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

पत्रांक ३६२ /सम्प्रभानु०/न०नि०साल०/२०२१-२२

दिनांक १५/१२/२१

विषय :- राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यवाही संस्थाओं के द्वारा स्टार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली सम्पत्तियों के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में परिवर्तित की जाने वाली भूमि के सापेक्ष भूमि आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर निगम, सहारनपुर के पत्र सं० 354/सम्प्रभानु०/न०नि० सहा०/२०२१-२२ दिनांक 17.12.2021 के द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रारूप को प्रेपित किया गया है। प्रारूप के बिन्दु सं० 12 व 14 के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि दित्ती वस अडडे के ऑपन-स्पेस के सापेक्ष व जुदली पार्क के प्रस्तावित स्थल के सापेक्ष नगर निगम की निम्नालिखित भूमियों को नगर निगम बोर्ड वैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में आरक्षित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। भूमियों का विवरण निम्नवत है:-

1. मानकमजू में गौरी शंकर इन्टर कालेज के सामने खसरा सं. 364 भूमि का क्षेत्रफल लगभग 7480 वर्गमीटर (खुदान)
2. ग्राम चक हरैटी ८०म ६१५० वर्गमीटर (सम्पत्ति ग्राम समाज) व खसरा सं० १९४ क्षेत्र २५६० वर्गमीटर (नवीन परती)

कृपया उक्तानुसार भूमियों को आरक्षित संदर्भित करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

स्वाक्षर
कृष्ण अमृत क्षेत्र

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, सहारनपुर।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

दैली रोड, १-२-३-५, सिंहपुर लखनऊ, लखनऊ-२८०००५

प्रकार : १४२/उत्तर-नहायोजन/शासकीय समिति/तिथि(ये)/२०२१-२२

दिनांक २१/१२/२०२१

संदेश में

- | | |
|--|--|
| १. आवास अनुदान, उप्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ | २. उपर्युक्त, सहारनपुर विकास प्रभिकरण। |
| ३. अधिकारी निवेशक, आवास इच्छा उप्र. लखनऊ | ४. मुख्य उपर्युक्त सहारनपुर विकास प्रभिकरण। |
| ५. मुख्य उपर्युक्त, लखनऊ विकास प्रभिकरण, लखनऊ। | ६. निवेशक, आवास इच्छा उप्र। |
| ७. श्री रमेश दर्मा (ठाकोड़ी सहायक) आवास इच्छा उप्र। | ८. श्री जीरूत शेषत (सहायक) |
| ९. प्रबन्धाचार्य, राजकीय आवासिकरण बोर्ड, लखनऊ। | आवास इच्छा उप्र। |

दिश्य: उत्तरनपुर नहायोजना-२०३१ (प्रारूप) के परिणाम हेतु संघर्ष, आवास एवं रहरी नियोजन विभाग की अव्यक्ति में दिनांक २५.११.२०२१ को लग्ज आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के तहानार ने सम्बन्ध हुई शासकीय समिति की बैठक के तहत दिया है।

नहोदय,

आवास एवं रहरी नियोजन अनुमान-३ उप्र. शासन के लार्टेज-इन संख्या २८/२०२१/२७३७/आठ-३-२१-०६मा. /२०१४ दिनांक २२ लिप्तम्बर २०२१ द्वारा संघर्ष, आवास एवं रहरी नियोजन विभाग, उप्रशासन की अव्यक्ति में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक २५.११.२०२१ को लग्ज आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सम्बन्ध हुई। उक्त बैठक में सहारनपुर नहायोजना-२०३१ (प्रारूप) का परीक्षण किया गया।

सम्बन्ध हुई बैठक का कार्यकृत पत्र के साथ संतान रर आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपर्युक्तानुचार।

(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
उत्तर प्रदेश ग्राम नियोजन
नोडल अधिकारी/सदस्य संदोषक

प्रतांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:

- निजी संघर्ष, प्रभुत्व संघर्ष, आवास एवं रहरी नियोजन विभाग, उप्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
- निजी संघर्ष, संघर्ष/अव्यक्ति, शासकीय समिति, आवास एवं रहरी नियोजन विभाग, उप्र. शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित।
- संघर्ष, सहारनपुर विकास प्रभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित।
- संघर्ष, रहरी नियोजन, शासकीय नियोजन उप्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित।
- संघर्षित कन्तल्टेंट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु।

(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/
नोडल अधिकारी/सदस्य संदोषक

उपायक

उत्तरनपुर विकास प्राधिकरण

सहारनपुर

सहारनपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में आयोजित शासकीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति-संलग्न सूची के अनुसार।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ.प्र. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-26/2021/2737/आठ-3-21-06महा./2014 दिनांक 22.09.2021 में दिए गये निर्देशों के कम में सहारनपुर विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना-2031 का प्रारूप महायोजना बनाये जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में वर्तमान में प्रभावी महायोजना के प्रस्तावों का मूल्यांकन तथा प्रस्तावों के विरुद्ध हुए विचलन, नगर के विकास का वर्तमान स्वरूप एवं विकास की सम्भावित क्षमताओं का आंकलन, वर्ष 2031 हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण, आर्थिक आधार तथा रोजगार सृजन की वर्तमान स्थिति व भावी प्रक्षेपण, विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं का अध्ययन व इस हेतु भावी प्रक्षेपण, विद्यमान व प्रस्तावित आधारभूत संरचना एवं मनोरंजन व खुले स्थल का आंकलन के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी की गयी विभिन्न नीतियों के अनुपालन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

(1) प्रारूप महायोजना संरचना के सम्बन्ध में निम्न सामान्य सुझाव/निर्देश दिये गये:-

- (1.1) विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित क्षेत्र की सूची/सीमा को यूपीसीडा से प्राप्त कर विकास क्षेत्र से पृथक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- (1.2) प्रारूप महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र को विभिन्न जोन्स में विभाजित कर प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- (1.3) सभी महायोजनाओं में प्रस्तावित भू-उपयोग का नॉमनक्लेचर एक समान होना चाहिए, का सुझाव दिया गया जिसका प्रारूप संलग्न है (संलग्नक-1)।
- (1.4) ऐसे नगर जो नदी के किनारे बसे हैं, में रिवर सेण्ट्रिक प्लानिंग के प्राविधानों के समावेशन प्रारूप महायोजना में किये जाने का सुझाव दिया गया।
- (1.5) समक्ष स्तर से स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानचित्रों पर महायोजना के प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेन्शन्स के प्राविधान लागू नहीं होंगे।
- (1.6) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट के सम्बन्ध में निम्नवत् मत स्थिर हुआ-

 - (1.6.1) वर्तमान में लागू महायोजना के निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट एवं प्रारूप महायोजना 2031 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित की जानी वाली बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग की प्रस्तावित/विद्यमान चौड़ाई के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत मार्ग के किनारे से अधिकतम 15 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया।
 - (1.6.2) अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाये।

- (1.6.3) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने का सुझाव दिया गया कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।
- (1.6.4) प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत लेआउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले-आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे।
- (1.6.5) बाजार स्ट्रीट हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-2) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।
- (1.7) प्रारूप महायोजना-2031 में प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के बाहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित बाईपास के दोनों तरफ 30-30 मीटर हरित पट्टिका छोड़ने के पश्चात् नगर के विकास की सम्भावित क्षमता का आंकलन करते हुए अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक हाईवे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किये जाने का मत निम्नलिखित सुझावों के साथ स्थिर हुआ :-
- (1.7.1) हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू-उपयोग का ही भाग माना जायेगा।
- (1.7.2) हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (1.7.3) हाईवे फैसेलिटी जोन हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-2) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।
- (1.7.4) उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू-आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किये जाने का सुझाव दिया गया।
- (1.8) वर्तमान में प्रभावी महायोजना के विरुद्ध हुए निर्माण/विचलन का मूल्यांकन करते समय यदि प्रभावी महायोजना के ऐसे प्रस्तावित भू-उपयोग जिन्हें भविष्य में विकसित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता एवं उनमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय विकास/आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनहित व नियोजन की दृष्टि से उचित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी भू-उपयोग एवं उनके संशोधित प्रस्ताव सम्पूर्ण औचित्य सहित अलग से तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त प्रारूप महायोजना की प्रदर्शनी के समय ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानवित्र तैयार कर प्रारूप महायोजना के साथ आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाये जिवली पर आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति

की संस्थान पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रारूप महायोजना में समायोजित किया जाए।

- (2) सहारनपुर विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना-2031 के प्रस्तुतीकरण में दिए गये प्रस्तावों पर समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गये:-
- (2.1) प्रभावी महायोजना का जी.आई.एस. तकनीक पर कन्वर्जन किये जाने के दौरान दृष्टिगत होने वाले विचलन हेतु प्रस्तुत तालिका में टंकण त्रुटि दृष्टिगोचर हुई जिसे ठीक किये जाने एवं विचलन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। *done*
 - (2.2) नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी के चारों तरफ दर्शाये गये "ग्रामीण आबादी विस्तार" भू-उपयोग के स्थान पर "आवासीय भू-उपयोग" प्रदर्शित किये जाने का सुझाव दिया गया। *done*
 - (2.3) प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित "रिमाउण्ट डिपो" क्षेत्र का सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित सूचना प्राप्त कर तदनुसार प्रारूप महायोजना में उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *done*
 - (2.4) प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित बाईपास मार्ग को वर्तमान में निर्मित हो चुके नवीन बाई-पास मार्ग के अनुसार सरेखित किया जाना एवं प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित बाईपास मार्ग को आन्तरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *to do*
 - (2.5) अम्बाला मार्ग पर हरित पट्टी की निरन्तरता को बनाये रखते हुये इस मार्ग पर दिये गये नवीन प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर यथोचित प्रस्ताव दिये जाने का सुझाव दिया गया। *OK*
 - (2.6) दिल्ली मार्ग पर विकास क्षेत्र के अन्त में प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग को दिल्ली रेलवे लाईन पर प्रस्तावित हरित पट्टी तक प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *- done*
 - (2.7) प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित डिमिंग ग्राउण्ड को नगरीकरण सीमा से बाहर यथोचित स्थानों पर प्रतिस्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया। *- done*
 - (2.8) येहट मार्ग पर प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित बाईपास मार्ग के उत्तर दिशा में प्रस्तावित समस्त भू-उपयोग औचित्यपूर्ण नहीं पाये जाने के कारण इनके स्थान पर हाई-वे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *- done*
 - (2.9) बरौली मार्ग के पश्चिम दिशा में दिये गये प्रस्तावों का पुनः परीक्षण करने एवं बरौली मार्ग पर प्रस्तावित भू-उपयोग तथा नदी किनारे प्रस्तावित हरित पट्टी के मध्य छूटे खाली स्थानों पर यथोचित प्रस्ताव दिये जाने का सुझाव दिया गया। *- done*
 - (2.10) देहरादून मार्ग के उत्तर दिशा में बस टर्मिनल को आवासीय भू-उपयोग के मध्य औद्योगिक भू-उपयोग के सम्मुख प्रस्तावित किया गया है जो कि औचित्य पूर्ण नहीं है। अतएव इसे देहरादून मार्ग के दक्षिण दिशा में प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग के साथ प्रस्तावित किये जाने एवं उत्तर दिशा में बस टर्मिनल के प्रस्ताव के स्थान पर संसक्त भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *- done*
 - (2.11) नकुर मार्ग पर प्रस्तावित लॉजिस्टिक भू-उपयोग के स्थान पर औद्योगिक भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *done*


(2.12) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न श्रेणी के आवासीय भू-उपयोगों पथा- आवासीय, आवासीय (250-300 पी.पी.एच), विक्षित आवासीय (300-400 पी.पी.एच) एवं इण्टीग्रेटेड दाउनशिप को एक ही श्रेणी आवासीय भू-उपयोग में प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया।


→ 60
225

समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में शहारनपुर महायोजना-2031(प्रारूप) को शहारनपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की पारा-11 के अनुसार अद्वितीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई।

वैठक सम्पन्नताद सम्पन्न हुई।

अनुमोदित


 (अनुप कुमार श्रीवास्तव)
 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/
 सदरस्थ संयोजक
 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।


 (अजय चौहान)
 सचिव/अध्यक्ष
 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
 उत्तर प्रदेश शासन।

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64/12

विषय: अमृत योजना के अन्तर्गत सहारनपुर विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 बैस्ड महायोजना-2031 के ड्राफ्ट प्रारूप का अनुमोदन एवं आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति के संबंध में।

सहारनपुर विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 बैस्ड महायोजना-2031 तैयार किये जाने का कार्य भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस कार्य हेतु नोडल संस्था नामित किया गया था। नोडल संस्था द्वारा इस कार्य हेतु दिनांक 10.05.2019 को हुए अनुबन्ध के अनुसार मै0 ऑलमन्डज ग्लोबल इन्फा कन्सलटेन्ट्स लि0, एफ-33, ओखला ओद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली को कन्सलटेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो के हैदराबाद स्थित केन्द्र से विकास क्षेत्र की सैटेलाइट इमेजनरी प्राप्त कर विकास क्षेत्र का बैस मैप तैयार कर उसके आधार पर महायोजना-2031 तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के विभिन्न संस्थाओं सहारनपुर बुड कार्विंग एसो0, हैण्डीक्राफ्ट आर्टिजन एण्ड एक्सपोर्ट एसो0, इन्डियन इण्डस्ट्रीज एसो0, उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 उद्योग मण्डल, सहयुक्त नियोजक मेरठ, मनोनित सदस्यगण, एवं आर्किटेक्ट/इंजी0 आदि के साथ बैठक कर प्राप्त हुए सुझावों को समाहित करते हुए महायोजना-2031 का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया गया था। ड्राफ्ट प्रारूप का प्रस्तुतीकरण दिनांक 13.11.2021 को सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की समिति के समक्ष लखनऊ में किया गया था। समिति द्वारा कतिपय संशोधन किये जाने के सुझाव दिये गये थे। पुनः दिनांक 25.11.2021 को महायोजना-2031 में ड्राफ्ट प्रारूप का प्रस्तुतीकरण आवास विकास परिषद लखनऊ के कार्यालय सभागार में समिति द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यवृत्त के अनुसार समाहित कर दिया गया है (संलग्नक -12.1/ कार्यवृत्त की प्रति)। समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में सहारनपुर महायोजना-2031(प्रारूप) को सहारनपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-11 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई।

(A) मै0 ऑलमण्डज ग्लोबल इन्फा कन्सलटेन्ट्स लि0 द्वारा महायोजना-2031 के ड्राफ्ट प्रारूप पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण।

(B) महायोजना-2031 के ड्राफ्ट प्रारूप के मुख्य बिन्दु बोर्ड के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- महायोजना-2021 के कृषि भूउपयोग में एवं प्राधिकरण विकास क्षेत्र में नए अधिसूचित क्षेत्र में नए भूउपयोग संबंधी प्रस्ताव (मानवित्र संलग्न)।

2- महायोजना में प्रस्तावित भूउपयोग का नामनकलेचर एक समान होने की दृष्टि से कार्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(के)/2021-22 दिनांक 21.12.2021 (संलग्नक-12.1) में दिए गए सुझाव के दृष्टिगत महायोजना-2021 में निम्नवत परिवर्तन का प्रस्ताव :-

(क) उक्त पत्र के प्रस्तर 2.12 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के आवासीय भूउपयोग यथा आवासीय, आवासीय(250-300 पी.पी.एच.), निश्चित आवासीय (300-400 पी.पी.एच.) एवं इंटीग्रेटेड टाउनशिप को एक ही श्रेणी आवासीय भूउपयोग में प्रस्तावित किए जाने का सुझाव दिया गया।

महायोजना-2021 में दिल्ली रोड पर 02 स्थलों पर, देहरादून रोड पर 02 स्थलों पर एवं जनता रोड तथा अम्बाला रोड पर 01-01 स्थल पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का भूउपयोग प्रदर्शित किया गया था जिसमें दिल्ली रोड के स्थलों पर टाउनशिप की परियोजना संचालित है। जनता रोड, देहरादून रोड एवं अम्बाला रोड पर स्थित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के प्रदर्शित स्थलों पर किसी परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जबकि स्थल पर जनसामान्य द्वारा मानवित्र स्वीकृत कराने के लिए प्रस्तुत किये जा रहे हैं, परन्तु भूउपयोग के कारण उनको स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। दिल्ली रोड, देहरादून रोड, जनता रोड एवं अम्बाला रोड

पर पूर्व में प्रदर्शित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के स्थान पर आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आवासीय भूउपयोग में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप अनुमन्य है।

उक्त के क्रम में महायोजना-2021 में प्रदर्शित, विभिन्न श्रेणी के भूउपयोग को एक ही श्रेणी आवासीय भूउपयोग में प्रस्ताव किए जाने का अनुमोदन जिससे आपत्ति/सुझाव प्राप्त किया जा सके।

(ख) नामनकलेचर एक समान रखे जाने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 21.12.2021 को दिए गए सुझाव के अनुसार व्यवसायिक भूउपयोग को विभिन्न Sub-landuse (नगर केन्द्र, उपनगर केन्द्र, थोक व्यापारि का भण्डार आदि) में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार सामुदायिक सुविधाओं को अब सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितार्थ व सामुदायिक सेवायें में वर्गीकृत किया गया। साथ ही साथ औद्योगिक, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले स्थल को भी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार श्रेणीवार/वर्गीकरण कर नए नामनकलेचर को मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है।

उपरोक्तानुसार नए नामनकलेचर के अनुसार पुराने भूउपयोग को वर्गीकृत कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है जिससे आपत्ति/सुझाव प्राप्त किया जा सके।

3— बाजार मार्ग :- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(के)/2021-22 दिनांक 21.12.2021 साथ संलग्न कार्यवृत्त (संलग्नक-12.1) के प्रस्तर (1.6) में निम्न सुझाव दिया गया है :—

(1.6.2) अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी गयी।

(1.6.3) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने का सुझाव दिया गया कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भूउपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त उल्लिखित प्रस्तर (1.6.2) एवं (1.6.3) की शर्तों के अनुसार आवासीय भूउपयोग में स्थित 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्ग पर बाजार मार्ग लागू किया जाना प्रस्तावित है।

4— हाइवे फैसिलिटी जोन :- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(के)/2021-22 दिनांक 21.12.2021 के साथ संलग्न कार्यवृत्त (संलग्नक-12.1) के प्रस्तर (1.7) के अनुसार हाइवे फैसिलिटी जोन प्रस्तावित किया गया है।

(1.7.1) हाइवे फैसिलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भूउपयोग का ही भाग माना जायेगा।

(1.7.2) हाइवे फैसिलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

(1.7.4) उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाइवे फैसिलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपयोगिता में कृषि भूउपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू-आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (F.A.R), आदि के प्राविधानों को लागू किये जोन का सुझाव दिया गया।

ड्राफ्ट प्रारूप में हाइवे फैसिलिटी जोन का प्रस्ताव उक्तानुसार किया गया है।

5— जोनिंग रेगुलेशन :-

(1) बिन्दु संख्या (2) में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा सुझाये गए नामनकलेचर के क्रम में उसी भूउपयोग नामनकलेचर हेतु जोनिंग रेगुलेशन पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर अंतिम रूप दिये जाने संबंधी अनुमोदन।

- (2) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अपने पत्र में प्रेषित बाजार मार्ग एवं हाइवे फैसिलिटी जोन की जोनिंग रेगुलेशन भी संलग्नक-12.1 पर संलग्न है तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है जिससे कि आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर उसे अंतिम रूप दिया जा सके।

6- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि. (के)/2021-22 दिनांक 21.12.2021 के साथ संलग्न कार्यवृत्त (संलग्नक-12.1) के प्रस्तर (1.8) में निम्नवत उल्लेख है

“वर्तमान में प्रभावी महायोजना के विरुद्ध हुए निर्माण/विचलन का मूल्यांकन करते समय यदि प्रभावी महायोजना के ऐसे प्रस्तावित भूउपयोग जिन्हें भविष्य में विकसित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता एवं उनमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय विकास/आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनहित व नियोजन की दृष्टि से उचित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी भूउपयोग एवं उनके संशोधित प्रस्ताव सम्पूर्ण औचित्य सहित अलग से तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त प्रारूप महायोजना की प्रदर्शनी के समय ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानवित्र तैयार कर प्रारूप महायोजना के साथ आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाये जिन पर आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रारूप महायोजना में समायोजित किया जाए।”

उक्त के क्रम में प्रभावी महायोजना में संशोधन हेतु प्रस्तुत भूउपयोग निम्नवत है :-

- (क) रिमाउण्ट डिपो :- रिमाउण्ट डिपो की जो स्थिति दर्शायी गयी थी उसमें वर्तमान स्थिति के अनुरूप संशोधन करते हुए जी0आई0एस0 के आधार पर वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की गयी है।
- (ख) ट्रांसपोर्ट नगर योजना :- प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एवं विकसित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के स्वीकृत लेआउट एवं महायोजना में प्रदर्शित स्थिति में अंतर है। अतः स्वीकृत लेआउट का समावेश करते हुए संशोधन उपरान्त स्थिति प्रदर्शित की गयी है।
- (ग) स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत प्रस्ताव- 64/ पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
- (घ) प्रभावी महायोजना में बाजार क्षेत्र एवं सघन बाजार क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। तत्पश्चात विकास के कारण निर्मित क्षेत्र में कुछ अन्य मार्ग/क्षेत्र बाजार क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुके हैं जिस कारण से बाजार एवं सघन बाजार क्षेत्र के, क्षेत्र में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है।
- (ङ) अम्बाला रोड से देहरादून रोड तक बाईपास निर्मित हो जाने के कारण प्रभावी महायोजना में एक मास्टर प्लान रोड विलोपित किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त सड़क का अब तक विकास नहीं हुआ था तथा बाईपास निर्मित हो जाने का कारण अब इसका औचित्य शेष नहीं रहा है।
- (च) 02 डमिंग ग्राउंड (प्रभावी महायोजना के पश्चिम दिशा में) जिनका उपयोग अभी तक नहीं हो सका है इन्हें हटाए जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूउपयोग संशोधन हेतु इस आशय से प्रस्तुत है कि अनुमोदनोपरान्त आपत्ति/सुझाव हेतु आमंत्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन एवं मै0 ऑलमण्डज ग्लोबल इन्फा कन्सलटेन्स लि�0 कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार किये गये महायोजना-2031 के ड्राफ्ट प्रारूप जिसका प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया है, पर आपत्ति सुझाव प्राप्त किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी./१-ए-वी ५, विमुति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पत्रांक: १४२/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(के)/२०२१-२२.

दिनांक २१/१२/२०२१

सेवा में,

१. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
२. उपाध्यक्ष,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण।
३. अधिशारी निदेशक,
आवास बन्धु उ.प्र., लखनऊ
४. मुख्य अभियन्ता,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
५. मुख्य अभियन्ता,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
६. निदेशक,
आवास बन्धु उ.प्र.।
७. श्री एन.आर. वर्मा, (तकनीकी सलाहकार)
आवास बन्धु उ.प्र.।
८. श्री जी.एस. गोयल, (सलाहकार)
आवास बन्धु उ.प्र.।
९. प्रधानाचार्य,
राजकीय आर्किटेक्चर कालेज,
लखनऊ।


विषय: सहारनपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2021 को उम्रो आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई शासकीय समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग,-३ उ.प्र. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 26/2021/2737/आठ-३-२१-०६महा./२०१४ दिनांक 22 सितम्बर 2021 द्वारा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 25.11.2021 को उम्रो आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में सहारनपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) का परीक्षण किया गया।

सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।



भवनीय
(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नोडल अधिकारी / सदरस्य संयोजक

पत्रांक एवं दिनांक तारीख।

प्रतिलिपि:

१. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
२. निजी सचिव, सचिव/अध्यक्ष, शासकीय समिति, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
३. सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
४. सम्बन्धित, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
५. सम्बन्धित कन्सल्टेंट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक /
नोडल अधिकारी / सदरस्य संयोजक

उपाध्यक्ष

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

सहारनपुर

सहारनपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2021 को ३०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के समागमर में आयोजित शासकीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति-संलग्न सूची के अनुसार।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३, उ.प्र. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-26/2021/2737/आठ-३-२१-०६महा./2014 दिनांक 22.09.2021 में दिए गये निर्देशों के क्रम में सहारनपुर विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना-2031 का प्रारूप महायोजना बनाये जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में वर्तमान में प्रभावी महायोजना के प्रस्तावों का मूल्यांकन तथा प्रस्तावों के विरुद्ध हुए विचलन, नगर के विकास का वर्तमान स्वरूप एवं विकास की सम्भावित क्षमताओं का आंकलन, वर्ष 2031 हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण, आर्थिक आधार तथा रोजगार सृजन की वर्तमान स्थिति व भावी प्रक्षेपण, विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं का अध्ययन व इस हेतु भावी प्रक्षेपण, विद्यमान व प्रस्तावित आधारभूत संरचना एवं मनोरंजन व खुले स्थल का आंकलन के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी की गयी विभिन्न नीतियों के अनुपालन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

(1) प्रारूप महायोजना संरचना के सम्बन्ध में निम्न सामान्य सुझाव/निर्देश दिये गये:-

- (1.1) विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित क्षेत्र की सूची/सीमा को यूपीसीडा से प्राप्त कर विकास क्षेत्र से पृथक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- (1.2) प्रारूप महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र को विभिन्न जोन्स में विभाजित कर प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- (1.3) सभी महायोजनाओं में प्रस्तावित भू-उपयोग का नॉमनक्लेचर एक समान होना चाहिए, का सुझाव दिया गया जिसका प्रारूप संलग्न है (संलग्नक-१)।
- (1.4) ऐसे नगर जो नदी के किनारे बसे हैं, में रिवर सेण्ट्रिक प्लानिंग के प्राविधानों के समावेशन प्रारूप महायोजना में किये जाने का सुझाव दिया गया।
- (1.5) समक्ष स्तर से स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानविक्री पर महायोजना के प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेन्शन्स के प्राविधान लागू नहीं होंगे।
- (1.6) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट के सम्बन्ध में निम्नवत् मत स्थिर हुआ-
 - (1.6.1) वर्तमान में लागू महायोजना के निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट एवं प्रारूप महायोजना 2031 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित की जानी वाली बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग की प्रस्तावित/विद्यमान चौड़ाई के अनुसार रथानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत मार्ग के किनारे से अधिकतम 15 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया।
 - (1.6.2) अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाये।

- (1.6.3) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने का सुझाव दिया गया कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्थामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।
- (1.6.4) प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत लेआउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले-आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे।
- (1.6.5) बाजार स्ट्रीट हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-2) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।
- (1.7) प्रारूप महायोजना-2031 में प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के बाहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित बाईपास के दोनों तरफ 30-30 मीटर हरित पट्टिका छोड़ने के पश्चात नगर के विकास की सम्भावित क्षमता का आंकलन करते हुए अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक हाईवे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किये जाने का मत निम्नलिखित सुझावों के साथ रिथर हुआ :–
- (1.7.1) हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू-उपयोग का ही भाग माना जायेगा।
- (1.7.2) हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (1.7.3) हाईवे फैसेलिटी जोन हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-2) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।
- (1.7.4) उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू-आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किये जाने का सुझाव दिया गया।
- (1.8) वर्तमान में प्रभावी महायोजना के विरुद्ध हुए निर्माण/विचलन का मूल्यांकन करते समय यदि प्रभावी महायोजना के ऐसे प्रस्तावित भू-उपयोग जिन्हें भविष्य में विकसित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता एवं उनमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय विकास/आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनहित व नियोजन की दृष्टि से उचित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी भू-उपयोग एवं उनके संशोधित प्रस्ताव सम्पूर्ण औचित्य सहित अलग से तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त प्रारूप महायोजना की प्रदर्शनी के समय ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानवित्र तैयार कर प्रारूप महायोजना के साथ आपत्ति/सुझाव ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानवित्र तैयार कर प्रारूप महायोजना के साथ आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति आमंत्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाये जिचपर आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति

की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रारूप महायोजना में समायोजित किया जाए।


- (2) सहारनपुर विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना-2031 के प्रस्तुतीकरण में दिए गये प्रस्तावों पर समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गये:-
- (2.1) प्रभावी महायोजना का जी.आई.एस. तकनीक पर कन्वर्जन किये जाने के दौरान दृष्टिगत होने वाले विचलन हेतु प्रस्तुत तालिका में टंकण त्रुटि दृष्टिगोचर हुई जिसे ठीक किये जाने एवं विचलन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। *done*
 - (2.2) नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण आवादी के चारों तरफ दर्शाये गये "ग्रामीण आवादी विस्तार" भू-उपयोग के रथान पर "आवासीय भू-उपयोग" प्रदर्शित किये जाने का सुझाव दिया गया। *done*
 - (2.3) प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित "रिमाउण्ट डिपो" क्षेत्र का सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित सूचना प्राप्त कर तदनुसार प्रारूप महायोजना में उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *done*
 - (2.4) प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित वाईपास मार्ग को वर्तमान में निर्भित हो चुके नवीन वाई-पास मार्ग के अनुसार संरेखित किया जाना एवं प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित वाईपास मार्ग को आन्तरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *to be done*
 - (2.5) अम्बाला मार्ग पर हरित पट्टी की निरन्तरता को बनाये रखते हुये इस मार्ग पर दिये गये नवीन प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर यथोचित प्रस्ताव दिये जाने का सुझाव दिया गया। *OK.*
 - (2.6) दिल्ली मार्ग पर विकास क्षेत्र के अन्त में प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग को दिल्ली रेलवे लाईन पर प्रस्तावित हरित पट्टी तक प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *- see*
 - (2.7) प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित डिमिंग ग्राउण्ड को नगरीकरण सीमा से बाहर यथोचित स्थानों पर प्रतिरक्षापित किये जाने का सुझाव दिया गया। *- see*
 - (2.8) वेहट मार्ग पर प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित वाईपास मार्ग के उत्तर दिशा में प्रस्तावित समस्त भू-उपयोग औचित्यपूर्ण नहीं पाये जाने के कारण इनके रथान पर हाई-वे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *→ done*
 - (2.9) वरौली मार्ग के पश्चिम दिशा में दिये गये प्रस्तावों का पुनः परीक्षण करने एवं वरौली मार्ग पर प्रस्तावित भू-उपयोग तथा नदी किनारे प्रस्तावित हरित पट्टी के मध्य छूटे खाली स्थानों पर यथोचित प्रस्ताव दिये जाने का सुझाव दिया गया। *→ see*
 - (2.10) देहरादून मार्ग के उत्तर दिशा में बस टर्मिनल को आवासीय भू-उपयोग के मध्य औद्योगिक भू-उपयोग के समुख प्रस्तावित किया गया है जो कि औचित्य पूर्ण नहीं है। अतएव इसे देहरादून मार्ग के दक्षिण दिशा में प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग के साथ प्रस्तावित किये जाने एवं उत्तर दिशा में बस टर्मिनल के प्रस्ताव के स्थान पर संसक्त भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *→ done*
 - (2.11) नकुर मार्ग पर प्रस्तावित लॉजिस्टिक भू-उपयोग के रथान पर औद्योगिक भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। *done*

(2.12) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न श्रेणी के आवासीय गृ-उपयोगों यथा— आवासीय, आवासीय (250-300 फी.फी.एच), मिश्रित आवासीय (300-400 फी.फी.एच) एवं इण्टीग्रेटेड दाचनशिप को एक ही श्रेणी आवासीय गृ-उपयोग में प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया।

समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में राहारनपुर महायोजना-2031(प्रारूप) को सहारनपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 वर्षी पारा-11 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संरक्षिति की गई।

बैठक संपन्न दस्तावेज़ द्वारा संरक्षित।


अनुग्रहित


 (अनुप कुमार श्रीवास्तव)
 मुख्य-नगर एवं ग्राम नियोजक /
 सदस्य संयोजक
 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र।


 (अजय चौहान)
 संविधान / अध्यक्ष
 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
 उत्तर प्रदेश शासन।


संलग्नक-1महायोजना भू-उपयोग का नॉमनवलेचर

1. आवासीय
 - 1.1. ग्रामीण आबादी:-
 - 1.2. निर्मित क्षेत्र
 - 1.3. आवासीय
2. व्यावसायिक
 - 2.1. नगर केन्द्र / केन्द्रीय वाणिज्यिक
 - 2.2. उप नगर केन्द्र / उप केन्द्रीय वाणिज्यिक
 - 2.3. जोनल व्यावसायिक
 - 2.4. सेक्टर/नेबरहूड
 - 2.5. बाजार रस्ट्रीट
 - 2.6. थोक व्यापारिक / भण्डार
3. कार्यालय
4. सामुदायिक / सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें
 - 4.1. सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें
 - 4.1.1. एस्यूजमेण्ट पार्क
 - 4.1.2. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
 - 4.1.3. नॉलेज पार्क
 - 4.1.4. तकनीकी संस्थान/उच्च स्तरीय संस्थान (डिग्री/पोस्ट डिग्री/विश्वविद्यालय)
 - 4.1.5. चिकित्सा
 - 4.2. सामुदायिक सेवायें
 - 4.2.1. एस.टी.पी. / वॉटर वर्क्स
 - 4.2.2. डम्पिंग ग्राउण्ड
 - 4.2.3. ठोस अपशिष्ट स्थल
 - 4.2.4. पशुवधशाला
 - 4.2.5. विद्युत उपकेन्द्र
 - 4.2.6. दूर संचार
 - 4.2.7. पुलिस स्टेशन
 - 4.2.8. फायर स्टेशन
5. औद्योगिक
 - 5.1. लघु उद्योग
 - 5.2. मध्यम उद्योग
 - 5.3. बृहद उद्योग
6. यातायात एवं परिवहन
 - 6.1. ट्रक टर्मिनल
 - 6.2. बस टर्मिनल
 - 6.3. हवाई पट्टी
 - 6.4. रेलवे
 - 6.5. मार्ग
7. पार्क एवं खुले स्थल
 - 7.1. पार्क
 - 7.2. ग्रीन बेल्ट



23/11/17

- 7.3. जीवत पार्क
- 7.4. मनोरंजन पार्क
- 7.5. डिस्ट्रिक्ट पार्क
- 7.6. प्रदीपीनी, मेला एवं रेती स्थल
- 7.7. रिवर प्रायर डेव्हैलपमेण्ट
- 7.8. एक्यूटिक पार्क
- 8. अन्य
 - 8.1. जलाशय/ हालाब
 - 8.2. कान्फ्रिस्तान/ सिमेट्री/ शामशान स्थल
 - 8.3. दाग
 - 8.4. नदी/ नाला
 - 8.5. पाट
 - 8.6. भवित्व/ धर्च/ मसिजद
 - 8.7. वन
 - 8.8. निविद्द क्षेत्र
 - 8.9. बंधा/ बांध
 - 8.10. हाईटेशन स्लाइन
 - 8.11. अपरिभासित क्षेत्र
- 9. कृषि
 - 9.1. कृषि
 - 9.2. हाई-वे फैसलिटी जोन



Signature of the author, handwritten in black ink.

Below the signature, there is a date written vertically:

23/11/17

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता

संकेताक्षर

| | | | | |
|---------|---------------------|-------------------------------|--|--|
| व्यव..5 | बाजार मार्ग | अनुमन्य उपयोग | | |
| कृ..2 | हाई-वे फैसेलिटी जोन | सशर्त अनुमन्य उपयोग | | |
| | | विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग | | |
| | | निपिद्ध उपयोग | | |

भू-उपयोग जोन्स

क्रियाएं / उपयोग

1

व्यव..5 कृ..2

2

3

1 आवासीय

1.1 भूखण्डीय आवास

1.2 समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)

1.3 सम्बन्धित कर्मचारी / चौकीदार / संतरी आवास

2 वाणिज्यिक

2.1 फुटकर दुकानें (अनुलग्नक-1 के अनुसार)

2.1.1 साप्तहिक बाजार

2.1.2 बेकरी एवं कान्फेशनरी, आटा चक्की (10 हार्स पावर तक)

2.2 दैनिक उपयोग की दुकानें (अनुलग्नक-1क के अनुसार)

2.3 शोरूम (मोटर वाहनों के अतिरिक्त)

2.4 मोटर वाहनों के शोरूम

8

2.5 मोटर वाहनों के स्पे. पार्ट्स की बिक्री हेतु दुकानें

2.6 थोक मण्डी / थोक व्यापार


2.7 नीलामी बाजार

2.8 कोयला एवं लकड़ी के टाल

| क्रियाएं / उपयोग | | घ्यव.5 | कृ.2 |
|------------------|---|--------|------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 2.9 | कृषि उपजों के थोक विक्रय केन्द्र | | |
| 2.10 | शीत गृह | | |
| 2.11 | रिसार्ट | | |
| 2.12 | होटल | 8 | |
| 2.13 | मोटल, वे-साईड रेस्तरां (ढाबा) | | |
| 2.14 | भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कैन्टीन | | |
| 2.15 | सिनेमा, मल्टीप्लेक्स | 8 | |
| 2.16 | सैल्यूलर मोबाईल सर्विस / पी.सी.ओ. | | |
| 2.17 | ऐट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन | | |
| 2.18 | भण्डार, गोदाम, बे-हाउस*, संग्र0, केन्द्र, जंकयार्ड, कबाड़ | | |
| 2.19 | गैस गोदाम / ज्वलन, नाश, एवं आपात वस्तुओं का भण्डार | | |
| 2.20 | सर्विस अपॉर्टमेण्ट | | |
| 3 | औद्योगिक | | |
| 3.1 | सेवा / कुटीर उद्योग | | |
| 3.2 | सूचना प्राद्योगिकी / सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी पार्क | | |
| 3.3 | लघु उद्योग (संलग्न सूची अनुसार) | | |
| 3.4 | बृहद उद्योग, शुगर मिल, राईस सेलर, फ्लोर मिल | | |
| 3.5 | संकटपूर्ण / खतरनाक / प्रदूषण कारक उद्योग | | |
| 3.6 | खनन ईंट / चूने का भट्ठा, क्रेशर | | |

| क्रियाएं/उपयोग | | व्यव.5 | कृ.2 |
|----------------|---|--------|------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 3.7 | तेल डिपो / एल0पी0जी0 रिफिलिंग प्लांट | | |
| 3.8 | पाश्चराईजिंग प्लांट / दुर्घ संग्रहण केन्द्र | | |
| 3.9 | विद्युत उत्पादन संयंत्र | | |
| 3.10 | लॉजिस्टिक पार्क / वेयर हाउसिंग** | | |
| 4 | कार्यालय | | |
| 4.1 | राज., अर्द्ध. राजकीय, स्था. निकाय कार्यालय | | |
| 4.2 | निजी कार्यालय, एंजेण्ट कार्यालय | | |
| 4.3 | बैंक | | |
| 4.4 | वाणिज्यिक/व्यापारिक कार्यालय | | |
| 4.5 | श्रमिक कल्याण केन्द्र | | |
| 4.6 | पी.ए.सी./पुलिस लाईन्स | | |
| 4.7 | साइबर कैफे | | |
| 4.8 | बायोटेक पार्क | | |
| 4.9 | विजनेस पार्क | | |
| 4.10 | डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर | | |
| 4.11 | काल सेन्टर | | |
| 4.12 | बी.पी.ओ. | | |
| 4.13 | अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र | 8 | |
| 4.14 | मौसम अनुसंधान केन्द्र | | |

| क्रियाएं / उपयोग | | व्यव.5 | कृ.2 |
|------------------|---|--------|------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 5 | सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें | | |
| 5.1 | अतिथि गृह / निरीक्षण गृह | | |
| 5.2 | धर्मशाला, रैन बसेरा, लाजिंग / बोर्डिंग हाउस | | |
| 5.3 | छात्रावास | | |
| 5.4 | अनाथालय, सुधारालय | | |
| 5.5 | कारागार | | |
| 5.6 | हैण्डीकैड चिल्ड्रेन हाउस | | |
| 5.7 | शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र | | |
| 5.8 | वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र | | |
| 5.9 | प्राथमिक शैक्षिक संस्थान | | |
| 5.10 | उच्च माध्यमिक / इंटर विद्यालय | 8 | |
| 5.11 | महाविद्यालय | | |
| 5.12 | विश्वविद्यालय | | |
| 5.13 | पॉलीटेक्निक / इन्जी. / मेडिकल / डेण्टल कालेज | | |
| 5.14 | प्रबन्ध संस्थान / विशिष्ट शैक्षिक संस्थान | | |
| 5.15 | डाकघर, तारघर | | |
| 5.16 | पुलिस स्टेशन / चौकी / अग्निशमन केन्द्र | | |
| 5.17 | पुस्ताकालय / वाचनालय | | |
| 5.18 | स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी | | |



क्रियाएं/उपयोग

1

व्यव.5 कृ.2


2 3

| | | | | |
|--------|---|---|----|--|
| 5.19 | असप्ताल | | | |
| 5.20 | नर्सिंग होम | | | |
| 5.21 | नैदानिक प्रयोगशाला | | | |
| 5.22 | हेल्थ क्लब/जिमनेजियम | | | |
| 5.23 | विद्युत शवदाह गृह/शमशान, कब्रिस्तान | | | |
| 5.24 | संगीत/नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र | 8 | | |
| 5.25 | सिलाई, बुनाई, कढाई, पेंटिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि | 8 | | |
| 5.26 | ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर | 8 | 21 | |
| 5.27 | योग मनन, आरथा. एवं धार्मि. प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन | 8 | 21 | |
| 5.28 | धार्मिक भवन | | | |
| 5.29 | सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र | | | |
| 5.30 | बारात घर, बैकेट हॉल | | | |
| 5.31 | कान्फेन्स/ सीटिंग हॉल | | | |
| 5.32 | अजायबघर | | | |
| 5.33 | आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र | | | |
| 5.34 | टेलीफोन रेडियो एवं टेलीविजन कार्यालय / केन्द्र | | | |
| 5.34.1 | अनुसन्धान एवं विकास केंद्र, शोध केंद्र | | | |
| 5.35 | समाज कल्याण केन्द्र | | | |
| 5.36 | कूड़ा डिपिंग ग्राउण्ड | | | |
| 5.37 | ट्यूब बेल, ओवर हेड रिजर्वा., विद्यु. केन्द्र/सब-स्टेशन, सोलर पावर | | | |

क्रियाएं / उपयोग

1

| | | व्यव. 5 | कृ. 2 |
|------|--|--------------|--------------|
| | | 2 | 3 |
| 5.38 | वाटर वर्क्स | [Hatched] | [Hatched] |
| 5.39 | माइक्रोवेव केन्द्र | [Hatched] | [Hatched] |
| 5.40 | कम्पोस्ट प्लाण्ट | [Hatched] | [Hatched] |
| 5.41 | सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट | [Hatched] | [Light Grey] |
| 5.42 | डस्टबिन / कूड़ा सकत्रीकरण स्थल | [Hatched] | [Hatched] |
| 5.43 | सामुदायिक शौचालय | [Hatched] | [Hatched] |
| 5.44 | ए.टी.एम. | [Hatched] | [Hatched] |
| 5.45 | जन सुविधा केन्द्र | [Hatched] | [Hatched] |
| 5.46 | नॉलेजपार्क | [Hatched] | [Light Grey] |
| 5.47 | पशुवध शाला | [Hatched] | [Hatched] |
| 5.48 | रिराईकिलंग ऑफवेस्ट | [Hatched] | [Hatched] |
| 6 | यातायात एवं परिवहन | | |
| 6.1 | पार्किंग स्थल | [Hatched] | [Hatched] |
| 6.2 | टैक्सी रिक्षा, टैम्पो आदि के स्टैण्ड | [Hatched] | [Hatched] |
| 6.3 | ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो | [Hatched] | [Light Grey] |
| 6.4 | बस स्टाप | [Hatched] | [Light Grey] |
| 6.5 | बस टर्मिनल | [Hatched] | [Light Grey] |
| 6.6 | मोटर गैराज, सर्विस गैराज, तथा वर्कशॉप | [Light Grey] | [Light Grey] |
| 6.7 | मोटर संचालन प्रशिक्षण केन्द्र | [Light Grey] | [Light Grey] |
| 6.8 | लोडिंग-अनलोडिंग सम्बन्धी सुविधायें | [Light Grey] | [Light Grey] |
| 6.9 | रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड / साइडिंग / टर्मिनल | [Hatched] | [Light Grey] |



क्रियाएं / उपयोग

1

| | | व्यव. 5 | कृ. 2 |
|------|---|---------|-------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 6.10 | धर्मकांटा | | |
| 6.11 | एयरपोर्ट | | |
| 7 | पार्क, क्रीड़ा / खुले स्थल / मनोरंजनात्मक | | |
| 7.1 | पार्क | | |
| 7.2 | बहुउद्देशीय खुले स्थल | | |
| 7.3 | गोल्फ / रेसकोर्स | | |
| 7.4 | स्टे. / खेलकूद प्रशि. केन्द्र / क्रीड़ा स्थ. / खेल का मैदान | | |
| 7.5 | कारवां पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल | | |
| 7.6 | ट्रैफिक पार्क | | |
| 7.7 | मनोरंजन पार्क | | |
| 7.8 | क्लब, स्विमिंग पूल | | |
| 7.9 | चिड़िया, जल-जीवशाला, वन्य जी. / पक्षी शरण. स्थल | | |
| 7.10 | फ्लाइंग क्लब / हैली पैड | | |
| 7.11 | शूटिंग रेंज | | |
| 8 | कृषि | | |
| 8.1 | वागवानी, पौधशाला, वन, उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन | | |
| 8.2 | फार्म हाउस | | |
| 8.3 | चारागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म), कैटिल कॉलोनी | | |
| 8.4 | धोबीघाट | | |
| 8.5 | सुअर / मत्स्य / कुककुट / मधुमख्खी पालन, पशु संवर्द्धन केन्द्र | | |

क्रियाएं/उपयोग

| | | 1 | व्यव.5 | कृ.2 |
|----|------------------|--|----------|----------|
| | | 2 | | 3 |
| | 8.6 | कृषि उपकरणों की मरम्मत / सर्विसिंग वर्कशॉप | [filled] | [shaded] |
| 9 | फ्लोटिंग उपयोग | | | |
| | 9.1 | सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें | [shaded] | |
| | 9.2 | थोक व्यवसायिक | [shaded] | |
| | 9.3 | यातायात एवं परिवहन | [shaded] | |
| | 9.4 | सेवा / कुटीर उद्योग | [shaded] | |
| | 9.5 | विशेष उद्योग (संकटपूर्ण / खतरनाक / प्रदूषण कारक) | [shaded] | |
| 10 | अस्थायी क्रियाएं | | | |
| | 10.1 | साप्ताहिक बाजार | [filled] | [filled] |
| | 10.2 | अस्थाई सिनेमा, रार्करा, प्रदर्शनी, मेला स्थ., सभा स्थ. | [filled] | [filled] |
| | 10.3 | वेन्डिंग जोन | [shaded] | [filled] |

नोट * ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित न हों।

** ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित हों।

3. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

जानिग रेगुलेशन्स के भाग-5 के अन्तर्गत प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सशर्त अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अकित की गई है। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य कियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं:-

| कोड सं. | अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध |
|---------|--|
| 1 | भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास |
| 2 | भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास |
| 3 | योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत |
| 4 | योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो |
| 5 | भूतल को छोड़कर अनुरूपी तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू-विन्यास मानवित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर★ |
| 6 | न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर |
| 7 | न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर |
| 8 | न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैययाओं तक |
| 9 | न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैययाओं तक |
| 10 | केवल महायोजना में चिह्नित थोक याणिजिक केन्द्र/स्थलों के अन्तर्गत |
| 11 | केवल दुर्बल/अल्प आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक-2 के अनुसार) |
| 12 | ज्यलनशील, नाशयान एवं आपात् वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण |
| 13 | केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर |
| 14 | 5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-2 के अनुसार) |
| 15 | राईट-ऑफ-वे के बाहर |
| 16 | न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक |
| 17 | ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत |
| 18 | अनुमन्य एफ.ए.आर. का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम हो |
| 19 | केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु |
| 20 | केवल खुले रूप में एवं अस्थायी |
| 21 | केवल संकामक रोगों से सम्बन्धित |
| 22 | न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर, केवल तीन स्टार तक |
| 23 | न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर |
| 24 | 10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-3 के अनुसार) |
| 25 | द्वितीय तल एवं उसके ऊपरी तलों पर |

★ निर्मित क्षेत्रों में अत्याधिक कियाओं/उपयोगों की अनुमति आस-पास के विद्यमान प्रधान भू-उपयोग के दृष्टिगत प्रदान दी जायेगी।

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64/13

विषय:- उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पहिले उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2021) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन नियमावली, 2021 का संशोधन करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या 2009/आठ-1-21-17वैठक/2018टी0री0VI दिनांक 17 दिसम्बर, 2021(संलग्नक-13.1) जारी की गयी है जिसको अंगीकृत किये जाने हेतु मा० ३० चौर्ड के समक्ष प्रस्ताव अनुगोदनार्थ प्रस्तुत है।

उत्तर प्रदेश शासन
 आवास एवं शहरी नियोजन अनुमाग-1
 संख्या-2009 /आठ-1-21-17बैठक /2018टी0सी0VI
 लखनऊ : दिनांक । ८ दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2021) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन नियमावली, 2021 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम . 1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।

सामान्य संशोधन 2. उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन नियमावली, 2021 में,—

एक— शब्द “अध्यादेश” जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द “अधिनियम” रख दिया जाएगा।

दो— शीर्षक से पूर्व आने वाले पैरा में, शब्द, अंक और प्रतीक “उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2021)”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2021) रख दिये जायेंगे।

व्याख्या
का अनुपालन
कराने।

उपायम्
 उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर ४०२१

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर

EE
 साच्चा २११२

AE(D)
 १००
 २११२५
 ८८

आज्ञा से,
 (दीपक कुमार)
 प्रमुख सचिव

रांखा: 2009(1) / आठ-१-२१-१७ ईंठक / 2018टीरी VI तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐश्वर्य, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक १८-१२-२०२१ के असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-४ के खण्ड (क) (परिनियम आदेश) में प्रकाशित करायें तथा ५०० मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का काट करें।

प्राज्ञा से
१८.१२.२०२१
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

रांखा: 2009(2) / आठ-१-२१-१७ ईंठक / 2018टीरी VI तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
२. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
३. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
४. समरत आपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
५. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उ०प्र०।
६. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उ०प्र०।
७. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उ०प्र०।
८. महानिवंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
९. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
१०. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
११. समस्त जिला न्यायाधीश, उ०प्र०।
१२. समरत जिलाधिकारी, उ०प्र०।
१३. सचिव, राज्य विधि आयोग, लखनऊ।
१४. उपाध्यक्ष, समरत विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
१५. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समरत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
१६. निदेशक सूचना एवं जनर्संपर्क विभाग, उ०प्र०।
१७. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
१८. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
१९. संसदीय कार्य अनुभाग-१।
२०. विधि परामर्शी पुस्तकालय, उ०प्र० सचिवालय।
२१. भाषा अनुभाग-१/५, उ०प्र० शासन।
२२. विधायी अनुभाग-१/२, उ०प्र० शासन।
२३. समरत अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
२४. गार्ड दुक।

१८.१२.२०२१
१८.१२.२०२१
१८.१२.२०२१
१८.१२.२०२१

प्राज्ञा से
१८.१२.२०२१
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

**Uttar Pradesh Shasan
Aawaas Evam Shahri Niyojan Anubhag-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English transaltion of Notification no. 2009/Eight-1-21-17Baithak /2018T.C.VI dated 17 December, 2021 :

NOTIFICATION

No. 2009/Eight-1-21-17Baithak/2018T.C.VI

Lucknow: Dated: 17December, 2021

In exercise of the powers conferred by section 44 of the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 (U.P. Act no. 16 of 2021) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Rules, 2021:

The Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (First Amendment) Rules, 2021

- | | |
|-------------------|---|
| Short title | 1. These rules shall be called the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (First Amendment) Rules, 2021. |
| General amendment | 2. In the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Rules, 2021,— <ul style="list-style-type: none"> i. for the word "Ordinance" wherever occurring, the word "Act" shall be substituted; ii. in the paragraph occurring before the heading, for the words, figures and symbols "Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 3 of 2021)", the words, figures and symbols "Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 (U.P. Act no. 16 of 2021)" shall be substituted. |

By order,

(Deepak Kumar)
Pramukh Sachiv.



एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 64 / 14

विषय: भू-उपयोग परिसरों/कियाओं की परिभाषाएँ के अन्तर्गत “औद्योगिक” शीर्षक के अधीन एक नयी उपश्रेणी “उ0प्र0 वेयर हाउसिंग को तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018” (यथासंशोधित) को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 689/2021/8-3099/91/2019 दिनांक 02 जून, 2021(संलग्नक-14.1) के द्वारा उ0प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम)-1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन 1973) की धारा-13 की उपधारा(2) के अधीन प्रदेश के नगरों की प्रभावी महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन किये जाने के संबंध में भू-उपयोग परिसरों/कियाओं की परिभाषाएँ के अन्तर्गत “औद्योगिक” शीर्षक के अधीन एक नयी उपश्रेणी “उ0प्र0 वेयर हाउसिंग को तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018” (यथासंशोधित) के अन्तर्गत लॉजिस्टिक्स पार्क एवं इकाईयों को सम्मिलित किया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 689/2021/8-3099/91/2019 दिनांक 02 जून, 2021 को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**उत्तर प्रदेश शारन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुगम-3
रांच्छा-680 / 2021 / ८-३००९ / ०१ / २०१९
लक्ष्यनक : दिनांक : ०२ जून, २०२१**

अधिकृतना

चूंकि राज्य सरकार नगरों की महायोजना के जोनिंग रेग्युलेशन्स में संशोधन जैसा कि नीचे अनुसूची में अंकित है, करना चाहती है, के रांच्छ में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों "हिन्दुस्तान" एवं "अमर उजाला" के संरक्षण में दिनांक 12.01.2021 को प्रकाशित करायी गयी थी, और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनियोजित रामय के अन्दर जन रामान्य रो कुल 2 आपत्तियों एवं रामान आवास बन्ध के माध्यम से शारन को प्राप्त हुये हैं तथा प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निस्तारित किया गया है।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिकारों सहित पुनः अधिनियम)-1974 द्वारा परिकारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम रांच्छा-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल गहोदया प्रदेश के नगरों की प्राप्तायी महायोजना के जोनिंग रेग्युलेशन्स में निम्नवत् संशोधन किये जाने की राहर्ष अनुगति प्रदान करती है :-

(1) भू-उपयोग परियारों/क्रियाओं की परिमापाएं के अन्तर्गत 'औद्योगिक' शीर्षक के अधीन एक नयी उपश्रेणी "उ.प्र. वेयर हाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" (यथारंशोधित) में निम्नवत् परिमापित लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक इकाईयों को समिलित किया जाना :-

1. लॉजिस्टिक्स पार्क-

प्रदेश में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर विकसित किये जाने वाला लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसमें कंटेनर फेट स्टेशन (सीएफएस) प्रदेश में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर विकसित किये जाने वाला लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसमें कंटेनर फेट स्टेशन (सीएफएस) तथा/अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) तथा/अथवा एयर फेट स्टेशन तथा/अथवा वेयरहाउसेज तथा/अथवा तोल्ड बैनर एवं साध्यभाव अवस्थापना सुविधाएं समिलित हो, इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। इस प्रकार के पार्क में निम्न रेवाये एवं अवस्थापना सुविधाएं समिलित होंगी -

- **लॉजिस्टिक्स रोडो-पार्क** की आवश्यकताओं के अनुसार कार्ग एग्रीगेशन/सेप्रीगेशन, वितरण, सामग्री एवं कंटेनर के इन्टर-डॉल ट्रायाफर, चालू तथा बन्द भड़ारण, कार्ग ड्रिजिट अवधि में भण्डारण अनुकूल स्थिति, सामग्री प्रबन्धन उपकरण तथा आपार एवं आवश्यकाग्र योग्यता एवं कॉर्मन सुविधाएं एवं कॉर्मन सुविधाएं।
- **साइयक अवस्थापना सुविधाएं**- पार्क की आवश्यकताओं के अनुसार अवस्थापना सुविधाएं यथा-आन्तरिक सड़क मार्ग, संचार तथा आपार एवं आवश्यकाग्र योग्यता एवं कॉर्मन सुविधाएं।

गिरुता वितरण व्यवस्था की स्थापना, फीडर, रीर ऊर्जा पैनल्स इत्यादि। भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स अवस्थापना के रूप में लॉजिस्टिक्स इकाईयों की परिमापा का अनुसरण करते हुए यह नीति निम्नलिखित मानदण्डों को पूर्ण करने वाली लॉजिस्टिक्स इकाईयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी-

2. **कंटेनर फेट स्टेशन (सीएफएस)** अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), जिसमें न्यूनतम रु. 50 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 10 एकड़ हो।

3. **वेयरहाउसिंग सुविधा**, जिसमें न्यूनतम रु. 25 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग फीट हो।

कौल्हेन सुविधा, जिसमें न्यूनतम रु. 15 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 20,000 वर्ग फीट हो।

(2) प्रगुच्छ भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं (Activities) की अनुमन्यता संबंधी मैट्रिक्स में 'औद्योगिक' उपयोग के अन्तर्गत एक नयी उपश्रेणी "उ.प्र. वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 (यथा संशोधित) में परिमापित लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाईयों की अनुमन्यता

| भू-उपयोग जोन्स | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------|---------|---------|---------|-------------------------|-------|-------|------------|-------------------------|
| प्र० | वेयरहाउसिंग तथा साइजिस्टिक्स नीति-2018 (यथा संशोधित) में परिमापित लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाईयों की अनुमन्यता | | | | | | | | | | |
| | | नियमित शोषण | आ. | घ्य. | ल.उ. | वृ.उ. | कार्य. | सुवि. | पार्क | हरित पटिका | आमीण आवादी |
| | | नियिद | नियिद | न्यूनतम | अनुमन्य | अनुमन्य | यिशेष अनुगति से अनुमन्य | नियिद | नियिद | नियिद | विशेष अनुगति से अनुमन्य |

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-689(2)/2021/8-3099/91/2019-तददिनांक

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक 02.06.2021 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 10-10 प्रतियां सम्बन्धित अधिकारियों एवं शासन को 100 प्रतियां उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)

उप सचिव।

संख्या-689(3)/2021/8-3099/91/2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/आयुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

अनु सचिव।